यानोंकी गिनतीसे ही आकाश सेनाकी शक्तिका पता लगता है। स्थल सेना सगीनों, बन्दूकों, भालों, तलवारों और तोपोंसे लडती है, पर जल सेनाकी लडाई तोपों और टारपीडो वा जलवज्रोंसे होती है और आकाश सेनाको वीरता ऊपरसे बम, छोटी तोपोंसे गोले फेकने और एरियल टारपीडो वा आकाश वज्र मारनेमें ही समाप्त हो जाती है। यद्यपि भारत उपद्वीप है और इसकी रक्षाके लिये स्थल सेनाकी अपेक्षा जलसेनाकी विशेष आवश्यकता है, तथापि इतिहासके आरम्भसे अबतक इसपर जितने आक्रमण हुए हैं, सब स्थल मार्गसे ही हुए हैं, इस लिये यहा स्थल सेनाको ही महत्व दिया जाता है। कोई ४० वर्षसे भारतपर रूसके आक्रमणकी आशङ्का की जाती थी और इसी लिये पश्चिमोत्तर सीमाको सुदृढ करनेकी ओर विशेष ध्यान दे लार्ड किचनरने भारतीय सेनाकी पुनारचना की और बराबर सैनिक व्यय घटाना अस्वीकार किया। भारतमें छोटीसी जलसेना तथा आकाश सेना भी है। ये स्थल सेना या आर्मीके ही अन्तर्गत हैं।

भारतमें अगरेजी सेनाकी सृष्टि।

अङ्गरेजोंने इस देशमें आकर व्यापार प्रारम्भ करनेके बहुत वर्षों बाद भारतीय सेना खडी करनेका श्रीगणेश किया था। पहले विलायतसे कुछ सिपाही आते थे और यहा ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कारखानो और कोठियोंकी पहरेचौकीके लिये हिन्दुस्तानी दरबान रखे जाते थे। सन् १६५४ में मद्रासके

सेण्ट जार्ज किलेमें दस गोरे सिपाही थे और १६६१ में ४०० गोरे सिपाहियोंसे अङ्गरेजोंने बम्बईपर अधिकार जमाया था। १६८८ में वहां २८५ सिपाही थे, जिनमें ९३ अङ्गरेज और बाकी फ्रेंच, पोर्चुगालिये और हिन्दुस्थानी थे। सबसे पहले फ्रेंचोंने हिन्दुस्थानियोंको पल्टनोंमें भर्त्ती करना और यूरोपियन ढगसे लड़ना सिखाया था। बाद अङ्गरेजोंने भी उनका अनुकरण किया और १७४८ से मेजर स्ट्रिंजर लारेन्सने अङ्गरेजी सेनामें हिन्दुस्थानी रंगरूट भर्त्ती करना आरम्भ किया क्योंकि इस समय फ्रेंचोंसे युद्ध छिड़ गया था और इङ्गलैण्डसे गोरे सिपाही लाना असम्भव था। पहले तो दरवान और चपरासी ही भर्त्ती किये गये, बाद और लोगोंकी नौबत आयी। मद्रास, बम्बई और बङ्गालमें इसी प्रकार सिपाही भर्त्ती हुए और प्रेसिडेन्सी सेनाओंकी नींव पड़ी। १७५४ में इङ्गलैण्डसे भी पलटनें आने लगीं। प्रेसिडेन्सी सेनाओंकी बदौलत ईस्ट इण्डिया कम्पनीने फ्रेंचोंको हराया और इस प्रकार भारतमें साम्राज्यस्थापनका इनका विचार नष्ट हुआ। भारतीय राजा महाराजों और नवाबोंकी शक्ति भी इन्हीं सेनाओंने नष्ट की और लार्ड कार्नवालिसकी यह उक्ति सिद्ध कर दिखायी कि हमारे सिपाहियोंका एक ब्रिगेड जिसको चाहे हिन्दुस्थानका बादशाह बना सकता है। पहले पहल १७८६ में इन सेनाओंकी पुनारचना हुई। इस समय कम्पनीके पास १३,००० यूरोपियन और ५७,००० भारतीय सैनिक थे। दूसरी पुनारचना १८२४ में

और तीसरी १८६२-६३ में हुई। इस समय १,४०,००० सनिक थे, जिनमें ६५,००० अङ्गरेज थे। १८८७ में ब्रिटिश सिपाहियोंकी सख्या बढकर ७४,००० और हिन्दुस्तानी सिपाहियोंकी १,५३,००० हो गयी थी। इस प्रकार कोई १३० वर्षतक तीनो प्रेसिडेन्सियोंकी सेनाए अलग अलग रहीं, पर १८६१ से तीनोको एक करनेका कार्य्य आरम्भ हुआ। इस वर्ष तीनो प्रेसिडेन्सियोंके स्टाफ कोर मिला दिये गये। जो गोरे अफसर हिन्दुस्थानी पलटनोंमें थे, उनकी सञ्ञा "स्टाफ कोर" थी। १८६५ में वम्बई और मद्रास सेनाओंके प्रधान सेनापतियोंके पद उठा दिये गये और दोनो वङ्गाल सेनामें मिला दी गयीं और अव तीनो सेनाएं भारतीय सेनाके नामसे प्रधान सेनापतिके अधीन हैं। १६०३ की १ली जनवरीसे "इण्डियन स्टाफ कोर" नाम वदल दिया गया और अब हिन्दुस्थानी सेनाके गोरे अफसर "आफिसर्स आव दि इण्डियन आर्मी" कहाते हैं।

मिलिटरी डिपार्टमेंट।

गवर्नर जेनरल और कौन्सिलपर ही भारतके सुशासनका उत्तरदायित्व है और सेनापर भी उन्हींकी प्रभुता है। परन्तु भारत सरकारका सब काम विभागों द्वारा होता है, इस लिये सेना सम्बन्धीय कार्य्यके लिये सेना विभाग बनाया गया है। लार्ड किचनरके प्रधान सेनापति नियुक्त होनेके पहले प्रधान सेनापतिका काम सेनाको युद्धार्थ प्रस्तुत रखना मात्र

था। सेनाकी उत्कृष्टताके लिये वे यदि कभी किसी प्रकारके व्ययका प्रस्ताव करते थे, तो उन्हें पहले अपना प्रस्ताव मिलिटरी डिपार्टमेंट (सैनिक विभाग) द्वारा फाइनान्स डिपार्टमेण्ट या अर्थव्यवस्था. विभागमें भेजना पडता था। मिलिटरी डिपार्टमेण्ट गवर्नर जेनरलकी कौन्सिलके एक मेम्बरके अधीन था और इसका रसद, बारबरदारी, सेनाको यथास्थान पहुचाने तथा शस्त्रास्त्र बनानेका प्रबन्ध करना और फौजी हिसाब किताब रखनाभर था। मिलिटरी डिपार्टमेण्टका मेम्बर एक फौजी अफसर होता था। इन व्यवस्थासे प्रधान सेनापति और मिलिटरी मेम्बरमें गहरा मतभेद भी हो जाता था और कभी कभी प्रधान सेनापतिको अपनी बात कट जानेका भी भय रहता था। यद्यपि प्रधान सेनापतिका पदगौरव गवर्नर-जेनरलके बाद ही था, तथापि उन्हें कभी कभी मिलिटरी मेम्बरसे दबना पडता था। लार्ड किचनरने सोचा कि जो अधिकार हमें मिलने चाहिये जबतक वे मिलिटरी मेम्बरको रहेंगे, तबतक काम न चलेगा ; इस लिये उन्होंने प्रस्ताव किया कि मिलिटरी डिपार्टमेण्ट उठा दिया जाय। इन दिनों लार्ड कर्जन भारतके गवर्नर-जेनरल थे और अधिकारप्रियतामें लार्ड किचनरसे किसी तरह कम न थे। इन्होंने इस प्रस्तावका विरोध किया। इसपर विचार करनेके लिये लार्ड राबटस, सर जार्जह्वाइट और सर एडवर्ड ला इन तीन सज्जनोंकी कमिटी नियुक्त की गयी।

मिलिटरी सप्लाई डिपार्टमेण्ट।

इस कमिटीकी सूचनाओंके अनुसार सन् १९०६ में मिलिटरी डिपार्टमेण्ट उठा दिया गया और उसके बदले मिलिटरी सप्लाई डिपार्टमेण्ट और आर्मी डिपार्टमेण्ट नामके दो नये विभाग बने। मिलिटरी डिपार्टमेण्टकी तरह सप्लाई डिपार्टमेण्ट एक फौजी अफसरके अधीन किया गया और आर्मी डिपार्टमेण्ड या सेना विभागपर प्रधान सेनापतिका प्रभुत्व हुआ। मिलिटरी सप्लाई डिपार्टमेण्टका मुखिया भी कौन्सिलका मेम्बर बनाया गया। इस विभागका काम बारबरदारीके लिये पशुओंकी व्यवस्था करना तथा शस्त्रास्त्र रिमाउण्ट (घोड़े बदलना), मिलिटरी वर्क्स (छावनियां, किले आदि बनाना या मरम्मत करना), फौजकी वर्दीकी तैयारी, रायल इण्डियन मैरीन (राजकीय भारतीय जलसेना) और मेडिकल सर्विसका नियन्त्रण करना था। मिलिटरी एकाउण्टस् डिपार्टमेण्ट फाइनान्स डिपार्टमेण्टके अन्तर्गत कर दिया गया और मिलिटरी फाइनन्स ब्रैञ्च नामसे प्रसिद्ध हुआ। सेनाका और सब काम तथा छावनियों और वालण्टियरोंके सम्बन्धका काम सेना विभाग अथवा प्रधान सेनापति करने लगे। इस प्रबन्धसे प्रधान सेनपतिका कार्य्य बहुत बढ़ गया, इसलिये आर्मी स्टाफमें ऊंचे दर्जेका एक अफसर नियुक्त किया गया, जो चीफ आव स्टाफ या "चीफ आव दि जेनरल स्टाफ" कहाता है। नये मिलिटरी सप्लाई डिपार्टमेण्टका मेम्बर

कौन नियुक्त हो, इस विषयपर लार्ड कर्जन और लार्ड किचनर लड पड़े। लार्ड कर्जनके विरुद्ध भारत सचिवका निर्णय हुआ, इससे वे इस्तीफा देकर चले गये। अब लार्ड किचनरकी तूती बोलने लगी और उनके कथनानुसार ही सेना और सेनाविभाग में परिवर्त्तन होने लगे। अन्तको भारतसे प्रस्थान करनेके ४।५ महीने पहले अर्थात् सन् १९०९ के अप्रेलमें लार्ड किचनरने मिलिटरी सप्लाई डिपार्टमेण्ट भी उठा दिया और उसका काम आर्मी हेड क्वार्टर्स या सेनाके सदरको दिलाया। अब प्रधान सेनापति ही सैनिक विषयोंमें भारत सरकारके प्रधान परामर्श दाता और सेनाविभागके सर्व सर्वा हैं।

सेना विभाग और हेड क्वार्टर्स स्टाफ।

भारतीय सेना सम्बन्धीय सब व्यवस्था हेड क्वार्टर्स स्टाफ और सेना विभाग द्वारा होती है। सेना विभागका काम रसद आदि तथा अर्थकी व्यवस्था करना है। सेनाका हेड क्वार्टर या सदर शिमलेमें है और उसके मुख्य कर्मचारी "हेड क्वार्टर्स स्टाफ" कहाते हैं। हेड क्वार्टर्स स्टाफ छ ब्रैञ्चों या शाखाओंमें विभक्त है, यथा (१) जेनरल स्टाफके मुखियेकी ब्रैञ्च (२) ऐडजुटैण्ट जेनरलकी ब्रैञ्च (३) क्वार्टर-मास्टर-जेनरलकी ब्रैञ्च (४) मेडिकल ब्रैञ्च (५) आर्डनैन्स ब्रैञ्च और (६) मिलिटरी वर्क्स ब्रैञ्च।

जेनरल स्टाफके (चीफ) मुखियेके विभागमें तीन मुख्य कर्मचारी होते हैं और सैन्य सञ्चालन, सैनिकशिक्षा और

युद्धपरिचालनका काम इसी विभागसे होता है। इस विभागके मुखिया "चीफ आव दि जेनरल स्टाफ" जेनरलोंके मुखिया कहाते हैं। इनके एक सहकारी "डाइरेक्टर आव मिलिटरी आपरेशन्स" या युद्धसञ्चालक कहे जाते हैं और दूसरे "डाइरेक्टर आव स्टाफ ड्यूटीज ऐण्ड मिलिटरी ट्रेनिंग" अर्थात् स्टाफके कर्त्तव्यों और सैनिक शिक्षाके सञ्चालक कहाते हैं। इन दोनोंके अधीन प्रथम द्वितीय तथा तृतीय इन तीन श्रेणियोंके कई कर्मचारी होते हैं। ये स्टाफ अफसर कहाते हैं। जेनरल स्टाफके मुख्य तीनों कर्मचारी जेनरल होते हैं।

ऐडजुटैण्ट जेनरल प्रधान सेनापतिका मुख्य सहकारी होता है। प्रधान सेनापतिसे आज्ञा लेना और सेनाको उसकी सूचना देना इसीका काम है। ऐडजुटैण्ट जेनरलकी ब्रैञ्च तीन सेकशनों या भागोंमें विभक्त है, (१) जेनरल सेकशन (२) रिक्रूटिङ्ग सेकशन और (३) जज ऐडवोकेट-जेनरलका सेकशन। जेनरल सेकशन द्वारा प्रधान सेनापतिकी आज्ञाएं प्रचारित होती हैं और रङ्गरूटोंकी भर्तीसे रिक्रूटिङ्ग सेकशनका सम्बन्ध है। जज ऐडवोकेट जेनरल सेकशन सेनाका न्याय विभाग है। सेनामें फौजी कानूनके अनुसार न्याय होता है और जज ऐडवोकेट जेनरलका कर्त्तव्य है कि वह देखता रहे कि सैनिक शासनके अनुसार काम होता है। फौजी अदालतोंमें जज

फौजी अदालतकी कारखाई जज ऐडवोकेट जेनरलको भेज दी जाती है और वह देखता है कि सब कारखाई कानूनके अनुसार हुई है या नहीं। जेनरल और रिक्रूटिंग सेक्शन दो डिपटी ऐडजुटैंट जेनरलोंके अधीन हैं और जज ऐडवोकेट-जेनरल अपने सेक्शनके मुखिया हैं। इन कर्मचारियोंके अतिरिक्त कई ऐसिस्टैंट और डिपटी ऐसिस्टैंट ऐडजुटैंट जेनरल भी हैं।

क्वार्टर-मास्टर-जेनरलका काम सेनाके लिये स्थानादिकी व्यवस्था करना है। क्वार्टर मास्टर जेनरलकी शाखा पांच सेकशनोंमें बटी हुई है, (१) मूवमेंट्स, क्वार्टरिंग ऐण्ड कैण्ट्रामैंट्स सेक्शन, (२) सप्लाई ऐण्ड ट्रान्सपोर्ट सेक्शन (३) रिमाउण्ट सेकशन (४) फार्म्स सेक्शन और (५) विटेनरी सेकशन। सेनाकी गति, उसके रहनेके लिये बारकों तथा छावनियोंके प्रबन्धसे पहले सेकशनका प्रबन्ध है। यह एक डिपटी क्वार्टर मास्टर जेनरलके अधीन है। दूसरेका काम सेनाको रसद पहुचाना, बारबरदारी और सैनिकोंको एक स्थानसे दूसरे स्थान पहुचानेके लिये रेल तथा दूसरी सवारियोंका प्रबन्ध करना है। इसका मुखिया डाइरेक्टर कहाता

तीसरे सेक्शनका काम रिसालेके पुराने घोड़ोंको बदलकर दूसरे घोड़े देना है। रिमाउण्ट डिपो एक डाइरेक्टर-जेनरलके अधीन है। चौथे सेकशनका काम घासके खेतोंका प्रबन्ध करना है। इसका कर्त्ता धर्त्ता "डाइरेक्टर आव फार्म्स"

कहाता है। पाचवा सेकशन घोड़े आदि पशुओंकी चिकित्सासे सम्बन्ध रखता और इसका मुखिया "प्रिन्सिपल विटेनरी अफिसर इन इण्डिया" नामसे प्रसिद्ध है।

हेडकार्टर्स स्टाफकी अवशिष्ट ब्रँचोंमें मेडिकल ब्रँच सेनाकी स्वास्थ्यरक्षाकी ओर दत्तचित्त रहता है। इसके मुखियेको डाइरेक्टर आव मेडिकल सर्विस कहते हैं। आर्डनैन्स-ब्रँच शस्त्रास्त्र तथा गोलेबारूदका प्रबन्ध करता है। सेनाको युद्धोपयोगी शस्त्रों तथा गोले बारूदसे सुसज्जित करना इसी शाखाका काम है। यह डाइरेक्टर-जेनरल-आव आर्डनैन्सके अधीन है। इसकी एक उपशाखा "स्टोर्स सेकशन" कहाती है। इसके प्रबन्धकर्त्ताको "डाइरेक्टर आव आर्डनैन्स स्टोर्स" कहते हैं। मिलिटरी वर्क्स ब्रँचका काम फौजी इमारतों, किलों, गढ़ियों और मोर्चों की मरम्मत करना और उन्हें बनाना हैं। इसके मुखिया डाइरेक्टर जेनरल आव मिलिटरी वर्क्स कहाते हैं।

सेना विभाग और हेडक्वार्टर्स स्टाफके अतिरिक्त सेना सम्बन्धी एक संस्था और है, जो ऐडवाइजरी कौन्सिल वा परामर्शदात्री समिति कहाती है। इसका काम सेना सम्बन्धी कामोंमें विशेषकर युद्धके समय प्रधान सेनापतिको आवश्यक परामर्श देना है। इस समितिके अध्यक्ष प्रधान सेनापति ही हैं। युद्धसंचालक वा "डाइरेक्टर आव

ऐडवाइजरी कौंसिल।

मिलिटरी "आपरेशन्स" इसके सेक्रेटरी या मन्त्री हैं; चीफ आव दि जेनेरल स्टाफ, सेना विभागके सेक्रेटरी, फाइनानशल ऐडवाइजर मिलिटरी फाइनान्स अर्थात् सैनिक अर्थव्यवस्था-सम्बन्धी परामर्शदाता, ऐडजुटैंट जेनरल, क्वार्टरमास्टर जेनरल, मिलिटरी वर्क्सके डाइरेक्टर-जेनरल, आर्डनेन्सके डाइरेक्टर-जेनरल और मेडिकल सर्विसके डाइरेक्टर-जेनरल इसके मेम्बर हैं। इण्डियन मेडिकल सर्विसके डाइरेक्टर जेनरल इसके एसोशियेट (सहचर) मेम्बर हैं। समितिकी रचनापर ध्यान देनेसे ही यह बात समझमें आ जायगी कि यह समिति युद्ध व्यवस्थाके लिये है। युद्धसंचालक इस सभामें अपना प्रस्ताव उपस्थित करते हैं और जिस मेम्बरके अधीन जैसा काम है, वह उसके विषयमें अपने अनुभवके अनुसार परामर्श देता है।

ब्रिटिश और हिन्दुस्थानी सेना।

समस्त भारतीय सेना दो प्रकारके सैनिकोंमें विभक्त है, एक ब्रिटिश ट्रूप्स और दूसरा नेटिव आर्मी। पहलेको गोरी और दूसरेको काली फौज भी कहते हैं। ब्रिटिश ट्रूप्समें ६ घुडसवार पलटनें, घुड़चढ़े तोपखानेकी ११ बैटरियां और युद्धसामग्री पहुचानेवाले ६ दल, ४५ मैदानी बैटरियां, युद्ध सामग्री देनेवाले १२ दलों समेत ८ पहाडी बैटरियां, ६ भारी बैटरियां, गैरिजन (दुर्गरक्षक) तोपखानेकी २१ कम्पनियां, पैदलोंके ५२ बटालियन और कुछ एञ्जिनियर आदि होते हैं। १४ वर्षपर ये सैनिक हिन्दुस्थानसे जाते हैं और उपनिवेशों या

इङ्गलैण्डसे और सैनिक आकर इनका स्थान ग्रहण करते हैं। १९१३-१४ में ७५,८६७ ब्रिटिश सैनिक थे। ये युद्धके लिये सदा सज्जित रखे जाते हैं। नेटिव आर्मी या हिन्दुस्थानियोंकी सेनामें रिसालेकी ४० रेजिमेंट, १२ पहाड़ी बैटरिया, सैपर माइनर्सकी (सफरमैनाकी) ३ रेजिमेंटें (१६ कम्पनिया) और अन्य कर्मचारियोंके सिवा पैदलोंके १४० बटालियन हैं। इनके सिवा (सर्विस) नौकर चाकरोंकी २० कम्पनिया और ५ सिगनल कम्पनिया भी हैं। इस सेनामें बड़े अफसर सब गोरे हैं। फी सैकड़े ३५ मुसलमान, ६२ हिन्दू और बाकी ईसाई, यहूदी आदि हैं। पैदलोंकी हर पलटन एक बटालियनकी होती है, पर गोरखे बन्दूकचियोंकी १० पलटनोंमें दो दो बटालियन हैं। शान्तिके समय ५ बटालियन चीन, स्ट्रेट्ससेटल-मेंट्स और सीलोन वा सिंहल द्वीपमें रहते हैं। यह सेना भी युद्धके लिये सज्जित रखी जाती है। इसमें २,१५१ अफसर, १६१,०८५ सैनिक और ३५,००० रिजर्विस्ट होते हैं। रिजर्विस्ट वे कहाते हैं जो सैनिक कमसे कम तीन वर्षतक लड़ाईपर रह चुकनेपर छुट्टी पा जाते हैं। जिस पलटनमें ये भर्ती होते हैं, रिजर्विस्टोंमें नाम रहनेपर भी उस पलटनके ही बने रहते हैं और दो दो वर्षपर इन्हें दो महीनेके लिये सैनिक शिक्षाके निमित्त अपनी पलटनोंमें जाना पड़ता है। पहले इनका वेतन ३) मासिक था, पर अब २) ही रह गया है। २५ वर्ष सैनिक सेवाके बाद रिजर्विस्टोंको पेनशन मिल जाती है। इनके सिवा

वालटियर, इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स और टेरिटोरियल फोर्स भी है। स्वेच्छासैनिक वालटियर कहाते हैं। इनमें अधिकतर यूरेशियन और कुछ यूरोपियन होते हैं। इनका काम बन्दरों, रेलों, छावनियों तथा नगरोंकी रक्षा करना है। १९१३ १४ में वालटियरोंमें १,५२४ अफसर, ३७,३८२ सैनिक और ३,०६३ सब दर्जों के रिजर्विस्ट थे। इनके रिसालेकी ७ रेजिमेंटें, घुड़सवार बन्दूकचियोंकी ८ रेजिमेंटे, तोपखानेकी ६ बैटरिया, एञ्जिनियरोंकी ७ कम्पनिया और पैदलोंके ४५ बटालियन हैं। देशी रजवाड़े जो सेना भारत सरकारके सहायतार्थ अपने यहा रखते हैं, वह इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स कहाती है। उसकी देख भाल ब्रिटिश अफसर करते हैं। इस सेनामें कुल २०,००० सैनिक हैं, जिनमें ६,००० घुड़सवार हैं। टेरिटोरियल फोर्स नागरिक सेना है। इसमें १८,६०० जवान तक भर्ती हो सकते हैं, पर सितम्बर १९२२ तक इसमें ६२०१ ही भर्ती हुए थे। इन्हें साधारणत भारतके बाहर लड़नेको न जाना पड़ेगा। ये छ वर्षके लिये भर्ती किये जाते हैं। पहले साल इन्हें ५६ दिन और बाद हर साल २८।२८ दिन सैनिक शिक्षा मिलेगी। वेतन आदि सामान्य सैनिकके समान ही है। यह देशरक्षिणी सेना बतायी जाती है।

समस्त ससारकी स्थल सेनाके तीन मुख्य भेद होते हैं और भारतीय सेना भी इस सर्वसाधारण नियमका अपवाद नहीं है। ये भेद हैं, पैदल सेना, रिसाला और तोपखाना। पैदल सेनाको

पैदल सेना।

अंगरेजीमें इनफैंट्री, रिसालेको कैवेलरी और तोपखानेको आर्टिलरी कहते हैं। पैदल सेना कम्पनियों, बटालियनों तथा रेजिमेंटों और ब्रिगेडोंमें बटी होती है। १२० सैनिकोंकी एक कम्पनी होती है और इसका कमांडर लेफटेनेंट होता है। सन् १९०० से डबल कम्पनी पद्धति प्रचलित है। इसमें दो कम्पनियोंका एक कमाडर होता है। आठ कम्पनियों-का एक बटालियन होता है और इसमें १,००० सैनिक होते हैं। हर रेजिमेंटमें साधारणतः एक और कभी कभी दो बटालियन होते हैं। एक रेजिमेंटमें १३।१४ ब्रिटिश और १३ हिन्दुस्तानी अफसर होते हैं। पैदलोंके ब्रिगेडमें ४ बटालियन, १ मैदानी अस्पताल, १ मैदानी डाकघर और रसद आदि देनेवाला एक दल होता है। लेफटेनेंट-कर्नल बटालियनका सञ्चालन करता है। इसके सहायतार्थ एक मेजर और एक ऐडजुटैंट रहता है। ऐडजुटैंटका पद कैपटेन अर्थात् कप्तान अथवा लेफटेनेंटको दिया जाता है। इसे पलटनिये सिपाही अजीटन कहते हैं। कम्पनीके सञ्चालक बहुधा कप्तान होते हैं और इनकी सहायताके लिये एक या दो लेफटेनेंट रहते हैं। रसद आदिके प्रबन्धके लिये एक लेफटेनेंट या कप्तान क्वार्टर मास्टर बना दिया जाता है। लेफटेनेंट-कर्नल, बड़ा मेजर और ऐडजुटैंट घोडेपर सवार रहते हैं। चार बटालियनोंका एक ब्रिगेड होता है। इसका सञ्चालक ब्रिगेडियर या मेजर जेनरल या कर्नल होता है। ब्रिगेडमें ४,००० सैनिकोंके सिवा ब्रिगेडियर, उसके

स्टाफका प्रबन्धकर्त्ता और डाक्टर आदि होते हैं। पैदलोंके हथियार राइफल, बन्दूक और सगीन हैं। अफसरोंके पास तलवार और पिस्तौल रहती है। कुछ गोलीबारूद सिपाहीके पास रहती है, बाकी खच्चरों और छकड़ोंपर लदती है और गोलीबारूद ले जानेके लिये अलग दल भी रहता है। इसके बाद डिवीजन है, जिसमें पैदल, सवार और तोपखाना तीनों होते हैं।

रिसाला।

रिसाला ट्रूप, स्क्वाड्रन, रेजिमेण्ट और ब्रिगेडमें बटा रहता है। ट्रूपमे ३२ सवार होते हैं और ४ ट्रूपोंका एक स्क्वाड्रन होता है। इसके सञ्चालनका काम बहुधा कप्तानको और कभी कभी लेफटेनेण्टको दिया जाता है और यह स्क्वाड्रन-कमाण्डर कहाता है। एक रेजिमेण्टमें ४से ८ स्क्वाड्रनतक रहते हैं। पर रेजिमेण्टका कमाडिङ्ग अफसर ४ ही स्क्वाड्रनोंके कमांडरोंका सचालन करता है और सब बातोंमे हस्तक्षेप नहीं करता। पैदल पल्टनकी तरह घुड़सवार पल्टनमें भी क्वार्टर मास्टर और पेडजुटट होते हैं और रेजिमेण्टका सचालक इन्हें इनके अधीन कामोंकी सुव्यवस्थाका उत्तरदाता समझता है। रिसालेकी रेजिमेण्टका सचालक भी लेफटेनेण्ट कर्नल होता है। रिसालेके ब्रिगेडमें १ हार्स बैटरी (अर्थात् घुड़चढ़े तोपखानेकी १ बैटरी), ब्रिटिश रिसालेकी १ रेजिमेंट हिन्दुस्थानी रिसालेकी २ रेजिमेंटें, १/८ ब्रिटिश

फील्ड ऐम्बुलेन्स (मैदानी अस्पताल), १/२ हिन्दुस्थानी फील्ड ऐम्बुलेन्स (मैदानी अस्पताल), १ मैदानी डाकघर, रसद पहुचानेवालोंका १ दल और गोलेबारूद देनेवालोंका १ दल होता है। रिसालेके सवारोंके तीन भेद प्रसिद्ध हैं, यथा हुसर्स, ड्रैगून्स और लैन्सर्स। हल्के सवारों और हल्के घोडोंके रिसालेको हुसर्स कहते हैं और भारी सवारों और भारी घोडोंका रिसाला लैन्सर्स कहाता है। दोनो तरहके औसत रिसालेका नाम ड्रैगून्स या क्यूरैसियर्स है। एक घोडेपर ३ मनसे ऊपर बोझ रहता है। १ मन ३७ सेर तो सवारके वजनका औसत है, तलवार और म्यानका २ सेर, कडाबीनका ३॥ या ४॥ सेर, बोरे और कमरबन्दका ६ सेर, भालेका २॥ सेर तथा दो दिनके घासदानेका कमसे कम २० सेर, और कम्बल, काठी, लगाम और लवादेका वजन मिलकर ३। मन हो जाता है। युद्धके समय इतना ही बोझा लादकर घोडोंको बराबर पाच मीलतक जाना पडता है। हर रेजिमेण्टमें १३।१४ ब्रिटिश और १६ हिन्दुस्थानी अफसर होते हैं। रिसालदार कभी कभी कमाडर होते हैं। इनके नीचे जमादार हैं।

तोपखाना।

तोपखाना तीन चीजोंसे बनता है, सामग्री (वस्तु), मनुष्य और पशु। सामग्रीमें तोपें, तोपगाडिया गोलेबारूद और सामान तथा मनुष्योंमें अफसर, नानकमिशन्ड अफसर, तोपची, घोडे हाकनेवाले और मिस्त्री होते हैं। तोपें

ढोनेका काम प्राय - खच्चरों और घोड़ोंसे लिया जाता है। महासमरमें मोटरें भी इस काममें लायी गयी हैं। क्विक-फायरर अर्थात् शीघ्रतासे छुटनेवाली तोपें ही तोपखानेमें रखी जाती हैं। इनसे ६॥ से ८ सेर तकका गोला फेंका जा सकता है। तोपखानेकी एक बैटरीमें तीन सेकशन और हर सेकशनमें दो तोपें होती हैं अर्थात् ६ तोपोंकी एक बैटरी होती है। सेकशन भी दो भागोंमें बटा रहता है और हर सब सेकशनमें एक तोप, उसकी गाडिया आदमी और घोडे तथा सबके ऊपर तोप विभागका "न० १" अर्थात् प्रधान रहता है, जो प्राय सर्जेण्ट होता है। सेकशन कमाडरके सामने यह अपने सब सेकशनकी व्यवस्थाका उत्तरदाता रहता है। न० १ और ५ तोपची मिलकर एक तोप विभाग या गन डिटैचमेंट होता है। "न० १" तोपके साथ घोडेपर चढ़ा रहता है। इसके बाद एक और नानकमिशंड अफसर रहता है जो पहली गाडीपर चढा रहता है और तोपकी गाडी, सामानगाडियों और लिम्बर-पर (अर्थात् तोपकी गाडीके उस हिस्सेपर जिसमें घोडे जोते जाते हैं) और तोपची बैठते हैं। तीनो घोडे हाकनेवाले अपनी जोटोंके पास बैठते हैं और हर तोप और हर गाडीको छ घोडे खींचते हैं। जब तोपखाना कूच करता है, तब तोप लिम्बरसे बाध दी जाती है। बैटरीका कमाडर मेजर होता है और इसके नीचे कप्तान रहता है। बैटरीमें माल ढोनेकी भी कई गाडिया रहती हैं और तोपचियों और घोडे हाकनेवालोंके सिवा

निशाना ठीक करनेवाले और सिगनल या इशारा देनेवाले भी रहते हैं। यह तो मैदानी तोपखानेका ब्योरा हुआ। हार्स आर्टिलरी या घुड़चढ़े तोपखानेमें तोप विभागके सभी कर्मचारी घोड़ेपर सवार रहते हैं और तोप और उसकी गाड़ी-पर आदमियों और उनके सामानका बोझ नहीं रहता। इसके अतिरिक्त इसमें आदमी भी अधिक होते हैं, क्योंकि जब तोपें दगने लगती हैं तब घोड़े पकड़नेके लिये भी आदमियोंका प्रयोजन होता है। घुड़चढ़े तोपखानेकी तोप मैदानी तोपकी तरह जोरदार नहीं रहती। माउण्टेन आर्टिलरी या पहाड़ी तोप-खानेमें कुल सामान खच्चरों या दूसरे जानवरोंपर लादा जाता है। सारा बोझ बराबर ४।५ खच्चरोंपर लाद दिया जाता है। तोपें दागनेके समय सामान उतारकर रखनेमें एक मिनिटसे अधिक देर नहीं लगती। पहाड़ी तोपका गोला प्राय ६ सेरसे भारी नहीं होता, बल्कि हल्का ही होता है। सब प्रकारके सैनिकोंको युद्धसामग्री पहुंचानेका काम "ऐम्युनिशन कालम" अर्थात् गोलेबारूदवाले दलको दिया जाता है। इस दलमें फौजी गाड़ियां होती हैं जिनपर युद्धसामग्री लदी रहती है। ऊपर जैसी तोपोंका वर्णन हुआ है, उनसे भारी तोपें जिस तोपखानेमें होती है, वह हेवी आर्टिलरी या भारी तोपखाना कहाता है। युद्धक्षेत्रमें जो भारी तोपखाना जाता है, उसकी गाड़ियोंपर ५ या ४, ६इञ्च मुटवाली तोपें रहती हैं। ये भी क्विकफायरर या शीघ्रतासे दगनेवाली होती हैं। हर डिवी-

उनमें तोपखानेका जितना भाग रहता है, उसमें इस तोपखानेकी ४ तोपोंकी एक बैटरी और रायल गैरिजन आर्टिलरी या किलेके तोपखानेकी एक कम्पनीके सैनिक रहते हैं। साधारण घुडचढे या मैदानी तोपखानोंक बैटरियोंकी तरह इसकी बैटरिया भी दो सेकशनोंमें और हर सेकशन दो सब सेकशनोंमें बटा रहता है। भारी मैदानी तोपखानेसे घिराऊ तथा किलेके तोपखानोंमें बडा अन्तर रहता है। सीज आर्टिलरी या घिराऊ तोपखानेकी तोपें और उनका सामान गुदामोंमें रहता है और जब शत्रुके किलोंको घेरना होता है, तब तोपोंको वहा ढो ले जाने और सैनिकोंकी व्यवस्था की जाती है। किलेके तोपखानेमें किलेपर तोपें चढी रहती हैं और गोले आदि सामान शस्त्रागारमें जमा रहते हैं और गैरिजन आर्टिलरीकी कम्पनीके सैनिक किलेकी तोपें दागते हैं। घिराऊ तोपखानेकी जो तोपे रायल गैरिजन आर्टिलरीके सैनिक दागते हैं, उनमें ६ और ८ इञ्ची हाविजर और ४, ०इञ्ची और ६ इञ्ची तोपें होती हैं। घिरावके समय इनसे भी भारी और बडी तोपोंकी व्यवस्था की जाती है। पहाडी तोपखानेको छोड और सब चलते फिरते तोपखाने ब्रिगेडोंमें बटे हैं। आर्टिलरी ब्रिगेडमें साधारणत तीन बैटरिया होती हैं, जिनमें यातो १८ साधारण या १२ भारी तोपें रहती हैं। मैदानी हाविजर तोपोंके ब्रिगेडमें दो ही बैटरिया या १२ तोपें रहती हैं। हर ब्रिगेडमें युद्धसामग्री पहुचानेवाला एक दल

रहता है। भारतको युद्धसामग्री यथासाध्य विलायतसे न मंगानी पडे इस लिये यहीं उसके बनानेकी व्यवस्था की गयी है। मद्रासके वेलिंगटन स्थानमें कारडाइटका कारखाना है। कारडाइट एक प्रकारका विस्फोरक पदार्थ है जिसमें धुआ नहीं होता। कलकत्ते के पास इच्छापुरमें राइफल कारखाना और तोप और गोला बनानेका कारखाना है और काशीपुरमें भी तोपोंका कारखाना है। जब्बलपुरमें तोपगाडी बनानेका बडा कारखाना है।

डिवीजनकी रचना।

बर्मा डिवीजनको छोड समस्त भारतीय सेना नौ डिवीजनोंमें विभक्त है। प्रत्येक डिवीजनकी रचना इस ढङ्गसे हुई है कि सेनासंग्रह होनेके समय नौओ डिवीजन रिसाले-ब्रिग्रेडके कुछ भाग समेत युद्धक्षेत्रमें चले जाय और छावनियोंमें यथेष्ट सैनिक रह जाय। सेनाके नौ डिवीजन और बर्मा डिवीजन तथा दो ब्रिगेड दो भागोंमें विभक्त हैं, एक नार्दर्नआर्मी (उत्तरी सेना) और दूसरा सदर्न आर्मी (दक्षिणी सेना)। उत्तरी सेनाका सदर मरीमें और दक्षिणी सेनाका ऊटकमण्डमें है, पर इनके डिवीजन इस ढङ्गसे रखे गये हैं कि पश्चिमोत्तर सीमापर युद्ध छिडनेपर दोनो सेनाएं शत्रु से मोर्चा ले सकें। उत्तरी सेनामें पाच डिवीजन हैं, १ला पेशावरमें, २रा रावलपिण्डीमें, ३रा लाहोरमें, ७वा मेरठमें और ८वा लखनऊमें। इनके सिवा बन्नू और डेराजातके ब्रिगेड भी हैं। दक्षिणी

सेनामें चार डिवीजनोंके सिवा बर्मा डिवीजन और अदन ब्रिगेड है। ४था डिवीजन क्वेटेमें, ५वा मऊमें, ६ठा पूनेमें और ६वा ऊटकमण्डमें है। बर्मा डिवीजन मण्डालेमें है। युद्ध छिडनेपर पेशावर और क्वेटा दोनो स्थानोंके डिवीजन साथ ही लडने लगेंगे। शान्तिके समयसे युद्धके समयके डिवीजनकी शक्तिमें अन्तर पडता है। युद्धक्षेत्रमें जो डिवीजन जाता है, उसमें पैदलोंके ३ ब्रिगेड (१ ब्रिटिश और २ हिन्दुस्थानी) और डिवीजनके ट्रूप होते हैं। डिवीजनके ट्रूपोंमें हिन्दुस्थानी रिसालेकी १ पलटन, पायोनियरोंका (बेलदारोंका) १ बटालियन, (यह आगे आगे राह दुरुस्त करता चलता है) ३ मैदानी बैटरिया, २ पहाडी बैटरिया, १ ऐम्युनिशन कालम (युद्धसामग्री देनेवाला दल) सैपर्स माइनर्स या सफरमैनाकी ३ कम्पनिया, १ सिगनल कम्पनी, २ ब्रिटिश मैदानी अस्पताल, ३ हिन्दुस्थानी मैदानी अस्पताल, १ छापाखाना, १ फोटो लीथो सेकशन, १ मैदानी डाकघर, डिवीजनके सैनिकोंको रसद देनेवाला एक दल और डिवीजनको रसद देनेवाला १ दल होता है। एक डिवीजनमें ३,७०८ गोरे और ६,१६८ हिन्दुस्थानी कुल १२,८७६ सिपाही और ३० तोपें होती हैं। भारतकी मैदानी फौजमें प्राय १॥ लाख सिपाही होते हैं।

हिन्दुस्थानियोंकी पैदल पल्टनोंका नम्बर १से १३० तक और रिसालेका १से ३६ तक है।

सेनाकी संख्या। सिपाहियोंमें सबसे अधिक मुसलमान हैं। रिसालेमें इनके ६८ स्क्वाड्रन और पैदलोंमें २५० कम्पनिया हैं। इनके बाद सिक्खोंका नम्बर

है जिनके ३५ स्क्वाड्रन रिसालेमें और २१४ कम्पनिया पैदलोंमें हैं। रिसालेमें तो गोरखे नहीं हैं, पर पैदलोंमें इनकी १६० कम्पनिया हैं। राजपूतोंके १० स्क्वाड्रन और १०० कम्पनियां, जाटोंके ·१ स्क्वाड्रन और ६० कम्पनिया तथा डोगरोंके ११ स्क्वाड्रन और ५६ कम्पनिया हैं। मराठे और गढ़वाली राजपूत रिसालेमें नहीं हैं, पर पैदलोंमें मराठोंकी ४५ कम्पनिया और गढवालियोंके दो बटालियन हैं। सेनामें ६,००० मद्रासी भी हैं।

सीमापरकी मिलिटरी पुलिस, सीमान्तकी जातियोंकी मिलीशिया और लेवियोंकी गिनती सेनामें नहीं होती, पर इनसे बड़ी सहायता मिलती है। मिलिटरी पुलिस फौजी ढङ्गसे रखी जाती है और मिलीशिया और लेविया समय समयपर सीमान्तके उपद्रवियोंसे मोर्चा लेनेके लिये हैं। बलूचिस्तानकी सीमापर जोब मिलीशिया, मकरान लेवीकोर और चगाई लेवीकोर रहते हैं और अफगानिस्तानकी सीमापर खैबर राइफल्स, कुर्रम मिलीशिया, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान मिलीशिया और चित्राल स्काउट्स हैं। मिलिटरी पुलिसमें कुल प्राय २२,००० जवान हैं, जिनमें १६,५०० के लगभग तो बर्मामें हैं, ३०० बङ्गालमें और बाकी ३,००० आसाम और २,२०० पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशमें हैं। १९१६ में भारतीय सेनामें ५४९८२ गोरे और १७६,३१३ हिन्दुस्थानी थे।

युद्धकलाशिक्षाकी व्यवस्था।

यों तो ब्रिटिश सिपाहियों और अफसरोंकी शिक्षा इङ्गलैंडमें ही होती है और उसके लिये भारतको धन भी देना पड़ता है परन्तु कुछ समयसे यहा भी शिक्षा देनेकी व्यवस्था हो रही है। क्वेटेमें एक स्टाफ कालेज बन रहा है और स्टाफके कामोंकी शिक्षा देवलालीमें दी जा रही है। जिन कर्मचारियोंका किसी विशेष सैन्यदलसे नहीं, प्रत्युत समस्त पलटनसे सम्बन्ध रहता है, वे स्टाफ अफसर कहाते हैं। इसमें भारतवासी नहीं भर्ती होने पाता। जो गोरे स्टाफमें भर्ती होना चाहते हैं, वे ही इस कालेजमें शिक्षा पावेंगे। १६०६-१० से रिसालेका काम सिखानेके लिये भी एक स्कूल है। नील-गिरी जिलेमें एक केडेट कालेज खुला है, जिसमें युद्धकला सीखनेके लिये महासमरमें विलायतसे गोरे विद्यार्थी आये थे। छ महीने तक प्रत्येक विद्यार्थीको १५०) मासिक वृत्ति मिली। बाद उसे हिन्दुस्थानी पलटनमें अफसरका काम मिल गया। राजघरानोंके कुमारोंको युद्धकला सिखानेके लिये देहरादूनमें व्यवस्था की गयी है। यहा २० राजकुमार २१३ वर्षतक युद्ध शिक्षा पावेंगे। मध्य श्रेणीके भारतवासीके लिये युद्धकला सीखानेकी व्यवस्था टेरिटोरियल फोर्समें ही है, यद्यपि देहरादूनमें रायल इण्डियन मिलिटरी कालेज १६२२ में खोला गया है। अभिप्राय यह है कि विलायतके सेंढर्स्ट मिलिटरी कालेजमें भर्ती होनेके पहले शिक्षार्थी उस विषयका कुछ ज्ञान

प्राप्त कर ले। दिल्लीमें किचनर कालेज बनेगा। इसमें हिन्दुस्थानी अफसरों और प्रतिष्ठित पुरुषोंके लडकोंको सैनिक शिक्षा दी जायगी। यहासे निकलकर ये लडके "जमादार" बनेंगे। हिन्दुस्थानी सिपाहियोंके लडकोंकी शिक्षाके लिये युक्तप्रदेश और पञ्जाबमें ऐंगलो-वर्नाकुलर स्कूल बनेंगे।

सैनिक व्यय।

ससारके सभी राष्ट्रोंमें शान्तिके समय छोटी सेना रखी जाती है, पर जब एक राष्ट्रका दूसरेसे विग्रह होता है, तब शान्तिकालीन सेना बढाकर युद्धकालीन बना ली जाती है। शान्तिकालीन सेनाको अङ्गरेजीमें "आर्मी आन पीस स्ट्रेंग्थ" और युद्धकालीन सेनाको "आर्मी आन वार स्ट्रेंग्थ" कहते हैं। पर भारतमें प्राय युद्धकालीन सेना ही रखी जाती है, इसी लिये भारतीय सेनाका व्यय भी बहुत अधिक है। भारतीय सेनाकी दूसरी विचित्र बात यह है कि अन्य राष्ट्रोंको तो स्वदेशके बाहर एक कौडी भी खर्च नहीं करनी पडती, पर भारतको कोई ६॥ करोड़ रुपये सैनिक कार्यों के लिये इङ्गलैण्डमें व्यय करने पडते हैं। १९२३-२४ में भारतीय सेनाके व्ययके निमित्त जितनेका बजेट बना था, यह रकम उसके छठे हिस्सेके लगभग है। इस वर्ष सेनाके लिये ६५,०४,८०,०००) का व्यय स्वीकार किया गया है। १९१४ १५ में सेनाके लिये ३०,४५,८८,०००) व्यय करनेका विचार किया गया था।

सैनिक व्ययका ब्योरा।

(१९१४ १५ के बजटके अनुसार।)

भारतमें व्यय

युद्धोपयोगी

मद्द	रकमें
सैनिक व्यवस्था	६९,९२,८६०)
फौजी हिसाब	२९,५०,३२०)
पलटनोंका वेतन आदि	१२,३९,९८,४३०)
रसद और बारबरदारी	३,४९,६०,९००)
पशुचिकित्सा	५,३०,९२०)
वर्दी	१९,९३,८७०)
घोड़ोंका बदलना	५४,७१,९३०)
चिकित्सा	६०,२६,४००)
चिकित्सा सामग्री	८,०६,५७०)
शस्त्रास्त्र (हथियार गोलेबारूद)	१,०६,७५,३५०)
पादरी	४,३७,४९०)
शिक्षा	१८,०७,३५०)
भोजन आदिकी क्षतिपूर्त्ति	६३,९८,०००)
विविध कार्य	७१,०९,२८०)
सिपाहियोंके झोंपड़े	२,००,०००)
सड़क, नदी और समुद्र द्वारा जाना	९,००,९५०)
रेल द्वारा जाना	४६,०१,५७०)

छावनिया	१३,६३,८१०)
अलग हिसाब खर्च	
जोड	२१,२५,४६,०००)
युद्धानुपयोगी व्यय	१ १०,०३,०००)
भारतमें कुल खर्च	२२,३५,४६,०००)

इंगलैंडमें व्यय ।

युद्धोपयोगी	पौंड
ब्रिटिश सैनिकोंके लिये युद्ध विभागको	६,२०,०००
,, सैनिकोंका फर्लो छुट्टीका भत्ता और वेतन	१,३६,०००
,, वर्दीका खर्च	१६,०००
हिन्दुस्थानी पलटनोंके गोरे अफसरोंका फर्लो छुट्टीका वेतन	३,६५,०००
इण्डियन ट्रूप सर्विस	३,२२,०००
और मद्दें	१,०८,१००
वर्दियोंका सामान	६०,०००
हथियारों, गोलेबारूद आदिका सामान	६,१३,०००
डाक्टरी सामान	६६,६००
रसद और बारबरदारीका सामान	५७,५००
फौजी खेतोंका सामान	११,०१०

ईरानकी खाडीकी लडाईका सामान	५०,०००
सैनिकोंके साथ हिन्दुस्थान आया सामान	२६,१००
जोड	२८,७०,६००

युद्धानुपयोगी व्यय

ब्रिटिश सैनिकोंके लिये युद्धविभागको	६,४५ ०००
हिन्दुस्थानी पलटनोंके गोरे अफसरोंकी पेनशन	१४,०५,०००
और मद्दें	१,८२,०००
जोड	२५,३२,०००
इङ्गलैण्डमें कुल खर्च	५४,०२,६००
१ पौंड=१५)	८,१०,३९ ०००)
भारतमें कुल खर्च	२२ ३५,४६,०००)
कुल खर्च	३०,४५,८८,०००)

सैनिक आय

इङ्गलैण्डमें

ब्रिटिश सरकारसे समुद्री राहसे बारबरदारीके खर्च अदाके फौजी खर्च, और उपनिवेशों गयी हुई हिन्दुस्थानी पलटनोंके वेतन मध्ये तथा सामानकी अदला बदली और बिक्रीसे	३,७१,६०० पौंड

१ पौंड=१५)		५२,७४,०००)
हिन्दुस्थानमें आय विशेषकर फौजी इमारतोंके किरायेसे		१,२६,११,०००)
	कुल आय	१,७८,८५,०००)
कुल व्यय		३०,४५,८८,०००)
कुल आय		१ ७८,८५,०००)
वास्तविक व्यय		१२८,६७,०३,०००)

आजकल इस प्रकार ब्योरेवार हिसाब देखनेमें नहीं आता। अब सेना, जल सेना और फौजी इमारतों इन तीन मदोंमें खर्च बांटा जाता है और सब फौजी खर्चमें दिखाया जाता है। १९२३-२४ के बजेटमें कुल ६५,०४,८७,०००) खर्च करना निश्चय हुआ है। इसमें ५९,८४,९६०००) सेनाका कुल व्यय है और २,६७,२९,०००) आय बाद दे देनेसे ५७,१७,६७०००) रह जाता है। खर्चका ब्योरा इस प्रकार दिया गया है —

भारतमें युद्धोपयोगी सेना रखनेका खर्च शिक्षा सम्बन्धी व्यय तथा डिपो अस्पताल आदि चलानेका खर्च	३१,३०,५५,५३०)

सेनाके सदर और कमाडके स्टाफ आदि	२,०२,८२,७२०)
स्पेशल सर्विस	१,४२,११,५८०)
विविध	१,८५,६४,६७०)
स्टाफ एकाउण्ट	—३,११,४१,५००)
	४२,२२,६६,०००

युद्धानुपयोगी	
विलायती खर्चका हुडियावन	५,४८,२७,०००)
आग्जिलियरी और टेरिटोरियल सेना	१०,७,५४,०००)
रायल एयर फोर्स	१,३४,५४,१००)
	५०,१३,०१,०००)

इङ्गलैंडमें	
युद्धोपयोगी	पौंड
सेना रखनेका खर्च	२६,३७,५००
शिक्षा सम्बन्धी व्यय तथा डियो	
अस्पताल आदि चलानेका खर्च	१६,१,७००
सेनाके सदर और कमाडके स्टाफ आदि	५१,०००
स्पेसल सर्विस	४,१५,०००
विविध	६,३३,५००
स्टाफ एकाउण्ट	१४,४१,३००
	५६,७०,०००

युद्धानुपयोगी	३५,६३०००
रायल एयर फोर्स	४८,५००
इङ्गलैण्डमें कुल	पौंड ६७,१६,५००
* १ पौंड = १०)	६,७१,६५,०००
	कुल व्यय ५६,८४,९६,०००

आय

भारतमें	२,२७,५१,०००)
इङ्गलैण्डमें	३९,७८,०००)
	कुल आय २,६७,२९,०००)
	सेनापर वास्तविक व्यय ५७,१७,६७,०००)

फौजी इमारतों, सड़कों आदिका हिसाब यह है —

व्यय

भारतमें	४,१८,५०,०००)
इङ्गलैण्डमें	५,०५,०००)
	व्यय ४,२३,५५,०००)
	आय १६,२६,०००)
	वास्तविक व्यय ४,०७,२९,०००)

* इस हिसाबमें १०) का पौण्ड माना गया है, यद्यपि पौण्डके लिये १५) के लगभग देने पड़ते हैं ।

सैनाका व्यय	५७,१७,६७,०००)
इमारतों सड़कों आदिका व्यय	४,०७ २६,०००)

स्थल सेना और आकाश सेनाका कुल व्यय रुपये ६१,७४,९३,०००

रायल इंडियन मैरीन

जैसा ऊपर कह आये हैं, भारतमें स्थलसेनाके अतिरिक्त छोटीसी जलसेना भी है, पर स्थल सेनासे यह प्रायः ७० वर्ष पहलेकी है। इसका कारण यह है कि अङ्गरेज इस देशमें समुद्रमार्गसे ही आये थे और जलसेनाके बिना वे डचों, पोर्चुगालियों अथवा लुटेरोंसे अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। १६१२ से १६८६ तक तो यह ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी जलसेना कहाती, पर बाद १६८६ से १८३० तक बम्बईकी जल सेना, १८३०-६३ तक भारतीय जलसेना, १८६३ से ७७ तक (बाम्बे मरीन) बम्बईकी जलसेना, १८७७-९२ तक महारानीकी भारतीय जलसेना कहलाती रही। पर १८९२ से इसका नाम रायल इण्डियन मैरीन अर्थात् राजकीय भारतीय जलसेना है। इसका काम सिपाही और सामान ले आना ले जाना, घाटे पानीका पहरा देना तथा समुद्री डाकुओंका दमन, बन्दरोंकी रक्षा और समुद्री नापजोख करना था। १९०१ में भारतीय जलसेनाके स्टेशन (बख्तरदार लड़ाऊ जहाज जिनके छतोंपर घूमती हुई कई भारी तोपें लगी रहती हैं नामक जहाजों,) सरकारी जहाजों और गोदियोंके नियन्त्रणका भार ब्रिटिश

जलसेना समितिने ले लिया जिसके लिये भारतको उसे ६१ हजार पौंड या ६१५०००) प्रति वर्ष देने पड़ते हैं। १९०२ में यह बेड़ा उठा दिया गया।

व्यापारी जहाजोंके योग्य अफसरोंको भारतसचिव रायल इण्डियन मैरीनमें नियुक्त करते हैं।

जलसेनाकी रचना और कार्य।

इस विभागका एक डाइरेक्टर और एक डिपटी डाइरेक्टर होता है। पहलेका आफिस बम्बई और दूसरेका कलकत्तेमें है। इन दोनों शहरोंमें जहाजोंकी मरम्मत आदिके लिये डाकयार्ड हैं। इण्डियन मैरीनके अफसर समुद्री पैमाइशके काममें लगाये जाते हैं और वे ही बन्दरोंके "पोर्ट अफसर" नियुक्त होते हैं। इङ्गलैण्डसे हिन्दुस्थानको पलटनें लाने और यहांसे वहां ले जानेका काम प्रायः भाड़ेके जहाजोंसे लिया जाता है, पर कुछ पल्टनें इण्डियन मैरीनके जहाज भी ले आते हैं। पिछले कई वर्षों से उपनिवेशोंसे सेना लाने ले जानेका काम इन्हीं जहाजोंसे लिया गया है। इस विभागमें १ अप्रेल १९२२ को १०२ कार्यकर्त्ता अफसर, ७६ एञ्जिनियर, ६७ वारंट अफसर और २२२५ माझी आदि थे। १८६९ से ब्रिटिश सरकारको राजकीय जलसेनाके पारिश्रमिक स्वरूप भारत धन दिया करता है। सन १८९६-९७ से ईस्ट इण्डीज स्क्वाड्रनके कुछ जहाजोंके लिये एक लाख पौंड या १५ लाख रुपये वार्षिक देना निश्चय हुआ है। इन जहाजोंसे भारत

सरकारकी सम्मति बिना ब्रिटिश सरकार कोई काम नहीं ले सकती।

भारतीय जलसेनाका समस्त व्यय ६६,३६,०००) है। ७१४,६,०००) भारतमें और २४६००००) इङ्गलैण्डमें खर्च होते हैं। इस विभागकी आय भी है २१,२६००)

जलसेनाका व्यय

भारतमें १९१४-१५ में जो व्यय होता था, उसमें १०,००० पौण्ड निरीक्षण और हिसाब किताब रखनेका, ७५,००० वेतनादिका, ६०,००० जलसेनाकी सामग्री और कोयलेका ६५,००० डाकयार्डका और ६,००० मैरीन सर्वे या समुद्री पैमाइशका व्यय था। इङ्गलैण्डमें जो व्यय होता था, उसमें कोई ६७,००० पौण्डकी तो सामग्री थी, बाकी रकम जलसेना समिति को दी जाती थी। भारतीय जलसेनाकी आयका प्रधान मार्ग ब्रिटिश सरकारके काममें उसके जहाजोंका लगाया जाना ही है। १९१३ १४ में जलसेनाकी मदोंका कुल खर्च ५,१२,८४१ पौण्ड और १९१४ १५ में ४,५५,७०० पौण्ड रहा है। बाहरी कामसे डकोंकी, जहाज और सामान बेचनेपर, १९१३ १४ में ८६,५४२ पौण्ड और १९१४-१५ में ८६,२०० पौण्ड आय हुई थी। इसमें इन वर्षोंमें भारतको जलसेनाके लिये ४,२२,२०२ और ३,६६,५०० पौण्ड खर्च करने पड़े थे।

भारतमें साधारण जलसेनाकी व्यवस्था तो है, पर आकाश-सेना या विमानोंपर बैठकर आकाशमें विचरने और पृथिवीपर कहा क्या हो रहा है इसका पता लगानेकी स्वतत्र व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगोंको हवाई जहाजोंपर बैठकर उड़नेकी

आकाशसेना

शिक्षा देनेके लिये १ अक्तूबर १९१३ को सीतापुरमें मिलिटरी फ्लाइङ्ग स्कूल स्थापित हुआ था। यह स्कूल सेनाके सदर वा हेडक्वार्टरके आज्ञानुसार एक कमाडैंटके अधीन था। इसके सिवा दो फ्लाइङ्ग अफसर भी थे। तीनोंका अविवाहित होना आवश्यक था। ये चार वर्षके लिये नियुक्त किये जाते थे। यदि गिरकर कोई घायल हो जाता तो उसे पेनशन आदि मिल जाती। जो लड़ाईमें घायल होकर सात वर्षके अन्दर मर जाता तो काम आये हुए अफसरोंके नियमानुसार उसे पेनशन मिलती। कमाडैंटको १,२०० और तीनो अफसरोंको ८।८ सो रुपये मासिक वेतन मिलता था। इनके सिवा १ गोरा एञ्जिनियर तथा छ गोरे मिस्त्री और १२ हिन्दुस्थानी मिस्त्री तथा एक स्टोर कीपर थे। बाद भारतसचिवने ऐसिस्टेंट "डाइरेक्टर आफ ऐरोनाटिक्स" पदकी सृष्टि की। सदरकी आर्डिनेन्स शाखासे इनका सम्बन्ध था और हवाई जहाजोंके विषयमें परामर्श देना इनका काम था। श्रीमार रीवानरेशने इस स्कूलको ५० घोड़ोंकी शक्तिका एक परोप्लेन वा विमान दिया था। यह फी घण्टे ७२ मील उड़ता था। इसके सिवा ८० और ७० घोड़ोंकी शक्तिके दो दो परोप्लेन थे। सीतापुरके हवाई जहाजोंका अड्डा ४०० एकड़ जमीनपर है। पहले पहल रीवावाला परोप्लेन २४ फरवरी १९१४ को उड़ा था।

भारत सरकारकी आगारा सेना सेवा विभागके अधीन हैं।

है और रायल एयर फोर्स कहाती है। इसके सचालक वा कमाडरको "एयर कामोडोर" कहते हैं और ये भी प्रधान सेनापतिकी ऐडवाइजरी कौन्सिलके मेम्बर होते हैं। रायल एयर फोर्समें ८ स्काड्रन होते हैं। इनमें ४ स्काड्रनोंकी १ और २ स्काड्रनोंकी १ "विंग" होती है। बाकी २ स्काड्रनो, एयर फोर्स स्कूल, एयरक्राफ्ट डिपो और फैक्टरीकी व्यवस्था रायल एयर फोर्स हेडकार्टर्ससे होती है।

निकोलसन कमिटी। भारत सरकारने सेना विभागके व्ययकी जाचके लिये फील्डमार्शल सर विलियम निकोल सनकी अध्यक्षतामें एक कमिटी बनायी थी। जेनरल स्टाफके चीफ लेफ्टेनेंट जेनरल सर पर्सी लेक, ले० जेनरल सर गवर्ट रफैलन और मद्रास सरकारके चीफ सेक्रेटरी सर विलियम मेयर इसके मेम्बर नियुक्त हुए थे। इस बीचमें फील्ड मार्शल निको-लसन लार्ड बना दिये गये और सर विलियम मेयर भारत सरकारके अर्थव्यवस्था सदस्य नियत हुए। मई १९१२ में कमिटीकी बैठक शिमलेमें हुई। कमिटीको इन तीन बातोंपर विचार कर रिपोर्ट करनेका भार दिया गया था —(१) भारतको वे भीतरी या बाहरी कौनसी अवस्थाएं हैं जो वर्त्तमान हैं या कुछ ही वर्षों में उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें सैनिक बलके प्रयोगकी आवश्यकता हो, (२) इनके लिये कैसी और कितनी सेनाकी आवश्यकता है, और (३) आवश्यक सेना रखकर उसका

खर्च कैसे घटाया जा सकता है। १६१३ के अप्रेलतक यह कमिटी गुप्त रूपसे विचार करती रही और इसी समय लार्ड निकोलसन इङ्गलैण्ड चले गये। कामन्स सभामें कहा गया कि निकोलसन कमिटीकी रिपोर्ट प्रकाशित न की जायगी। पर "टाइम्सके" सैनिक संवाददाताने २ री जून १६१३ के अंकमें लिखा कि कमिटीमें मतभेद हो गया है। लार्ड निकोलसन और सर विलियम मेयर एक ओर हैं और उन्हींका मताधिक्य है, क्योंकि अध्यक्षके नाते वे दो मत दे सकते थे। सर पर्सी लेक और सर रावर्ट स्कैलनने उनके कई प्रस्तावोंके विरुद्ध मत दिया है। इससे समझा गया कि लार्ड निकोलसन और सर विलियम मेयरने खर्च घटानेकी सम्मति दी है। १६१४ की १४ वीं जनवरीको बड़ी व्यवस्थापिका सभामें सरकारकी-ओरसे कहा गया कि रिपोर्ट न प्रकाशित की जायगी।

एशर कमिटी।

इसके ४ वर्ष बाद जुलाई १६१६ में सूचना मिली कि ब्रिटिश युद्धसचिवकी सम्मतिसे भारतसचिवने भारतीय सेनाके संघटन और व्यवस्थापर परामर्श देनेके लिये वाइकाउण्ट एशरकी अध्यक्षतामें एक कमिटी नियुक्त की है, जिसके मेम्बर पंजाबके पुराने लाट सर माइकेल ओडायर, सर जी० फेल, ले० जे० सर एच० वी० कावस, ले० जे० सर मी० डब्ल्यू० जैकब, ले० ज० सर एच० हडसन, ले० जे० जे० पी डुकेन, मेजर जेनरल सर डब्ल्यू० गिलमैन, मलिक सर उमर हयात खा और सर कृष्ण गुप्त।

इस कमिटीकी रिपोर्ट १९२० में निकली और इसने यह राय दी कि (१) (अ) इण्डिया आफिसका प्रत्येक विषयका नियंत्रण कम किया जाय, (२) फौजी ऊचे दर्जेका कोई अफसर इण्डिया कौन्सिलका मेम्बर न रखा जाय, (३) इण्डिया आफिसके मिलिटरी डिपार्टमेंटका सेक्रेटरी इम्पीरियल जेनरल स्टाफका डिपटी चीफ नियुक्त किया जाय और चीफ ही स्वयं या इसके द्वारा भारतसचिवका एकमात्र उत्तरदायित्वपूर्ण सैनिक परामर्शदाता रहे।

(२) भारतका प्रधान सेनापति ही भारत सरकारका एकमात्र सैनिक परामर्शदाता, सेनाका व्यवस्थापक और मुखिया हो और सेना विभाग तथा हेडकार्टर्स स्टाफ इसके अधीन मिला दिये जाय।

(३) (अ) महासमरके दिनोंमें भारतमें जो डिफेन्स कमिटी स्थापित हुई थी, वह तोडी न जाय, (आ) एक मिलिटरी कौन्सिल स्थापित की जाय, (इ) चार आर्मी कमाडरोंको जेनरल आफिसर कमाडिङ्ग इन-चीफ बनाकर इनके अधीन चार कमाड करके अधिकारोंका विभाग किया जाय।

(४) सेनाके सब कर्मचारियोंसे उदारता और सहानुभूतिका बर्त्ताव किया जाय और यदि उनकी कोई शिकायतें हों तो दूर की जायं।

(५) वर्त्तमान सेनाका पुनर्स्संघटन किया जाय और नयी सेनाएं उन्नत और सज्जित की जाय।

खर्च कैसे घटाया जा सकता है। १९१३ के अप्रेलतक यह कमिटी गुप्त रूपसे विचार करती रही और इसी समय लार्ड निकोलसन इङ्गलैण्ड चले गये। कामन्स सभामें कहा गया कि निकोलसन कमिटीकी रिपोर्ट प्रकाशित न की जायगी। पर "टाइम्सके" सैनिक सवाददाताने २ री जून १९१३ के अकमें लिखा कि कमिटीमें मतभेद हो गया है। लार्ड निकोलसन और सर विलियम मेयर एक ओर हैं और उन्हीका मताधिक्य है, क्योंकि अध्यक्षके नाते वे दो मत दे सकते थे। सर पर्सी लेक और सर राबर्ट रकैलनने उनके कई प्रस्तावोंके विरुद्ध मत दिया है। इससे समझा गया कि लार्ड निकोलसन और सर विलियम मेयरने खर्च घटानेकी सम्मति दी है। १९१४ की १४ वीं जनवरीको बडी व्यवस्थापिका सभामे सरकारकी ओरसे कहा गया कि रिपोर्ट न प्रकाशित की जायगी।

एशर कमिटी। इसके ४ वर्ष बाद जुलाई १९१९ में सूचना मिली कि ब्रिटिश युद्धसचिवकी सम्मतिसे भारतसचिवने भारतीय सेनाके सघटन और व्यवस्थापर परामर्श देनेके लिये वाइकाउण्ट एशरकी अध्यक्षतामें एक कमिटी नियुक्त की है, जिसके मेम्बर पजाबकेपुराने लाट सर माइकेल ओडायर, सर जी० फेल, ले० जे० सर एच० बी० काक्स, ले० जे० सर सी० डब्ल्यू० जैकब, ले० ज० सर एच० हडसन, ले० जे० जे० पी डुकेन, मेजर जेनरल सर डब्ल्यू० गिलमैन, मलिक सर उमर हयाल खा और सर कृष्ण गुप्त।

इस कमिटीकी रिपोर्ट १६२० में निकली और इसने यह राय दी कि (१)(अ) इण्डिया आफिसका प्रत्येक विषयका नियंत्रण कम किया जाय, (२) फौजी ऊचे दर्जेका कोई अफसर इण्डिया कौन्सिलका मेम्बर न रखा जाय, (३) इण्डिया आफिसके मिलिटरी डिपार्टमेंटका सेक्रेटरी इम्पीरियल जेनरल स्टाफका डिपटी चीफ नियुक्त किया जाय और चीफ ही स्वयं या इसके द्वारा भारतसचिवका एकमात्र उत्तरदायित्वपूर्ण सैनिक परामर्शदाता रहे।

(२) भारतका प्रधान सेनापति ही भारत सरकारका एकमात्र सैनिक परामर्शदाता, सेनाका व्यवस्थापक और मुखिया हो और सेना विभाग तथा हेडक्वार्टर्स स्टाफ इसके अधीन मिला दिये जाय।

(३) (अ) महासमरके दिनोंमें भारतमें जो डिफेन्स कमिटी स्थापित हुई थी, वह तोडी न जाय, (आ) एक मिलिटरी कौन्सिल स्थापित की जाय, (इ) चार आर्मी कमाण्डरोंको जेनरल आफिसर कमाण्डिङ्ग इन-चीफ बनाकर इनके अधीन चार कमाण्ड करके अधिकारोंका विभाग किया जाय।

(४) सेनाके सब कर्मचारियोंसे उदारता और सहानुभूतिका बर्त्ताव किया जाय और यदि उनकी कोई शिकायतें हों तो दूर की जायं।

(५) वर्त्तमान सेनाका पुनस्संघटन किया जाय और नयी सेनाए उन्नत और सज्जित की जाय।

इस रिपोर्टके कई अंशोंपर सर कृष्ण गुप्तने अपना मतभेद-पत्र लिखा। रिपोर्टकी बड़ी निन्दा हुई, क्योंकि इसके अनुसार भारतीय सेना ब्रिटिश सेनाका अंश बन जायगी और इसका अभिप्राय भारतकी रक्षा नहीं, बल्कि मध्य एशियामें युद्धकी तैयारी होगा। इण्डिया आफिसकी एक कमिटीने भी रिपोर्टकी निन्दा की और भारतसरकारने भी इसे पसन्द नहीं किया। अन्तको भारत सरकारने व्यवस्थापिका परिषद्की एक कमिटी बनायी, जिसने इसपर १५ प्रस्ताव तैयार किये। इनमें कई प्रस्ताव परिषद्ने संशोधनपूर्वक पास किये और सङ्घटन सम्बन्धी प्रस्ताव रद्द कर दिया। आशा की जाती है कि भारतसचिव लोकमतके ऐसे तीव्र विरोधकी सर्वथा उपेक्षा न करेंगे।



स्थानिक स्वराज्य।

—❧—

> लोकल गवर्नमेंट और स्थानिक स्वराज्य।

स्थानिक स्वराज्यको अंगरेजीमें "लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट" कहते हैं और इङ्गलैण्डमें यह "लोकल गवर्नमेण्ट" कहाता है। इङ्गलैण्डका शासन वहांके लोग करते हैं और भारतका शासन विदेशियोंके हाथमें है, इस लिये "लोकल" और "गवर्नमेण्ट" शब्दोंके बीचमें यह "सेल्फ" शब्द बैठाया गया है। इसके सिवा यहां "लोकल गवर्नमेण्ट" प्रादेशिक सरकारके अर्थमें प्रयुक्त होता है, इस लिये स्थानिक शासनके लिये उसका प्रयोग करनेसे गड़बड़ीकी सम्भावना थी। "लोकल गवर्नमेण्टकी" परिभाषा डब्ल्यू० बी० [illegible]ने इस प्रकारकी है,—"लोकल गवर्नमेण्टसे उन विषयोंके शासनका अभिप्राय है, जिनका समस्त राष्ट्रसे नहीं, बल्कि किसी विशेष स्थान या जिलेसे ही सम्बन्ध हो। अपने पड़ोस या पड़ोसियोंके प्रति अंगरेज नागरिकके कर्त्तव्योंका सम्बन्ध ही लोकल गवर्नमेंट है। गरीबों और असमर्थोंकी सहायता और उनके भोजनादिकी व्यवस्था करना उसका कर्त्तव्य है। यह भी उसका कर्त्तव्य है कि कोई किसी प्रकार लोकाहितकर कार्य न करे—ऐसा कोई काम आप अपने घरपर न करे और

किसीको करने दे जिससे स्वास्थ्यको हानि पहुचे अथवा कोई मनुष्य अपनी सम्पत्तिका भोग न कर सके। स्वच्छ वायु, शुद्ध भोजन और अच्छा जल सार्वजनिक स्वास्थ्यके लिये आवश्यक हैं। लोकल गवर्नमेंटका काम है कि वह इस बातकी व्यवस्था करे कि लोगोंको स्वच्छ जल, विशुद्ध भोजन और दोषरहित वायु मिले, सड़कोंपर अच्छी तरह रोशनी हो और राजमार्ग सुरक्षित तथा यथेष्ट हों।" मेमर्स रेडलिच और हर्स्ट कहते हैं कि "स्थान विशेषमें वहाके अधिवासियों वा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उन कर्त्तव्योंके आचरण वा अधिकारोंके उपयोगको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जो सामान्य व्यवस्था वा पार्लमेण्ट द्वारा उन्हें प्राप्त हो।" इङ्गलैण्डकी लोकल गवर्नमेण्टकी इन दोनो परिभाषाओंसे भारतकी लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट वा स्थानिक स्वराज्यमें यह अन्तर है कि इङ्गलैण्डमें अपने जिले, शहर, कस्बे या गावके शासनकार्यमें सम्मिलित होना वहाकी प्रजाका नैसर्गिक स्वत्व है और स्थानिक शासन-कर्त्ताओंपर सरकारका क्या अधिकार है यह पार्लमेण्टके कानूनोंसे स्पष्ट कर दिया गया है और सरकार मनमानी नहीं कर सकती। पर यहा कानूनसे लोगोंको स्थानिक स्वराज्यके अधिकार प्राप्त हैं और सरकारको अपनी आज्ञा पालन करानेका पूर्ण अधिकार है। आजर्सने लोकल गवर्नमेण्टके जो कर्त्तव्य बताये हैं, उनसे लोकल सेल्फ गवर्नमेण्टमें कुछ विभिन्नता है जो आगे चलकर मालूम होगी।

म्यूनिसिपैलिटियोंका आरम्भ।

स्थानिक स्वराज्यका काम जिन संस्थाओंसे चलता है, वे म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट और लोकल बोर्ड तथा ट्रस्ट नामसे प्रसिद्ध हैं। कलकत्ते, बम्बई और मद्रासकी म्युनिसिपैलिटियां भारतके अन्य स्थानोंकी म्यूनिसिपैलिटियोंसे पुरानी हैं और इनका इतिहास भी उनसे भिन्न है। इन्हें म्यूनिसिपैलिटीके बदले "म्यूनिसिपल कार्पोरेशन" कहते हैं। नगरोंके नामके साथ कार्पोरेशन लिख देनेसे ही उक्त प्रेसिडेन्सी नगरकी म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कार्पोरेशनका बोध होता है। प्रेसिडेन्सी नगरोंकी कार्पोरेशनोंमें भी मद्रासकी कार्पोरेशन सबसे पुरानी है। सन् १६८७ में इङ्गलैण्डके महाराज द्वितीय जेम्सने ईस्ट इण्डिया कम्पनीको रायल चार्टरसे (शाही फर्मानसे) मद्रासमें मेयर्स कोर्ट और कार्पोरेशन स्थापित करनेका अधिकार दिया था। इसके अनुसार जो कार्पोरेशन बनी, उसमें अङ्गरेज और हिन्दुस्थानी दोनो थे और दोनोंको समान अधिकार दिये गये थे। इन्हें प्रति वर्ष अपना मेयर चुनने और टाउनहाल या सार्वजनिक हितका कोई भवन बनानेके लिये लोगोंपर कर बैठानेका और मेयर्स कोर्टको दीवानी और फौजदारी मामलोंका फैसला करनेका अधिकार दिया गया। इस कार्पोरेशनमें एक मेयर, १२ एल्डरमैन और ६० बर्जेस होते थे। पर यह कार्पोरेशन चिरस्थायी नहीं हुई। इसके बाद कर बैठानेका अधिकार पहले पहल १७९३ के

के लिये उसके प्रति स्थानिक लोगोंके अनुराग और निरीक्षणकी आवश्यकता है। १८७१ में एक और "टाउन्स इम्प्रूवमेण्ट ऐक्ट" पास किया गया, जिसमें शहरों और म्यूनिसिपैलिटीके अन्तर्गत स्थानोंके प्रबन्ध, विशेषकर स्वास्थ्य और सफाईकी व्यवस्था की गयी। पर इससे भी स्थानिक संस्थाओंकी जैसी उन्नति होनी चाहिये थी, वैसी नहीं हुई। इसका कारण यह था कि म्यूनिसिपैलिटियोंसे पुलिसके लिये भी खर्च लिया जाता था और इसके नियन्त्रणका अधिकार सरकारको था। लार्ड रिपनने देखा कि स्थानिक संस्थाओंकी उन्नति न होनेका कारण अधिकारियोंका हस्तक्षेप है। इसके सिवा जिला अफसरोंका कार्य निरन्तर बढ़ रहा है, इस लिये स्थानिक संस्थाओंका कार्य लोगोंको सौंपना चाहिये। इस व्यवस्थासे कार्य कुछ इससे अच्छा न होगा और लोगोंसे बड़ी भूलें भी होंगी, पर उन्हें स्वराज्यकी शिक्षा मिलेगी। यह बात लार्ड रिपन नहीं मानते थे कि इस देशके लोग स्वराज्यके सिद्धान्तकी उपेक्षा करते हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेण्ट ही यह कार्य भी किया करे। लार्ड रिपनने १८८२ में स्थानिक स्वराज्यपर जो मन्तव्य प्रकाशित किया था, उसमें स्पष्ट ही कह दिया था कि यह जिला-अफसरोंका मत है, पर शिक्षाके प्रचारके साथ ही ऐसे लोकहितैषी मनुष्य उत्पन्न होंगे, जिनका उपयोग न करना अपनी शक्तिका नाश करना होगा। जबतक जिला-अफसर म्यूनिसिपैलिटीका चेयरमैन होता रहेगा, तबतक

लोगोंको स्वराज्यकी उपयुक्त शिक्षा न मिलेगी और जी लगाकर तथा अपना उत्तरदायित्व समझकर वे कार्य भी न करेंगे। इस लिये चेयरमैन और कमसे कम दोतिहाई मेम्बर निर्वाचित हुआ करें और जिला-अफसर चेयरमैन न बनाया जाय। यदि कहीं वह चेयरमैन हो भी तो उसे मत (वोट) देनेका अधिकार न रहे। साधारणत गैरसरकारी चेयरमैन हो और उसे मेम्बर निर्वाचित किया करें। लाइसेन्स टैक्स, कानीहौसों और उतारेकी नावोंकी आय भी म्यूनिसिपैलिटियोंको दे दी जाय। स्थानिक करोंसे जो आय हो, उसका व्यय करनेका अधिकार भी उन्हें रहे। १८८३-८४ में कई ऐक्ट पास हुए जिनसे जिनले म्यूनिसिपैलिटियोंके सघटन, अधिकारों और कार्यों में बहुतसे परिवर्त्तन हुए। निर्वाचित सदस्योंकी सख्यामें वृद्धि हुई। कई शहरोंकी म्यूनिसिपैलिटियोंको गैरसरकारी आदमीको चेयरमैन निर्वाचित करनेका अधिकार मिला। म्यूनिसिपैलिटियोंकी आमदनी और आर्थिकउत्तरदायित्व बढ़ानेके लिये प्रादेशिक सरकारकी कुछ ऐसी आमदनी उन्हें मिल गयी जिसकी उन्नति वे ही कर सकतीं थी और उसी हिसाबसे प्रादेशिक व्यय भी उनके साथ लगा दिया गया। पञ्जाब, युक्त प्रदेश आदि कई प्रदेशोंके कई स्थानोंमें म्यूनिसिपैलिटीके बदले "नोटिफाइड एरिया" हैं। जो स्थान म्यूनिसिपैलिटीके योग्य नहीं समझे जाते, म्यूनिसिपैलिटीका काम करनेके लिये वहा म्यूनिसिपल ऐक्टकी कुछ धाराओंका प्रयोग होता है। वहा म्यूनिसिपैलिटी

का कार्य करनेवाली संस्था "नोटिफाइड एरिया" कहाती है। यह एक प्रकारकी गर्भस्थ म्यूनिसिपैलिटी है। कहीं तो "नोटिफाइड एरिया" म्यूनिसिपैलिटीमें परिणत होता है और कहीं किसी कारणसे म्यूनिसिपैलिटी तोडकर "नोटिफाइड एरिया" बनायी जाती है। नोटिफाइड एरियाका खर्च कम होता है और उसका कार्य सरकारकी मनोनीत कमिटी करती है। १८९६ में लार्ड एलगिनकी सरकारने एक मन्तव्य प्रकाशित करके म्यूनिसिपैलिटियोंकी उन्नतिपर सन्तोष प्रकट किया था।

सरकारकी म्यूनिसिपल नीति।

इसके बाद १९१४ में स्थानिक स्वराज्यके विषयमें लार्ड हार्डिंजकी सरकारने एक मन्तव्य प्रकाशित किया। इसमें Decentralization Commission या अविकेन्द्रीकरण कमीशनकी सूचनाओंपर विचार कर भावी नीति बतायी गयी है। इसके अनुसार म्यूनिसिपैलिटियोंमें (१) निर्वाचित सदस्योंका यथेष्ट बहुमत होना चाहिये। (२) चेयरमैन गैरसरकारी मनुष्य निर्वाचित होना चाहिये और जहां योग्य उम्मेदवार न मिले, वहां सरकारको गैरसरकारी मनुष्यको चेयरमैन मनोनीत करनेका अधिकार होना चाहिये। यदि कोई सरकारी अफसर चेयरमैन निर्वाचित किया जाय, तो कमिश्नर या उससे अधिकारियोंसे निर्वाचन स्वीकृत कराना चाहिये। (३) जहां निर्वाचित चेयरमैन हो, वहां म्यूनिसिपैलिटीका काम चलानेके

लिये एक कर्मचारीकी नियुक्ति आवश्यक है। छोटी म्यूनिसिपैलिटियोंमें यहुतसे अधिकार उत्तरदायित्वपूर्ण सेक्रेटरियों, एञ्जिनियरों और हेल्थ अफसरोंको देना चाहिये (४) कमीशनका मत था कि जिस कामके लिये म्यूनिसिपैलिटीसे धन लिया जाय, उसके नियन्त्रणका अधिकार भी उसे ही रहे। पर प्रादेशिक सरकारद्वारा जिस कार्यके नियन्त्रणकी आवश्यकता समझी जाय, उसका व्यय भी सरकार ही दे। सरकारने सर्वांशमें इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि नियन्त्रण और निरीक्षणके लिये और जो काम सरकारद्वारा ही अच्छी तरहसे हो सकता हो, उनके व्ययनिर्वाहके लिये जो धन म्यूनिसिपैलिटीसे लिया जाय, वह उसे लौटा दिया जाय। (५) म्यूनिसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ आफसर और एञ्जिनियरकी बहाली और बरखास्तगीके लिये तो सरकारकी मञ्जूरी ली जाया करे, पर म्यूनिसिपैलिटीको अन्य कर्मचारी रखने या छुडानेका अधिकार रहे। (६) म्यूनिसिपैलिटीके मन्तव्योंके अनुसार होनेवाले कार्य बन्द कर देनेका कलेक्टरको और जिस म्यूनिसिपैलिटीने किसी कार्यकी उपेक्षा या उसमें भूल की है, उससे वह कार्य करानेका कमिशनरको जैसा अधिकार अभी है, वैसा बना रहे। (७) छोटी और गरीब म्यूनिसिपैलिटियोंको अपना काम चलानेके लिये प्रादेशिक सरकार आर्थिक सहायता दे। अकालके कष्ट निवारणका उत्तरदायित्व म्यूनिसिपैलिटियोंपर न रहे तथा संक्रामक रोगोंके आक्रमणके समय सरकार उनकी

सहायता करे। (८) म्यूनिसिपैलिटियोंको अपने बजे बनानेका अधिकार रहे, पर प्रादेशिक सरकारकी निर्द्धारि रोकड़राशी उनके खजानेमें रहे। ऋणोंके विषयमें प्रादेशि सरकार म्यूनिसिपैलिटीका नियन्त्रण किया करे और उ ऋणग्रस्त म्यूनिसिपैलिटीसे ऋण या व्याज चुकवानेका अधिका हो। (९) ऋण लेकर म्यूनिसिपैलिटिया जो कार्य करे उनकी स्कीमोंकी जाच प्रादेशिक सरकारें भली भाति क लिया करे।

म्यूनिसिपैलिटियोंके कार्य और अधिकार।

म्यूनिसिपैलिटियोंके तीन प्रधान कार्य हैं, सार्वजनिक रक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा, विशेषत प्राथमिक शिक्षाका प्रबन्ध करना। सड़के बनाना, उनकी मरम्मत करना, उनपर रोशनी रखना और सरकारी तथा म्यूनिसिपल इमारतें ठीक रखना ये काम सार्वजनिक रक्षाके अन्तर्गत है। दवा दारू, सफाई, गन्दे पानीकी नालियों और पीनेके पानीकी कलका प्रबन्ध और सक्रामक रोगोंसे लोगोंको बचानेका उपाय करना स्वास्थ्यरक्षा है। पहले अकालके कष्टनिवारणका भार भी म्यूनिसिपैलिटियोंपर ही था, पर अब कई प्रदेशोंमें यह उनपरसे उठा लिया गया है और बाकीसे भी उठाया जायगा। इन कामोंके लिये म्यूनिसिपैलिटियोंको कुछ टैक्सोंकी आमदनी भी मिली है। यह आमदनी इस प्रकार

(१) चुंगी—यह टैक्स युक्त और

सीमा प्रदेश, बम्बई और मध्य प्रदेश, विहारके सम्भल पुर और दिल्लीकी म्यूनिसिपैलिटियोंके अन्दर लगता है। युक्तप्रदेशमें इस करको बडी प्रधानता है और इसी कारण आगरा, अलीगढ आदि कई जिलोंमें म्यूनिसिपैलिटीको चुंगी कहते हैं। युक्तप्रदेशमें चुंगीके बदले छोटी म्यूनिसिपैलिटियोंमें प्रत्यक्ष कर और बडीमें सीमान्त कर बैठानेका प्रस्ताव भारत सरकारने स्वीकृत कर लिया है। जो माल और जानवर म्यूनिसिपैलिटीके अन्दर आते हैं, उनपर ही चुंगी लगती है। पर नया कर आने या जानेवाले मालपर लगेगा। चुंगीकी रकम तो वापस भी मिलती है, यदि माल फिर बाहर चला जाय, पर नये टैक्सकी रकम वापस न मिलेगी। बम्बई सरकारने कई म्यूनिसिपैलिटियोंमें चुंगीके बदले सीमान्त कर बैठाया है। अन्य प्रदेशोंमें इसपर विचार हो रहा है।

२) जमीनों और मकानोंपर कर—यह कर मद्रास, बम्बई, मध्यप्रदेश, विहार-उडीसे, बङ्गाल, आसाम और बर्माकी म्यूनिसिपैलिटियोंकी आयका प्रधान साधन है। युक्तप्रदेश और पंजाबके सिवा अन्य प्रदेशोंकी कई म्यूनिसिपैलिटियोंमें भी यह कर लगता है।

३) व्यापार और पेशोंपर कर या लाइसेन्स टैक्स—यह बम्बई, मद्रास, बङ्गाल, युक्तप्रदेश, विहार-उडीसे,

मध्यप्रदेश और कुर्गकी म्यूनिसिपैलिटियोंमें लगता है। पंजाब, बर्म्मा, आसाम, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश इससे बचे हैं।

(४) सड़कों और पुलोंपर कर—सड़कोंका कर मद्रास, बम्बई और आसाममें हैं। जहां नदियोंपर पुल हैं वहां पुलोंसे आनेजानेका कर लिया जाता है।

(५) गाडियों, सवारियों, पालकियों और नावों तथा जानवरोंपर कर—ये कर सभी प्रदेशोंमें लगते हैं।

(६) पानी, रोशनी, नालियोंकी सफाई, पायखानों आदिके लिये कर—ये कर भी प्राय सभी प्रदेशोंमें लगते हैं। पानीका कर जलकलवाले स्थानोंमें ही लगता है।

(७) हैसियत और जायदादपर टैक्स।

(८) घराऊ नौकरोंपर टैक्स।

(९) प्राइवेट जानवरोंपर टैक्स।

(१०) उन जानवरों और गाडियोंकी रजिस्ट्रीपर टैक्स, जो म्यूनिसिपैलिटीके अन्दर बिकती हैं।

इन टैक्सोंके सिवा पुष्कर काशी, अयोध्या और हरद्वारमें यात्रियोंपर टैक्स लगता है। पुष्कर और हरद्वारको छोड उक्त तीनो तीर्थों में मेलोंपर ही टैक्स लगाया जाता है। ऊपर लिखे हुए सभी टैक्स किसी एक प्रदेशमें नहीं लगते। और जब नया टैक्स बैठाया

या पुरानेमें हेरफेर किया जाता है, तब सरकारकी मंजूरी लेनी पडती है।

१९१२-१३ में ७०१ म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय ४,१२,४२,६७०) थी। दस वर्ष पहले ७५३ म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय २,७६,६१,२१५)। सरकारकी आर्थिक सहायता आयकी इस वृद्धिका बडा भारी कारण हुई है। १९११से भारत सरकारने ४,६१,४७,०००) दिये हैं जिनमें ५५,२३,०००) वार्षिक नगरोंकी स्वच्छताके लिये हैं। शिक्षाके लिये सरकारने १९११ से ५,६८,१७,०००) दिये हैं और जिसमें १,२४,००,००० का वार्षिक दान है। इन रकमोंमें म्यूनिसिपैलिटियोंने क्या पाया है यह ठीक ठीक मालूम नहीं है। पिछले तीस वर्षमें ही म्यूनिसिपैलिटिया पुलिसका खर्च देनेसे बरी की गयी हैं। इन सब कारणोंसे आमदनीमें यह बाढ आयी है। म्यूनिसिपैलिटियोकी इस आयमें प्रेसिडेन्सी शहरों और रंगूनकी म्यूनिसिपैलिटियोकी आय नहीं जोडी गयी है। कई प्रदेशोंमें शिक्षा अस्पतालों और पशुचिकित्साके लिये म्यूनिसिपैलिटियोंको सरकारसे आर्थिक सहायता मिलती है। जलकल और शहरकी नालियों और मोरियोंका पानी बाहर ले जानेकी व्यवस्था करनेके लिये म्यूनिसिपैलिटियोंको ऋण लेना पडता है। कई प्रदेशोंकी म्यूनिसिपैलिटिया सरकार या कमिशनरोंसे अपने बजेट मजूर कराती हैं। ब्रिटिश भारतमें आजकल प्राय ७३६ म्यूनिसिपैलिटिया है, जिनमें १८० लाख आदमी बसते

मध्यप्रदेश और कुर्गकी म्यूनिसिपैलिटियोंमें लगता है। पंजाब, बर्मा, आसाम, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश इससे बचे हैं।

(४) सडकों और पुलोंपर कर—सडकोंका कर मद्रास, बम्बई और आसाममें हैं। जहां नदियोंपर पुल हैं वहां पुलोंसे आनेजानेका कर लिया जाता है।

(५) गाडियों, सवारियों, पालकियों और नावों तथा जान वरोंपर कर—ये कर सभी प्रदेशोंमें लगते हैं।

(६) पानी, रोशनी, नालियोंकी सफाई, पायखानों आदिके लिये कर—ये कर भी प्राय सभी प्रदेशोंमें लगते हैं। पानीका कर जलकलवाले स्थानोंमें ही लगता है।

(७) हैसियत और जायदादपर टैक्स।

(८) घराऊ नौकरोंपर टैक्स।

(६) प्राइवेट जानवरोंपर टैक्स।

(१०) उन जानवरों और गाडियोंकी रजिस्ट्रीपर टैक्स, जो म्यूनिसिपैल्टीके अन्दर बिकती हैं।

इन टैक्सोंके सिवा पुष्कर काशी, अयोध्या और हरद्वारमें यात्रियोंपर टैक्स लगता है। पुष्कर और हरद्वारको छोड उक्त तीनों तीर्थोंमें मेलोंपर ही टैक्स लगाया जाता है। ऊपर लिखे हुए सभी टैक्स किसी एक प्रदेशमें नहीं लगते। और जब नया टैक्स बैठाया

या पुरालेमें हेरफेर किया जाता है, तब सरकारकी मंजूरी लेनी पडती है।

१९१२-१३ में ७०१ म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय ४,९२,४२,६७५) थी। दस वर्ष पहले ७५२ म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय २,७६,६१,२१५)। सरकारकी आर्थिक सहायता आयकी इस वृद्धिका बडा भारी कारण हुई है। १९११से भारत सरकारने ४,६१,४७,०००) दिये हैं, जिनमें ५५,७३,०००) वार्षिक नगरोंकी स्वच्छताके लिये हैं। शिक्षाके लिये सरकारने १९११ से ५,६८,१७,०००) दिये हैं और जिसमें १,२४,००,००० का वार्षिक दान है। इन रकमोंमें म्यूनिसिपैलिटियोंने क्या पाया है यह ठीक ठीक मालूम नहीं है। पिछले बीस वर्षोंमें ही म्यूनिसिपैलिटिया पुलिसका खर्च देनेसे बरी की गयी हैं। इन सब कारणोंसे आमदनीमें यह बाढ आयी है। म्यूनिसिपैलिटियोंकी इस आयमें प्रेसिडेन्सी शहरों और रंगूनकी म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय नहीं जोडी गयी है। कई प्रदेशोंमें शिक्षा अस्पतालों और पशुचिकित्साके लिये म्यूनिसिपैलिटियोंको सरकारसे आर्थिक सहायता मिलती है। जलकल और शहरकी नालियों और मोरियोंका पानी बाहर ले जानेकी व्यवस्था करनेके लिये म्यूनिसिपैलिटियोंको ऋण लेना पडता है। कई प्रदेशोंकी म्यूनिसिपैलिटियां सरकार या कमिश्नरोंसे अपने बजेट मजूर कराती हैं। ब्रिटिश भारतमें आजकल प्रायः ७३९ म्यूनिसिपैलिटियां हैं, जिनमें १८० लाख आदमी बसते

हैं। म्यूनिसिपैलिटियोंकी आय १७ करोड़ १० लाख रुपये है। इसमें दो तिहाई टैक्ससे और बाकी म्यूनिसिपल सम्पत्ति तथा प्रादेशिक सरकारों और अन्य मार्गोंसे होती है। साधारणतः इनकी आय कम है, क्योंकि इसमे फी सैकडे ३८ तो कलकत्ते, बम्बई, मद्रास और रंगूनकी म्यूनिसिपैलिटियोंकी है। इन चारोंको छोड बाकी हर म्यूनिसिपैलिटीकी औसत आय १५ लाख रुपये है। "विशेष व्यय, ऋण" खातेको छोड म्यूनिसिपैलिटियोंका व्यय १६ करोड ६५ लाख है। इसमें सफाई और आय इमारतोंपर फी सैकड़े १७ और १४, जल कलपर १४, मोरी और ड्रेन ६ और शिक्षापर ८१ है। बम्बई शहरमें शिक्षापर १८ और मध्यप्रदेशमें १५ है।

म्यूनिसिपैलिटियोंका संघटन।

जो लोग म्यूनिसिपैलिटीके अन्दर रहते और उसे टैक्स देते हैं, वे रेटपेयर या करदाता कहाते है। इन करदाताओंमें जो निर्द्धारित वार्षिक कर म्यूनिसिपैलिटीको देते हैं अथवा जिनके पास भूसम्पत्ति है, वे वोटर या मतदाता होते हैं। इन वोटरोंको म्यूनिसिपैलिटीके लिये मेम्बर चुननेका अधिकार होता है। म्यूनिसिपैलिटीके मेम्बर तीन प्रकारके होते हैं,—(१) पदके कारण (२) निर्वाचित और (३) मनोनीत। सरकारी कर्मचारी अपने पद विशेषके कारण मेम्बर होते हैं। पर जो सज्जन सरकारी आज्ञासे म्यूनिसिपैलिटीके मेम्बर होते हैं वे नामिनेटेड या मनोनीत कहाते हैं। वोटरोंद्वारा चुने हुए

सेन्स छीननेका अधिकार होगा। वही बोर्डकी आमद
लेगा और जमा करेगा, कुछ कर्मचारियोंको नियुक्त और अल
कर सकेगा तथा जो काम बोर्ड उसे सौंपेगा, करेगा।

प्रत्येक बोर्डमें दो तरहके मेम्बर होंगे, निर्वाचित औ
मनोनीत। यदि चेयरमैन पहलेसे मेम्बर न हुआ तो वह म
मेम्बर समझा जायगा। जिस म्यूनिसिपैल्टिमें जातिभेद
कारण पृथक् निर्वाचनकी व्यवस्था होगी, उसमें निर्वाचितो
चौथाई मेम्बर मनोनीत किये जायंगे। इनमे दो तो सरका
मनोनीत करेगी, बाकीको मनोनीत करनेका अधिकार कु
संस्थाओंको देगी। जहां उक्त व्यवस्था न होगी, वहा निर्वा
चितोंकी निर्द्धारित संख्यासे तिहाई मनोनीत होंगे, जिन्हें य
तो प्रादेशिक सरकार मनोनीत करेगी या मनोनीत करने
नियम बना देगी। जिस म्यूनिसिपैलिटीमें जातिके अनुसा
मेम्बर निर्वाचित होंगे, उसमें ऐसी समाजोंके मेम्बरोंके निर्वा
चनकी भी व्यवस्था रहेगी, जिन्हें जातिके अनुसार निर्वाचनाधि
कार नहीं मिला है। ऐसी प्रत्येक समाज दोसे अधिक मेम्बर
निर्वाचित न कर सकेगी। बाकी स्थानोंके दो विभाग होंगे,
एक मुसलमानोंके लिये दूसरा गैर-मुसलमानोंके लिये। इनमें
निर्वाचनकी व्यवस्था जनसख्याके अनुसार होगी। म्यूनिसि
पैलिटीके मुसलमानोंकी संख्या यदि समस्त जनसख्याकी
चोथाईसे कम होगी, तो वह ३/१० और बढा दी जायगी और
यदि फी सैकडे २८॥ होगी, तो उतनी ही बढायी जायगी,

जितनीसे उल्लिखित परिमाणपर पहुंच जाय। इसी कल्पित जनसंख्याके अनुसार मुस्लिम और गैरमुस्लिम अपने मेम्बर निर्वाचित करेंगे। प्रत्येक मेम्बर ३ वर्षके लिये निर्वाचित होगा। सेक्रेटरीके सिवा किसी मेम्बरको पारिश्रमिक न मिलेगा। प्रत्येक बोर्डको निर्द्धारित रोकड़बाकी रखकर अपना बजेट बनानेका अधिकार होगा, पर वह प्रादेशिक सरकारको भेजा जायगा। किसी बोर्डपर अधिक ऋण होनेके कारण उसका यह अधिकार छीन लिया जायगा। किसी आवश्यक कामको बोर्डसे कराने और हानिकर कामका होना रोकनेका अधिकार जिलेके मैजिस्ट्रेट और डिवीजनके कमिशनरको है। प्रादेशिक सरकार बोर्डको तोड़कर नया बोर्ड बना उसका काम ले सकती है।

पंजाब। १९११ के ऐक्टके अनुसार प्रादेशिक सरकार निर्वाचित और मनोनीत सदस्योंकी संख्या निर्द्धारित करती है, पर नियम है कि किसी कमिटीमें एक तिहाईसे अधिक मनोनीत मेम्बर न हों। कमिटी अपना चेयरमैन निर्वाचित कर सकती हैं, पर निर्वाचन स्वीकार करना न करना सरकार या डिवीजनोंके कमिशनरोंके अधीन है। १९११-१२ के अन्तमें पंजाबमें १०७ म्यूनिसिपैलिटियां और १०४ "नोटिफाइड एरिया" थे। केवल ७५ म्यूनिसिपैलिटियोंमें ही निर्वाचित सदस्य थे। १९११ से प्रादेशिक सरकारने म्यूनिसिपैलिटियोंसे पुलिसका [illegible] किया। आजकल [illegible] म्युनिसिपैलिटियां हैं

वेतन पानेवाले कर्मचारी तथा हेल्थ अफसर और एंजिनियर नियुक्त करनेमें कार्पोरेशनको सरकारकी स्वीकृति लेनी पडती है। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके मन्त्रित्वमें नया ऐक्ट पास हुआ है और अब अगला निर्वाचन इसीके अनुसार होगा।

नये ऐक्टके अनुसार कार्पोरेशनके मेम्बर कौंसिलर और चेयरमैन मेयर कहावेंगे। कुल ९० कौन्सिलर होंगे और इनमें ८० करदाताओंद्वारा निर्वाचित होंगे। मेयरके सिवा एक चीफ एग्जिक्युटिव अफिसर भी होगा और दोनोंको कौन्सिलर चुनेंगे। पिछलेका चुनाव सरकारसे मंजूर कराना होगा। १०) सालाना टैक्स देनेवाला वोटर होगा और किसीको एकसे अधिक वोट देनेका अधिकार न होगा। स्त्रियां भी वोटर होंगी। नयी व्यवस्थासे जेनरल कमिटी कार्पोरेशनके अधीन हो गयी है। मुसलमानोंको स्वतन्त्र निर्वाचनाधिकार मिला है।

बम्बई कार्पोरेशनको १८७२ में कमिशनरोंके निर्वाचनका अधिकार मिला था और १८८८ में इस ऐक्टका जो संशोधन हुआ था, उसीके अनुसार आज भी उसका काम चलाया जाता है। कार्पोरेशनमें ७२ सदस्य हैं जिनमें ३६ तो मुहल्लोंसे निर्वाचित होते हैं, १६ का निर्वाचन जस्टिसेज आव दि पीस और २ का बम्बई चेम्बर तथा २ का विश्वविद्यालयके फेलो करते हैं; बाकी १६ को सरकार नियुक्त करती है। समस्त प्रबन्ध कार्पोरेशनके अधीन है, पर उसका साधारण कार्य करने

के लिये एक स्थायी समिति बनी है। इसमें १२ सदस्य हैं जिनमें ८ कार्पोरेशन और ४ सरकार नियुक्त करती है। कार्पोरेशनका प्रेसिडेण्ट या अध्यक्ष उसके मेम्बर ही चुनते हैं, पर वह कार्यकर्त्ता नहीं होता। कार्यसंचालनके लिये सरकार एक सिविलियन नियुक्त करती है जिसे म्यूनिसिपल कमिशनर कहते हैं। ४१ सदस्योंकी सम्मतिसे यह पदच्युत किया जा सकता है। इसका सहायक डिपटी कमिशनर कार्पोरेशनद्वारा नियुक्त होता है, पर सरकारसे नियुक्ति स्वीकार करानी पड़ती है। कमिशनरका कार्यक्षेत्र विस्तृत है। किसी विषयमें तो स्थायी समितिकी और किसी विषयमें कार्पोरेशनकी स्वीकृति इसे लेनी पड़ती है। १९०७ से शहरकी पुलिसका खर्च कार्पोरेशनको नहीं देना पड़ता। १९१२ मे कार्पोरेशनकी आय ३२,१७,०००) पौंड या ४,८५,५५,०००) रुपये थी। उसने १०॥) सैकड़ेके हिसाबसे कर लिया था। कमसे कम ८) सैकड़े और अधिक से अधिक १२) सैकड़े कर लिया जा सकता है। इस वर्ष कार्पोरेशनका देना ४० लाख पौंडसे कुछ अधिक और पावना ६० लाख पौंड था। कार्पोरेशनको बजेट पास करने और निर्द्धारित सीमातक कर घटाने बढ़ानेका अधिकार है।

मद्रासके लिये १९०४ में जो ऐक्ट पास हुआ था, उससे प्रेसिडेंटके सिवा कमिशनरोंकी सख्या ३२ से ३६ की गयी और मद्रास चेम्बर तथा मद्रास ट्रेड्स एसोशियेशन द्वारा ३।३ मेम्बरों तथा प्रादेशिक सरकारकी आज्ञासे किसी संस्था या

समाजद्वारा २ मेम्बरोंके निर्वाचनकी व्यवस्था हुई। २० का निर्वाचन मुहल्लोंके लोग करते हैं, बाकी मेम्बरों और अध्यक्षको सरकार नियुक्त करती है। कलकत्ता कार्पोरेशनकी तरह यहा भी कार्यकर्त्ता अध्यक्ष ही हैं, पर २८ सदस्योंकी सम्मतिसे वे पदच्युत किये जा सकते हैं। ६८२५ पुरुषों अर्थात् फी सैकड़े ६ पुरुषोंको मत देनेका अधिकार है। यहा सरकारकी कड़ाई अधिक है। हेल्थ अफसर और एञ्जिनियर नियुक्त करनेके लिये सरकारकी स्वीकृतिकी आवश्यकता होती है। आदमी पीछे ३।८) टैक्स लगता है। प्राथमिक शिक्षाके लिये कार्पोरेशनने ४० स्कूल खोल रखे हैं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड।

शहरोंमें म्यूनिसिपैलिटियोंका जो काम है, देहातोंमें वह लोकल (स्थानीय) या डिस्ट्रिक्ट (जिला) बोर्डोंको सौंपा गया है। परन्तु ये बोर्ड म्यूनिसिपैलिटियोंकी सृष्टिके कोई ४० वर्ष बादसे स्थापित होने लगे थे। १८७० में प्रादेशिक अर्थव्यवस्था पर लार्ड मेयोने जो मन्तव्य प्रकाशित किया था, उसमें लिखा था कि शिक्षा, दातव्य चिकित्सा और इमारतोंके लिये जो धन दिया जाता है, उसके सदुपयोगके लिये स्थानिक अनुराग और निरीक्षण आवश्यक है। यह मन्तव्य जब पूरी तरह काममें लाया जायगा, तब शासनमें स्थानिक स्वराजकी उन्नति, म्यूनिसिपल संस्थाओंका दृढीकरण और युरोपियनों और भारतवासियोंका समागम पहलेकी अपेक्षा अधिक होगा। इसी समयसे ग्राम

और जिला बोर्ड स्थापित होने लगे। इसके पहले कहीं सरकारी कर्मचारियों और कहीं सहृदय नगरवासियोंके उद्योगसे शिक्षा, सफाई आदिके लिये कुछ धन एकत्र हो जाता था। १८६५ ६६ तक मद्रास, बम्बई और सिन्धमें इस तरह जो धन एकत्र होता था, वह लोकल सेस फण्ड कहाता था। लार्ड मेयोका मन्तव्य प्रकाशित होनेपर लोकल और जिला बोर्ड स्थापनकी चेष्टा होने लगी। पर १८८० में लार्ड रिपनके मन्तव्यसे ही इन्हें यथार्थ उत्तेजन मिला, यद्यपि भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें इनकी आयके लिये कर बैठानेकी व्यवस्था हो चुकी थी। लार्ड रिपनने लिखा था कि (१) म्यूनिसिपैलिटियोंके सिवा देहातोंमें लोकल बोर्डों का जाल फैला दिया जाय, पर बोर्डके अधीन इतना छोटा भूभाग हो कि प्रत्येक मेम्बरको उसका ज्ञान और अनुराग हो, (२) शहरी और देहाती सभी बोर्डों में गैरसरकारी मेम्बर ही अधिक हों, (३) जबसे प्रादेशिक सरकार उचित समझे तबसे मेम्बरों का निर्वाचन हुआ करे, (४) किसी प्रकारका एक जिला बोर्ड होना चाहिये, जिसका अधिवेशन निर्द्धारित समयपर हो और जो "लैंड सेस" किस हिसाबसे लगाना चाहिये आदि ऐसे प्रश्नोंका निर्णय करे जिनमें स्थानिक बोर्डों का समान स्वार्थ हो, (५) सरकारी नियन्त्रण बाहरसे होना चाहिये, भीतरसे नहीं अर्थात् सरकारके प्रतिनिधि बोर्डके अध्यक्ष आदि बनकर उसकी नीति निर्द्धारित न करें, पर सरकारी तौरसे उसका नियन्त्रण करें। नियम ऐसा होना चाहिये कि स्थानीय बोर्डों के

चेयरमैन गैरसरकारी आदमी हों। इन्हीं सिद्धान्तोंके अनुसार १८८३ और १८८४ में जिला और लोकल बोर्डोंके विषयमें प्रत्येक प्रदेशमें ऐक्ट पास हुए। भिन्न भिन्न प्रदेशोंके अनुकूल ऐक्टोंमें सामान्य भेद भी रहे।

भारतके भिन्न भिन्न प्रदेशोंमे बोर्डों की दशा एकसी नहीं है।

बोर्डोंके भेद और कर्त्तव्य।

मद्रास प्रदेश बोर्डों की स्थापनाके विषयमें सबसे बढ़ाचढ़ा है। वहा ग्राम बोर्डोंसे लेकर जिला बोर्डतक हैं, पर अन्य प्रदेशोंमें ताल्लुक या सब डिविजनल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही हैं और कही कही तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी नही हैं। मद्रासका प्रत्येक बडा गाव अथवा कई गाव मिलाकर यूनियन बना दिये गये हैं और यूनियनके नियन्त्रणके लिये पञ्चायत नियुक्त है। इस पचायतसे हमारी प्राचीन पचायतमें अन्तर है। उस समयकी पचायत ग्रामके लोगोंके प्रतिनिधियोंकी सभा होती थी। माल-गुजारी वसूल करने और पहरा चौकी रखनेके लिये यह अपने कर्मचारी नियुक्त करती थी। दीवानी फौजदारी मामलोंका विचार यही करती थी और एक प्रकारसे छोटे प्रजातन्त्रके समान थी। यही कारण है कि देशमें चाहे जितना रक्तपात हुआ करता था और चाहे जो राजा होता था, ग्राम सस्थाए ज्योंकी त्यों बनी रहती थीं और प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। परन्तु ब्रिटिश शासनके प्रारम्भमें ही वे नष्ट की जा चुकी थीं और जो पञ्चायतें अब देख पडती हैं, वे कुछ ही वर्षों से

स्थापित हैं और उन अधिकारोंसे रहित हैं। रोशनीके लिये जो टैक्स गावोंमें मकानोंपर बैठाया जाता है, उसकी आमदनी यूनियनोंसे मिलती है और ये इसे विशेषकर सफाईमें खर्च करती हैं। इनके ऊपर ताल्लुक बोर्ड हैं। यहां ताल्लुक उसी प्रकार जिलेका हिस्सा है, जैसा युक्तप्रदेश और पञ्जाबमें तहसील है। ताल्लुकभरका प्रबन्ध इस ताल्लुक बोर्डके अधीन है। इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट या जिला बोर्ड है जो जिलेभरके स्थानिक प्रबन्धका नियन्त्रण करता है। बम्बईमें यूनियन नहीं हैं और ताल्लुक बोर्ड और जिला बोर्ड ही हैं। बङ्गाल, पञ्जाब और पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेशमें कानूनन एक जिला बोर्ड होना चाहिये, पर स्थानिक बोर्डोंका स्थापन करना न करना प्रादेशिक सरकारके विचारपर अवलम्बित है। युक्तप्रदेशमें सब डिविजनल बोर्ड अनावश्यक समझकर १६०६ में उठा दिये गये हैं। मध्यप्रदेशकी व्यवस्था मद्रासमे मिलती जुलती है। आसाममें जिला बोर्ड नहीं, सब डिविजनल बोर्ड ही हैं। बर्मा और बलूचिस्तानमें दोमें एक भी नहीं है।

ग्राम बोर्डका प्रधान कर्त्तव्य सड़कोंका बनाना और उनकी मरम्मत करना, शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षाका प्रबन्ध करना, डाक्टरखानों, टीके, सफाई, पशुचिकित्साकी व्यवस्था करना, बाजार और सराय बनवाना और उन्हें दुरुस्त रखना और कानीहौस तथा उतारेकी नावोंपर कर बैठाना है। अपना फंड खर्चकर अकाल और बीमारियों, विशेषकर

प्लेगसे लोगोंकी रक्षा करनेके लिये उनसे कहा जा सकता है।

बोर्डोंका संघटन और अधिकार।

म्यूनिसिपैलिटियोंकी अपेक्षा जिला बोर्डोंमें निर्वाचित सदस्योंकी संख्या कम होती है। पर तोभी पश्चिमोत्तर सीमाप्रदेश, जहां १९०३ में निर्वाचनप्रथा उठा दी गयी है, पञ्जाब और कुर्गको छोड सर्वत्र निर्वाचित सदस्योंकी संख्या सरकारी या मनोनीत सदस्योंसे अधिक ही है। लोकल बोर्डोंके विषयमें यही बात नहीं कही जा सकती। आसाम, बम्बई, मध्यप्रदेश और पञ्जाबके लोकल बोर्डोंमे निर्वाचित और अन्य प्रदेशोंमें मनोनीत सदस्य अधिक हैं। भिन्न भिन्न प्रदेशोंमें इस प्रकारके स्थानिक स्वराज्यके विषयमें जो ऐक्ट बने हैं, उनमें प्रादेशिक सरकारको इसका निर्णय करनेका अधिकार है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डका चेयरमैन निर्वाचित होगा या मनोनीत पर मध्यप्रदेशमें निर्वाचित होता है और साधारणतः वह गैरसरकारी आदमी ही होता है। युक्तप्रदेशमें चेयरमैनके निर्वाचनकी व्यवस्था है, पर सरकार निर्वाचन रद्द कर सकती है। लोकल बोर्ड सब प्रदेशोंमें जिला बोर्डोंके अधीन हैं और इनके कर्मचारी मात्र समझे जाते हैं। उनके अधिकार और आयके मार्ग बहुत सीमाबद्ध हैं। पर मद्रासमें जिला बोर्डोंके निरीक्षणाधीन रहकर साधारण सड़कों, शिक्षा आदिके प्रबन्धमें स्वतन्त्र हैं। इन बोर्डोंका [illegible] सरकार म्यूनिसिपैलिटियोंकी भांति ही करती है।

बोर्डों की आयका मुख्य मार्ग "लैंस सेस" है। सालाना लगान या, रयतवारी प्रदेशोंमें, सरकारी मालगुजारीपर एक आने रुपयेके हिसाबसे यह कर बैठानेका बोर्डों को अधिकार है। यह कर सरकारी मालगुजारीके साथ वसूल किया जाता है और उसी हिसाबसे घटना बढता रहता है। १६०५ से बोर्डों की आमदनीकी चौथाई रकम सरकार भी उन्हें देती है। इसके सिवा जिला बोर्डों को प्रादेशिक सरकारोंसे भी कई कामोंके लिये बहुतसी रकम मिलती है। स्कूलों और डाक्टरखानोंके सम्बन्धमें जो आय होती है, उसके सिवा कानीहौस और उतारेकी तथा मद्रासमें सडकोंकी टोलकी आमदनी है। मद्रासमें ताल्लुक बोर्डों की जो आय होती है, उसकी आधी तथा और कुछ रकमें ताल्लुक बोर्डों को मिलती हैं। बोर्डों की आयके मार्ग मेले, प्रदर्शनियां, पशुचिकित्सा तथा सार्वजनिक उद्यानोंका भूमिकर भी है। बोर्डों के लिये जो कर देना पडता है, वह आदमी पीछे एक आनेसे तीन आनेतक है। मद्रास और बंगालमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने एंजिनियर नियुक्त करते हैं और यही व्यवस्था मध्यप्रदेशमें है, पर अन्य प्रदेशोंका एंजिनियरी काम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करता है। १६१२-१३ में कुल १६६ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ५३६ सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे और इनकी आय ५, ६८, ०८, २६२) थी। इसी वर्ष शिक्षा और सफाईके लिये भारत सरकारसे इन्हें बडी रकम मिली थी। १६१३ से पहले लैंडसेस आय होती थी वह सारी बोर्डोंका नहीं

मिलती थी। बङ्गाल और विहार उड़ीसेमें उसके दो भाग होते थे, एक रोड सेस और दूसरा पब्लिक वर्क्स सेस। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को रोड सेस ही मिलता था और पब्लिक वर्क्स सेस सरकार लेती थी। इससे वह अपने मनसे जितनी रकम चाहती थी, बोर्डों को देती थी। युक्तप्रदेश, पञ्जाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशमें कई कामोंके लिये इससे बहुतसी रकम प्रादेशिक सरकारें ले लिया करती थीं। १९१३ में भारतसरकारोंने प्रादेशिक सरकारोंको बहुतसी रकमें दी और तबसे लैंड सेसकी पूरी आय जिला बोर्डों को मिलने लगी। इससे बङ्गाल, युक्त प्रदेश और विहार उड़ीसेके बोर्डों की आय फी सैकड़े क्रमश ६४, ४५ और ५५ बढ़ गयी। १९१९-२० में समस्त भारतमें कोई २०० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ५३२ सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे तथा १,०२२ यूनियन कमिटियां थीं। यूनियन कमिटियोंको छोड़ इन बोर्डों के १३,००० मेम्बर थे। जिनमें फी सैकड़े ५७ निर्वाचित थे। सब बोर्डों में फी सैकड़े १७ से अधिक सरकारी अफसर नहीं हैं। बोर्डों की कुल आमदनी १३ करोड़ ६५ लाख रुपये थी और हर जिला बोर्डकी सालाना औसत आमदनी ३ लाख ८० हजार रुपये है। इन बोर्डों के अधीन २१ करोड़ ३० लाख मनुष्य थे।

बंगाल। १८८५ में बने हुए बङ्गाल लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट ऐक्टके अनुसार यहां काम होता है। दार्जिलिङ्ग और कुछ दूरके स्थानोंको छोड़ बङ्गालके सब जिलोंमें

डिस्ट्रिक्ट और प्रायः सर्वत्र लोकल बोर्ड स्थापित हैं। जिलोंमें प्राय जिला बोर्डके आधे मेम्बरोंका निर्वाचन लोकल बोर्डों द्वारा होता है और लोकल बोर्डों के दो तिहाई मेम्बर करदाता निर्वाचित करते हैं। यूनियन कमिटियोंके मेम्बर भी साधारणतः निर्वाचित होते हैं। १६०८ में १८८५ के ऐक्टका जो सुधार हुआ था, उससे यूनियन कमिटियां डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अधीन कर दी गयीं और उन्हें अपने अधीन स्थानोंमें सफाइ रखने और ग्रामवासियोंपर सामान्य कर बैठानेका अधिकार दिया गया। साथ ही रोड सेसकी आय जिन कामोंका उल्लेख १८८० के सेस ऐक्टमें है उनके सिवा दूसरे कामोंमें लगानेका निषेध किया गया और पुलोंकी उतराई लेनेकी व्यवस्था की गयी। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये आवश्यक कर दिया गया कि, सफाईके लिये कमिटियां और इन्सपेक्टर नियुक्त करें। इनको रेलोंकी उन्नति की गयी और पलाईशटल करनेको उत्तेजन दिया गया। पहले १४ बोर्डों के निर्वाचित मेम्बरोंकी संख्या आधीसे दो तिहाई कर दी गयी थी और अब बाकी बोर्डों की भी कर दी गयी। सभी बोर्डों को अपना चेयरमैन निर्वाचित करनेका अधिकार है। कोई सरकारी अफसर अब चेयरमैनीका उम्मेदवार नहीं हो सकता और लोकल बोर्डोंके भी चेयरमैन जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें पदत्याग करना पड़ेगा। जिला बोर्डोंके बारेमें भी कानून बननेवाला है जिससे उन्हें विशेष स्वाधीनता मिलेगी और

गावोंका जलकष्ट दूर करनेके लिये वे पब्लिक वर्क्सडिपार्टमेंटकी निहाई रकम खर्च कर सकेंगे।

आसाम। १६७६ के रेगुलेशनके अनुसार सड़कों, प्राथमिक शिक्षा और जिलेकी डाकके व्ययके प्रबन्धके लिये आसाम में जिला कमिटिया बनी थीं, पर बाद तोड़ दी गयी और इनके बदले सब डिविजनल बोर्ड बने। ये और प्रदेशोंके डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंके समान हैं। इनके कुछ मेम्बरोंको चाय बगीचोंके यूरोपियन निर्वाचित करते हैं। १६११—१२ में कुल ३१६ मेम्बरोंमें १३३ यूरोपियन या ऐंग्लो इण्डियन थे और १६६ मेम्बर निर्वाचित हुए थे। आसामके लोकल बोर्ड कानूनी पायेपर नहीं खड़े थे, इस लिये लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट बिल पास किया गया है।

युक्तप्रदेश। १८८३ में नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐण्ड अवध लोकल बोर्डस ऐक्ट बना था, जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्थापित हुए थे। इसमें यह व्यवस्था थी कि जिला बोर्डोंमें लोकल बोर्डोंके कुछ या सब मेंबर रहें और लोकल बोर्डोंके तीन चौथाई मेम्बर निर्वाचित हुआ करें। १६०६में यह ऐक्ट रद्द कर दिया और इसके बदले यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट बना। इससे लोकल बोर्ड तोड़ दिये गये और डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंको स्थानीय कमिटियां नियुक्त करनेका अधिकार दिया गया। यह भी व्यवस्था हुई कि इनके तीन चौथाई मेम्बर निर्वा-

चित हुआ करें। युक्तप्रदेशकी कौन्सिलने भी बोर्डोंके सम्बन्धमें नया कानून पासकर उन्हें अधिक अधिकार दिये हैं तथा सरकारका प्रभाव कम किया है।

पंजाब। १९८३ मे पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट बना था और वहां आज भी उसीके अनुसार काम हो रहा है। इसके अनुसार हर जिलेमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होना चाहिये, पर लोकल बोर्डकी स्थापना प्रादेशिक सरकारकी इच्छापर निर्भर है। साधारणतः जिला बोर्डके दो तिहाई सदस्य गैरसरकारी सज्जन और कमसे कम आधे वहांके जमीन्दार होने चाहिये। लोकल बोर्ड धीरे धीरे अनावश्यक समझे और उठा दिये गये। १९०१-२ में ११ जिलोंमें ४५ लोकल बोर्ड थे, पर १९११-१२ में ये ४ ही जिलोंमें रह गये और इनकी संख्या १७ थीं। दशकके अन्तमें २६ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में १७ में तथा १३ लोकल बोर्डोंमें निर्वाचित सदस्य भी थे। यहांके लोग निर्वाचित होनेकी अपेक्षा मनोनीत होनेमें अपना सम्मान समझते हैं।

पश्चिमोत्तरसीमा प्रदेश। पंजाबके ऐक्टके अनुसार यहांके पांच जिलोंमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं। १९०३ के पहलेतक हजारा जिला बोर्डके आधे मेम्बर निर्वाचित होते थे, पर इस वर्षसे पांचों जिलोंके मेम्बरोंको चीफ कमिशनर मनोनीत करते हैं। जो दो लोकल बोर्ड थे, वे भी १९०४ में तोड दिये गये।

मध्यप्रदेश और बरार। १८८३ के ऐक्टके अनुसार मध्य-प्रदेशके कई गांव मिलकर "सर्कल" बना दिये जाते हैं और ये

प्राय. मद्रासके यूनियनोंसे मिलने जुलते हैं। पर इनके नियंत्रणके लिये पचायत नहीं है। कई सर्कलोंके ऊपर लोकल बोर्ड होता है और जिले भरके लोकल बोर्डों पर डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल होती है। लोकल बोर्डके मेम्बरोंमें एक तिहाई मनोनीत और दोतिहाई निर्वाचित होते हैं। हर सर्कलके गावोंके मुखियों द्वारा निर्वाचित मुखिये तथा व्यापारियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लोकल बोर्डों में बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौंसिलके मेम्बर भी इसी प्रकार निर्वाचित होते हैं भेद केवल इतना ही है कि इनके लिये गावोंके मुखियोंके बदले लोकल बोर्डों के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। बरारमें १८८५ के कानूनसे हर जिलेमें जिला बोर्ड और हर तालुकमें तालुक बोर्ड होना चाहिये। तालुक बोर्डके आधे मेम्बरोंका निर्वाचन करदाताओंद्वारा और डिस्ट्रिक्ट कौन्सिलके आधे मेम्बरोंका निर्वाचन तालुक बोर्डके मेम्बरोंद्वारा होना चाहिये। १९११में लोकल बोर्डोंको काम और खर्च करनेके सम्बन्धके अधिक अधिकार दिये गये। १९१२ में बरारके तालुक बोर्डों को भी ये ही अधिकार दे दिये गये। नये लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट ऐक्टसे सरकारी चेयरमैन नहीं रहा और सरकारी मेंबर भी घट गये तथा बोर्डों को नियन्त्रणके अधिक अधिकार दिये गये हैं।

मद्रास। १८८४ के ऐक्टके अनुसार यहा जिला बोर्ड, तालुक बोर्ड और यूनियन पचायते हैं। यूनियनमें एक या अधिक गाव होते हैं। तालुक बोर्ड हर तालुकके लिये नहीं

होना, पर प्रादेशिक सरकारके इच्छानुसार एक या अधिक ताल्लुकोंके लिये होता है। जिला बोर्डके प्राय आधे मेम्बर ताल्लुक बोर्डों द्वारा निर्वाचित होते हैं। मनोनीत और "पदके कारण" सदस्योंकी सख्या चौथाई होती है। १६०६ तक ताल्लुका बोर्डों के सब मेम्बर मनोनीत हुआ करते थे, पर इस वर्षसे तिहाई और १६१२ से चौथाई निर्वाचित होने लगे। यूनियन पचायतोंमे यूनियनके अन्तर्गत गावोंके मुखिये और मनोनीत सदस्य होते हैं। इनमें गैरसरकारी सदस्योंकी सख्या ही अधिक है। ऐक्टके अनुसार जिला बोर्ड जिस ताल्लुकपर जितना कर बैठाते हैं, उसका आधा वहाके ताल्लुक बोर्डको मिलना चाहिये। घरोंके टैक्ससे जो आय होती है, वह यूनियन पञ्चायतोंको मिलती है। घर पीछे एक रुपया टैक्स लगता है। मद्रास ऐक्टके अनुसार रेल बनानेके लिये (स्पेशल सेस) विशेष करकी व्यवस्था है। रेलोंसे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आय बढ़ी है। १६२०—२१ मे जिला बोर्ड २४ और इनके मेम्बर ८६३ थे। सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ६७ से ११६ हो गये और जो अपना प्रेसिडेंट निर्वाचित करते थे, उनकी सख्या १३ से ३८ हो गयी।

बम्बई। १८८४ के लोकल बोर्ड्स ऐक्टमे डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुका बोर्ड स्थापनाकी व्यवस्था है और इसके अनुसार आधेसे कम सदस्य निर्वाचित और मनोनीतोंमे आधेसे अधिक सरकारी कर्मचारी न होने चाहिये। जिस ताल्लुकेमें ५०० से

अधिककी वस्ती हो, उसके बोर्डके निर्वाचित मेम्बरोंमें ह
म्यूनिसिपल विभागके कमिशनरों द्वारा निर्वाचित एक मेम्बर
ताल्लुका बोर्डके सदस्य निर्वाचनके लिये जो ग्रामसमूह बनाये
गये हैं, उनमें प्रत्येकका एक मेम्बर और जिन लोगोंने दूसरों
गाव लिये हैं, उनका निर्वाचित एक मेम्बर रहता है। जिल
बोर्डोंके निर्वाचित मेम्बरोंमें ताल्लुका बोर्डों, बड़ी म्यूनिसिपैलि
टियों और बेचे हुए गावोंके प्रतिनिधि होते हैं। अगस्त १९१५
में बम्बई सरकारने इस बातकी जाचके लिये कमिटी नियुक्त
की थी कि जिला और ताल्लुका बोर्डों की रचना और सचा
लनमें कौन कौन परिवर्तन किये जाय, जिससे इस ढङ्गमें
स्थानिक स्वराज्यकी और उन्नति हो। कमिटीकी रिपोर्टपर
मई १९१६ के अन्तमें सरकारने मन्तव्य प्रकाशित कर कहा कि
लोकल बोर्डों में जातियोंके अनुसार प्रतिनिधित्वके पक्षमें हम
नहीं हैं और बिना प्रबल कारणोंके कमिटीका यह प्रस्ताव हमे
स्वीकृत न होगा। कमिटीके आर्थिक प्रस्तावोंको तो उसने
भ्रमपूर्ण आधारोंपर बताया, पर जिला और ताल्लुका बोर्डोंमें
गैरसरकारी चेयरमेन नियुक्त करना निश्चय किया। गैर
सरकारी चेयरमैनवाले बोर्डको अपने जिले और सदरमें अपने
क्लर्क और एकाउण्टेण्ट तथा जिला बोर्डों के कर्मचारियोंके कामकी
देखभालके लिये एक चीफ अफसर नियुक्त करना पड़ता है और
नियमित कार्य अध्यक्षकी अर्थात् ...
कितने मनोनीत और कितने

विषयमें १८८४ के ऐक्टमें परिवर्त्तन किया गया और स्थान-विशेषका ध्यान रखकर कमिटीकी सम्मतिके अनुसार कार्य होने लगा। कमिशनरोंसे पूछा गया था कि आपके डिवी जनके किन किन जिला बोर्डों का काम कलेक्टरके विना चल सकता है। उनका उत्तर आनेपर बोर्डों की पुनारचना होगी और कलेक्टर वा उसके कर्मचारियोंसे इनका सम्बन्ध न रहेगा। जो काम कलेक्टरके कर्मचारी करते थे, उसे करनेके लिये आदमी रखे गये और उनके वेतनादि मध्ये सरकार कुछ रकम देने लगी। नया ऐक्ट पास होनेसे डिष्ट्रिक्ट और ताल्लुका बोर्डों के प्रेसिडेंट गैरसरकारी आदमी बनाये जाने लगे हैं।

भारत सरकारने स्थानिक स्वराज्य विषयक अपने १९१५ के मन्तव्यमें डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा पञ्चायतोंके विषयमें भी अपनी भावी नीति बतायी है। अधिकार विभाजक कमीशनकी सम्मति थी कि सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सब प्रदेशो में स्थापित किये जाय और उनका कार्यक्षेत्र ताह्लुके या तहसील-से बड़ा न हो और उनको यथेष्ट धन तथा स्वतन्त्र अधिकार दिये जाय। बम्बई, बङ्गाल, पञ्जाब, बिहार उड़ीसे और मध्यप्रदेशमें सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के सफलतापूर्वक सञ्चालित न होनेका कारण, उसके मतसे, धन तथा स्वतंत्रताका अभाव ही है। युक्तप्रदेश और पश्चिमोत्तरसीमा प्रदेशकी सरकारोंका

सरकारकी नीति।

मतमें यहा सब-डिस्ट्रिक्ट या तहसील बोर्डों की आवश्यकता नही है, क्यों कि एक तो जिले छोटे हैं और गावो में जाने आनेके लिये सडके अच्छी हैं और दूसरे उनके लिये योग्य मेम्बर नहीं मिलते। इससे तो तहसील या सब डिवीजनों के प्रबन्ध के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो कमिटिया बना दी जाती हैं, उनसे उन्नतिकी बडी आशा है। पञ्जाब सरकार भी ऐसी ही कमिटिया बनानेके पक्षमें है। मध्यप्रदेशके सिवा अन्य प्रदेशों की सरकारें समझती हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को अधिक अधिकार देनेसे जिला बोर्डों की शक्ति घट जायगी। इस लिये भारत सरकारने कमीशनकी यह सम्मति नही मानी। कमीशनकी दूसरी सूचना थी कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों मे निर्वाचित सदस्यो की सख्या बहुत अधिक हो और अल्पसख्यक मनुष्यो की समाजो के उपयुक्त प्रतिनिधित्व तथा कार्यानुभवी कर्मचारियो की नियुक्तिके लिये ही सदस्य मनोनीत हुआ करें। बम्बई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशको छोड सभी बडे प्रदेशो मे निर्वाचित सदस्यो की सख्या मनोनीतोंसे अधिक हैं। बम्बई सरकारका कहना है कि बोर्डों में निर्वाचितोका बहुमत वर्त्तमान अवस्थाओंमे इष्ट नही है और पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशमें फिर्कों के झगडोंके कारण वहाकी सरकार इसे सम्भव नहीं समझती। कमीशनके प्रस्तावसे अन्य प्रदेशोंकी सहानुभूति है। कमीशनका तीसरा प्रस्ताव था कि डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का अध्यक्ष

सरकारी अफसर ही रहे। यह भारतसरकार और प्रादेशिक सरकारोंको स्वीकार है, पर जहां गैरसरकारी चेयरमैन हैं, वहां उनको बनाये रखने अथवा जहां प्रादेशिक सरकार गैरसरकारी चेयरमैन नियुक्त करके इस कार्यकी परीक्षा करना चाहें वहां भारतसरकार बाधा न देगी। कमीशनका कहना था कि आने रुपयेसे अधिक लेंडसेस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड न बढ़ा सकें, क्योंकि लोग इसे पसन्द न करेंगे। भारत सरकारने इसके पक्ष या विपक्षमें कुछ कहकर बंध जाना नहीं चाहा। कमीशनका पांचवां प्रस्ताव था कि हलकी रेलें या ट्रामवे बनानेके लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सालाना लगानकी रकमपर एक पैसा रुपया विशेष कर बैठानेका अधिकार दिया जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के तीन चौथाई मेम्बर उसके अधिवेशनमें जबतक इस करके पक्षमें न हों और छ महीने बाद उतने ही सदस्य बोर्डों के अधिवेशनमें इसे स्वीकार न करें तथा प्रादेशिक सरकार आज्ञा न दे, तबतक यह कर न बैठाया जाय। भारत सरकारने प्रादेशिक सरकारोंकी सम्मति तथा भारतसचिवकी अनुमतिसे इसे स्वीकार कर लिया है और प्रादेशिक सरकारोंको आज्ञा दे दी है कि आवश्यकता होनेपर कानून बना लो। बङ्गाल के बोर्ड के पास यथेष्ट धन है। मद्रास बोर्ड रेल बना ही रहे हैं। भारत सरकारको आशा है कि अन्य प्रदेशोंमें इस प्रस्तावके अनुसार कार्य होगा। रेलें दो तरहसे बन सकती हैं, एक

ना बोर्डके खर्चसे और दूसरी किसी कम्पनीको उसकी पूंजीके ब्याजकी गरण्टी देकर। यदि पहले ढङ्गसे काम करना हो तो उसे बनानेका काम प्रधान रेलवेकी कम्पनीको सौंपना चाहिये। प्रत्येक अवस्थामें रेलवे डिपार्टमेण्टकी स्वीकृति लेनी होगी जिसमें उसकी निश्चित लाइन ही डिस्ट्रिक्ट बोर्डकी लाइन भी न ठहरे। भारत सरकारने निश्चय किया है कि यदि किसी बोर्डके पास रेल बनानेको यथेष्ट धन न हो, तो वह बननेवाली रेल आर रेलवे सेसकी जमानतपर "डिबेञ्चर" * काटकर धन संग्रह कर सकती है। इस ऋणको चुकानेके लिये कोई "सिकिंग फण्ड" बनानेकी भी आवश्यकता नहीं है। कमीशनका छठा प्रस्ताव है कि बोर्डोंको अपना बजेट पास करनेका अधिकार इस शर्त्तपर दिया जाय कि तुम्हारे पास इतनी रोकड़ बाकी होनी चाहिये। बम्बईमें ऐसा ही नियम है। प्रादेशिक सरकारें बजेटकी कड़ाई कम करनेके पक्षमें तो हैं, पर उसे पास करनेका अधिकार बोर्डोंको देना नहीं चाहतीं। भारत सरकारकी सम्मति है कि जब सरकारी अफसर बोर्डोंका प्रेसिडेण्ट होता है और निरीक्षण तथा नियन्त्रणका अधि-

* सम्पत्ति या आयपर ऋण लेनेके लिये जो कागज निकाले जाते हैं, उन्हें डिबेंचर कहते हैं। उनपर ब्याजकी दर भी लिखी रहती है। इस ऋणके चुकानेके लिये धन संग्रह करनेको जो कोषक बनाते हैं, उसे "सिंकिंग फंड" कहते हैं।

कार भी सरकारी अफसरोंको है, तब कुप्रबन्धकी आशङ्का नहीं है। कमीशनका सातवां प्रस्ताव यह था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंको सडक आदि बनानेका पूरा अधिकार दे दिया जाय और उसके लिये उन्हे सरकारी स्वीकृतिकी आवश्यकता न हो। प्रादेशिक सरकार और भारत सरकार अधिकार देना नहीं चाहती, पर जिस जिलेमें काम बहुत हो और वहाका बोर्ड अच्छा एञ्जिनियर अच्छे वेतनपर रख सके, तो उसे अधिकार दिया जा सकता है।

पचायतें।

अधिकार विभाजक कमीशनने ग्राम पञ्चायतोंकी स्थापना और उन्नति करनेका भी परामर्श दिया था। उसकी सम्मति थी कि इन्हे छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मामले फैसल करनेका अधिकार मिले और व्यय-निर्वाहके लिये लैंड सेसका कुछ हिस्सा, विशेष ग्राण्ट, कानीहौसों और बाजारोंकी आमदनी और दीवानी मामलों पर कुछ फीस इनको दी जाय। भारत सरकारने प्रस्ताव पसन्द किया और आवश्यक होनेपर विशेष कर बैठानेका अधिकार देना भी स्वीकार किया। बर्मा और मध्यप्रदेशकी सरकारोंकी समझसे यहा पञ्चायत बिलकुल नयी चीज होगी और इसपर लोगोंका विश्वास न होगा। दूसरी सरकारें थोड़े हेर फेरसे पञ्चायतोंसे काम लेनेपर सम्मत हैं। पञ्जाबमें स्वेच्छासे लोग पचायतसे दीवानी मामले फैसल कराते हैं।

समझी जाय, जो किसी समय पूर्वोक्त यूनियनोंके रूपमें बदल जाय। सरकार चाहती है कि यूनियनोंके सरपंचोंसे सरकारी अफसर ऐसा वर्त्ताव करें जिससे उनकी प्रतिष्ठा जान पड़े। मद्रासकी व्यवस्थापिका सभामें सर हैरल्ड स्टुअर्टने सूचित किया कि छोटे दीवानी और फौजदारी मामले फैसल करनेको ग्राम पचायतें स्थापित करनेके लिये सरकार एक बिल तैयार करना चाहती है। गावके ऐसे ५, ७ या ६ आदमी पच नियुक्त होंगे, जिनपर लोगोंका विश्वास होगा। तीन पंच उपस्थित होनेसे पचायतका कार्य आरम्भ होगा। गावके मैजिस्ट्रेटके अधिकार भी इस पचायतको दे दिये जायंगे और दीवानी मामलोंका कार्य-क्षेत्र बढ़ाया जायगा, पर गावके मुन्सिफका पद न उठाया जायगा और विशेष प्रकारके मामलोंका विचार किया करेंगे।

भारत सरकार निम्नलिखित सिद्धान्तोंके अनुसार पचायत स्थापन करनेके पक्षमें है —

(१) ऐसे चुने हुए गावों या कस्बोंमें पचायतें स्थापित की जाय जहा लोग साधारणत इसपर सहमत हो।

(२) कानूनकी आवश्यकता हो तो वह सार्वत्रिक और अनुमतिप्रद हो। हर गावकी पचायतो के कर्त्तव्य कार्य, चाहे वे शासनविषयक हो वा विचार सम्बन्धी, एकसे होनेकी आवश्यकता नहीं है।

(३) जहा पंचायतो को शासन और विचार सम्बन्धी अधिकार

देनेका प्रयोजन हो, वहा दोनो काम एकही संस्थाको सौंपे जायं ।

(४) जहा कहीं शिक्षा या सफाईके लिये कोई कमिटी बनी हो, वहा पचायत स्थापित होनेपर ये सस्थाए उसके अन्तर्गत कर दी जाय ।

(५) साधारणत मामले फैसल करनेका अधिकार अनुमतिमत्र होना चाहिये, पर जो लोग पचायतसे अपने मामले फैसल करावे उनको उत्साहित करनेके लिये कुछ उचित सुबीते कर देने चाहिये । जैसे, यदि कोर्ट फी लगे तो बहुत कम विचारपद्धतिकी बारीकिया न रहें और जल्दी मामले फैसल हुआ करें ।

(६) जहा इष्ट हो, वहा प्रादेशिक सरकारके नियन्त्रणके अनुसार पंचायतो को कर बैठानेका अधिकार दिया जाय, पर पचायतपद्धतिकी उन्नतिके साथ हीकरो की भरमार न होने लगे ।

(७) शासनकार्यमें पंचायतो का अन्य शासन सस्थाओ से क्या सम्बन्ध है इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । यदि डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उन्हें आर्थिक सहायता देते हो, तो ऐसे बोर्डो के निरीक्षणपर आपत्ति न होनी चाहिये ।

विलेज पचायत ऐक्ट पास कर, पंजाब सरकारने पच या कई गावोमें पंचायत स्थापित करनेकी व्यवस्था की

हो तो ऋण लेकर वह पूरी की जा सकती है। म्युनिसिपैलिटियो'की अपेक्षा पोर्ट ट्रस्टमें सरकारका' हस्तक्षेप अधिक है।

स्थानिक स्वराज्यकी दृष्टिसे इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट पोर्ट ट्रस्टों के समान ही हैं। नगरकी उन्नति करनेके लिये कलकत्ते, बम्बई, रंगून, प्रयाग, लखनऊ और कानपुरमें इम्प्रूवमेण्टट्रस्टो की सृष्टि हुई है। सकरी सड़कें चौडी करना, घनी बस्तियो को हवादार बनाना और गरीबो और मजूरो को रहनेके लिये मकानो'की व्यवस्था करना कलकत्ता नगरोन्नतिकारिणी सभाका कर्त्तव्य है। 'यह संस्था १९१२ में बनी है। इसमें अध्यक्ष समेत ११ सदस्य हैं। चेयरमैन सरकार नियुक्त करती है और यह ट्रस्टका वेतनभोगी कर्मचारी है। कार्पोरेशनका चेयरमैन अपने पदके कारण ट्रस्टी या मेम्बर होता है। सदस्यो में ४ म्युनिसिपल कार्पोरेशन, १ बङ्गाल चेम्बर आव कामर्स और १ बङ्गाल नेवनल चेम्बर आव कामर्स निर्वाचित करती हैं, बाकी ३ सरकार मनोनीत करती है। अनुमान
ट्रस्टको ८ करोड २२ लाख आवश्यकत
इनमें ५ करोड नयी सड़क ७२
और १॥ करोड मकान ब
मध्ये ५० लाख भारत और
३६ लाख जमीनसे ही ४
लाखका ऋण लेकर काम ।

लिये ६० वर्षतक वार्षिक १६,६५,०००) और १। लाख घटे बढ़के बढ़ाकर २०,६०,०००) की आयकी यह व्यवस्था की गयी है—स्थावरसम्पत्तिकी बिक्री, बन्धक और दानपत्रपर २) सैकड़ेकी स्टाम्प ड्यूटी, ३० मील दूरसे कलकत्ते आनेवाले मुसाफिरपर एक आना टैक्स, जूटकी ४०० पौंडकी गाठपर दो आने कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी, कार्पोरेशनके टैक्सो पर २) सैकड़े और १॥ लाख वार्षिककी सरकारी सहायता। बम्बई इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्टकी व्यवस्था इससे मिलतीजुलती है। उसके १४ मेम्बरो में १ चेम्बर आव कामर्सका, १ पोर्ट ट्रस्टका, १ मिलओनर्स एसोसियेशनका और ३ कार्पोरेशनके प्रतिनिधि हैं, ३ सरकारसे मनोनीत किये हैं, ३ अपने पदो के कारण मेम्बर हैं और १ चेयरमैन है।



व्यवस्थापिका सभाएं।



नये कानून बनाने और पुराने कानूनोंमें रद्दोबदल करनेके लिये भारतमें व्यवस्थापिका सभाएं बनी हैं। नये शासनसस्कारोंके पहले ब्रिटिश भारतभरके लिये कानून कायदे बनाने वाली सभा सुप्रीम लेजिस्लेटिव कौंसिल वा बड़ी व्यवस्थापिका सभा कहाती थी और प्रदेश-विशेषके लिये जो सभा कानून बनाती है, उसे उस प्रदेशकी व्यवस्थापिका सभा या लेजिस्लेटिव कौंसिल कहते थे और हैं। सुप्रीम लेजिस्लेटिव कौंसिलका असली नाम था "कानून और कायदे बनानेके लिये गवर्नर-जेनरलकी सभा।" * इससे जाना जाता है कि बडी व्यवस्थापिका सभा ब्रिटिश पार्लमेण्टकी तरह कोई स्वतन्त्र संस्था नहीं थी और भारत सरकारसे उसके कामोंके लिये यह जवाब तलब नहीं कर सकती थी, बल्कि कानून कायदे बनानेमें भारतसरकारको सम्मति देना भर इसका काम था। जब बडी व्यवस्थापिका सभाकी स्थापना नहीं हुई थी, तब सरकार ही कानून बनाती थी। १७७२ के रेगुलेटिङ्ग ऐक्टसे गवर्नर जेनरल और

लेजिस्लेटिव कौंसिल।

* The Govener General-in Council at meeti g for the purpose of making laws and regulations

उनकी कौंसिलको फोर्ट विलियम और उसके अधीन कोठियोंके सुशासनके लिये नियम आर्डिनैन्स और रेगुलेशन बनानेका अधिकार उसी समय मिला था और ८० वर्षतक वे ब्रिटिश भारतके लिये कानून कायदे बनाती रही। पार्लमेंट इतना ही चाहता थी कि इन कानूनोंसे पार्लमेण्टका कोई कानून न कटने पावे। कानून तोड़नेवालेपर जुर्माना करने और उसका माल जब्त करनेका अधिकार भी गवर्नर जेनरल और उनकी कौंसिलको दिया गया। पर ये कानून तबतक नाजायज ठहराये गये, जबतक सुप्रीम कोर्टमें रजिस्ट्री होकर प्रकाशित न हों। इसके बाद इङ्गलैंडके महाराजको अधिकार रहा कि चाहे जिस कानूनको रद्द कर दें। १७७३ से १८३३ तक तो गवर्नर जेनरल और उनकी कौंसिल कायदे बनाती रही, पर १८३४ से एक कानूनदां भी कौन्सिल-का मेम्बर बनाया गया। यह कम्पनीका नौकर न था और कानून बनानेके सिवा कौन्सिलकी किसी मीटिङ्गमें उप-स्थित नहीं होता था। सरकार कृपा करके इसे अपने कागजपत्र दिखाती थी। इसी समयसे कौन्सिलमें स्वतन्त्र व्यक्तिको स्थान मिला और वर्त्तमान व्यवस्थासदस्यके पद की सृष्टि हुई। मैकाले पहले व्यवस्थासदस्य नियुक्त हुए। इसके पहले कानून "रेगुलेशन" * कहाते थे, पर अबसे

* १७७३ में गवर्नर-जेनरल और उनकी कौंसिलको "रेगुलेशन" बनानेका अधिकार दिया गया था। १७९३ तक इस संस्थाने ४८

ऐक्ट कहाने लगे। यदि "कोर्ट आव डाइरेक्टर्स" ऐक्ट रद्द नहीं करता था, तो वह पार्लमेंटके ऐक्के समान ही, समझा जाता था। इसी समयसे मद्रास और बम्बई सरकारोंका रेगुलेशन बनानेका अधिकार छीन लिया गया और भारत भरके लिये यह कौन्सिल ही कानून बनाने लगी।

व्यवस्थापिका सभाका पहला रूप।

१८३३ के चार्टर ऐक्के अनुसार बीस वर्षतक गवर्नर-जेनरल और उनकी कौंसिल एक कानूनदां मेम्बरकी मददसे उस समय के ब्रिटिश भारतके लिये कानून बनाती रही। उस समयतक गवर्नर-जेनरल, कमाण्डर-इन-चीफ (प्रधान सेनापति) और चार आर्डिनरी मेम्बर ये छ ही व्यवस्थापक थे। पर १८५३ में जो चार्टर ऐक् पास हुआ, उससे छ मेम्बर और बढ़ाये गये थे और इस प्रकार

रेगुलेशन बनाये गये थे। इस वर्ष इनका सशोधन करके लार्ड कार्नवालिसने कोडका स्वरूप दिया। इसके बाद १८३४ तक ६७५ रेगुलेशन बने, पर इनमें केवल ८६ का पूर्ण अथवा आंशिक उपयोग अबतक होता है। ये बङ्गाल कोडमें मिले गे। बम्बई प्रेसिडेंसीमें १७९९ से रेगुलेशन बनने लगे थे और १८२७ में मोंट स्टुआर्ट एलफिन्सटनने इनका कोड बनाया। १८३४ तक यह प्रेसिडेंसी भी रेगुलेशन बनाती रही। इसके २० रेगुलेशन अबतक काममें लाये जाते हैं। इनका ब्योरा बाम्बे कोडमें है। मद्रास प्रेसिडेन्सीमें १८०२ से १८३४ तक २५१ रेगुलेशन बने थे। इनमें २८ पूर्ण या आंशिक रूपसे अबतक काममें लाये जाते हैं। ये मद्रास कोडमें मिले गे।

व्यवस्थापिका सभाकी नींव पड़ी थी। ये छ मेम्बर थे,—फोर्ट विलियमके सुप्रीम कोर्टके चीफ जस्टिस और एक जज तथा हर प्रेसिडेन्सी और लेफटेनेण्ट गवर्नरीसे एक एक सिविलियन, जो १० वर्ष या अधिकसे कम्पनीका नौकर हो या जिसने १० वर्ष नौकरी की हो। इस समय बङ्गाल, बम्बई और मद्रास तीन प्रेसिडेन्सियां थीं और पश्चिमोत्तर प्रदेशकी लेफटेनेण्ट गवर्नरी थी। उसी समयसे व्यवस्थापिका सभाकी कार्यावली प्रकट रूपसे और प्रकाशित होने लगी। जो मेम्बर कम्पनीके नौकर न हों, उन्हें ५,००० पौण्ड वार्षिक देनेका नियम भी इस ऐक्टमें रहा। इस समयसे कानूनदां मेम्बर भी कम्पनीका नौकर ही हुआ और उसे शासनसम्बन्धी सब विषयोंपर मत देनेका अधिकार दिया गया। गदरके बाद १८५८ में कम्पनीसे हिन्दुस्थानका राज्य महारानी विक्टोरियाने ले लिया। १८५९मे गवर्नर जेनरलकी कौन्सिलके लेजिस्लेटिव मेम्बरका पद रिक्त हुआ और अर्थव्यवस्थादक्ष कोई मेम्बर कौन्सिलमें न होनेके कारण दूसरा लेजिस्लेटिव मेम्बर न नियुक्त कर कम्पनीने पार्लमेंटके मेम्बर मि० विलसनको अर्थव्यवस्था करनेके लिये भारत भेजा। इस कारण दो वर्षतक विना व्यवस्था सदस्यके ही व्यवस्थापिका सभाका काम चलता रहा। सात वर्षतक इस व्यवस्थापिका सभाका काम इस प्रकार हुआ जैसा पार्लमेंटका होता है। सर चार्ल्स वडेउडने तो इस

अभिप्रायसे १८५३ का कानून बनवाया था कि जो और छ मेम्बर बढ़ाये जाते हैं, वे कानून बनानेमें सरकारको मदद देंगे, पर उन्होंने सरकारके कार्यों पर टीकाटिप्पणी करना प्रारम्भ किया। वे विविध विषयोंके प्रश्न ही भारतसरकारसे नहीं करते थे, बल्कि प्रस्ताव करते और कई विषयोंकी ओर सरकारका ध्यान भी दिलाते थे। इस व्यवस्थापिका सभाके उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्टके चीफ जस्टिस सर बार्नेस पीकाक थे। ये भी प्रस्ताव उपस्थित कर सरकारके नाकों दम किया करते थे। टीपू सुल्तानके खान्दानके लोगोंको जो सरकारी वसीका मिलता था, उसकी पूरी खबर कौन्सिलको न थी। १५ दिसम्बर १८६० के अधिवेशनमें सर बार्नेसने प्रस्ताव पास किया कि सरकार ये बातें बतावे। सर बार्टेल फ्रेयरने सरकारकी ओरसे इसका विरोध किया। दोनो पक्षोंके मत लिये गये, तो बराबर निकले। सर बार्नेस अध्यक्षके आसनपर थे। उन्होंने अध्यक्षके नाते एक वोट और देकर इसे पास कर दिया। अन्तको २२ दिसम्बरको सरकारने य बातें बतायीं। इसपर सर चार्ल्स जैकसनने (सर बार्नेस नहीं थे) प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इससे कौन्सिलका विश्वास सरकारपर बढ़ेगा और दोनोंमें मेलसे काम होगा जो अत्यन्त वाञ्छनीय है।" लार्ड कैनिङ्गने कम्पनीको लिखा कि यह कौन्सिल "हाउस आव कामन्स" बनी जा रही है और

कौन्सिलके १२ सज्जनोंके कार्यों के नियन्त्रणके लिये १३६ आज्ञाएं (नियम) हैं। इसके बाद व्यवस्थापिका सभाने भारतसरकार और भारतसचिवका किसी विषयका पत्र व्यवहार देखना चाहा। इसी समय इनकमटैक्स बिलपर भारत सरकार और मद्रास सरकारमें मतभेद हो गया। साथ ही नान रेगुलेशन प्रदेशोंमें बिना व्यवस्थापिका सभासे पास कराये ही कुछ कानून जारी होनेपर उनके जायज होनेका शक हुआ। इस लिये १८६१ में इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्ट पास करके पार्लमेंटने भारत सरकारकी सब कठिनाइयां दूर कर दीं।

१८६१ के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्टसे कई महत्वके परिवर्त्तन हुए। पहले तो यह स्पष्ट कर दिया गया कि व्यवस्थापिका सभा केवल सम्मति देनेके लिये है, उसे पार्लमेंटकेसे अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस लिये इसमें कह दिया गया कि गवर्नर-जेनरलकी लेजिस्लेटिव कौन्सिलमें पेश किये हुए किसी बिल, या किसी बिलके पेश करने तथा व्यवस्थापिका सभाके कार्यसञ्चालनके नियमोंके परिवर्त्तन या संशोधनादिपर ही विचार होगा, अन्य प्रस्तावों पर नहीं। सरकारी ऋण, सरकारी आमदनी, धर्म या धर्मसम्बन्धी अधिकारों और रीतियों, स्थल तथा जलसेनाके विनयानुशासन, विदेशी या देशी राज्योंसे सरकारके सम्बन्ध-

पहला कौंसिल्स ऐक्ट।

वषयक प्रस्ताव उपस्थित करनेके लिये गवर्नर जेनरलकी स्वीकृति आवश्यक कर दी गयी। इसके बाद यदि कोई बिल कौन्सिलसे पास हो जाय, तो तबतक वह ऐक्ट नहीं माना जा सकता, जबतक गवर्नर-जेनरल उसपर "स्वीकृत" लिखकर हस्ताक्षर न कर दें। इसके उपरान्त भी सम्राट् उसे अस्वीकार कर सकते हैं और इस प्रकार अस्वीकृत होनेपर वह रद्द कर दिया जायगा। इन नियमोंसे व्यवस्थापिका सभाका सरकारी कामोंकी आलोचना और उनमें हस्तक्षेप करना बन्द हुआ। दूसरे, गवर्नर जेनरलको अपनी कौन्सिलके असाधारण और साधारण सदस्यों तथा जिस प्रदेशमें व्यवस्थापिका सभाकी बैठक हो उसके लेफ्टनेंट गवर्नरके सिवा कमसे कम छ और अधिकसे अधिक १२ सदस्योंको अपनी व्यवस्थापिका सभाके सदस्य मनोनीत करनेका अधिकार दिया गया और नियम हुआ कि इनमें कमसे कम आधे सदस्य गैरसरकारी सज्जन होंगे। कानून बनानेके समयके सिवा इन्हें कौन्सिलमें बैठनेका अधिकार न मिला। इनका कार्यकाल दो वर्ष नियत हुआ। इसी समयसे सुप्रीम कोर्टके चीफ जस्टिस और एक जजका मेम्बर नियुक्त होना बन्द हुआ। तीसरे, १८३४ में मद्रास और बम्बई सरकारोंसे कानून बनानेका जो अधिकार छीन लिया गया था, वह उन्हें मिल गया और इनके लिये उनकी भी व्यवस्था सभाए बनीं, जिनमें ऐडवोकेट जेनरल

के सिवा ४ से ८ मेम्बरतक नियुक्त करनेका अधिकार गवर्नरोंको दिया गया। इनमें कमसे कम आधे गैरसरकारी मेम्बरोंका होना आवश्यक ठहराया गया। चौथे, अन्य प्रदेशोंमें भी व्यवस्थापिका सभाएं स्थापित करने और इनके लिये सदस्य मनोनीत करनेका अधिकार गवर्नर जेनरलको दिया गया। इसके अनुसार १८६२ में बङ्गालमें, १८८६ में पश्चिमोत्तर प्रदेशमें, १८९८ में पञ्जाब और बर्मामें और १९०५ में पूर्व बङ्ग और आसाममें व्यवस्थापिका सभाएं स्थापित हुई। पाचवें, गवर्नर जेनरलको अधिकार मिला कि देशमें शांति और सुशासनके लिये आर्डिनैन्स बनावें और छ महीनेतक वह कानून समझा जाय। छठे, नान रेगुलेशन प्रदेशोंके लिये जो आज्ञाएं तथा रेगुलेशन गवर्नर-जेनरलने प्रचारित किये थे, वे भी कानून ठहराये गये। सातवें, गवर्नर-जेनरलकी अनुपस्थितिमें शासनकारिणी सभाके सीनियर (सबसे पुराने) आर्डिनरी मेम्बरको व्यवस्थापिका सभाके अध्यक्षका आसन ग्रहण करनेका अधिकार मिला। आठवें, गवर्नर जेनरलको अधिकार दिया गया कि शासनकारिणी सभाके कार्यसञ्चालनार्थ नियम बनावें और नियमोंके अनुसार जो कार्य हो, वह गवर्नर-जेनरलकी कौंसिलका कार्य समझा जाय। इस नियमने सरकारके विभागोंकी सृष्टि की और प्रत्येक मेम्बर अपने अधीन विभागके सम्बन्धकी आज्ञा भारत सरकारके नामसे जारी

करने लगा। प्रेसिडेंसियोंके गवर्नरोंको भी नियम बनानेका अधिकार है। इनसे सेक्रेटेरियटका कोई अफसर "सरकार" हो सकता है। इनके सिवा गवर्नर-जेनरलको और भी अधिकार मिले जिनका व्यवस्थापिका सभाओंसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

व्यवस्थापकोंकी अधिकारवृद्धि ।

इस ऐक्टके बाद भारतीय व्यवस्थापिका सभाओंसे सम्बन्ध रखनेवाले तीन ऐक्ट पार्लमेंटने और पास किये, पर इनसे उनकी रचनामें कुछ अन्तर नही पडा। १८६६ के ऐक्टमें भारतकी सीमाके भीतर और बाहर भी महारानी विक्टोरिया और उनके उत्तराधिकारियोंको अपनी भारतीय प्रजाके लिये कानून बनानेका अधिकार दिया गया। साथ ही इसके पहले जो कानून कायदे गवर्नर जेनरल और मद्रास तथा बम्बईके गवर्नरोंने ब्रिटिश भारतके बाहरके भारतीयोंके लिये बनाये थे, वे भी ठीक ठहराये गये। १८७० के ऐक्टसे भारत-सरकारको भारतके भिन्न भिन्न भागोंके लिये उनके शासकोंके प्रस्तावनानुसार "रेगुलेशन" बनानेका अधिकार दिया गया और नियम हुआ कि इस ऐक्टके अनुसार बने रेगुलेशन और व्यवस्थापिका सभामें बने कानूनकी नकल भारतसचिवको भेजी जाय। १८७६ के ऐक्टने मद्रास और बम्बईके गवर्नरों तथा बङ्गालके लेफ्टेनेण्ट गवर्नरकी कौंसिलमें बने हुए उन कानूनोंको जायज ठहराया, जिनमें अङ्गरेजोंको दण्ड देनेकी व्यवस्था थी और उन

ऐक्टोंको इण्डियन कौंसिल्स ऐक्टके अनुसार रद्द करनेका भी उन्हें अधिकार दिया। पर विशेष और महत्वपूर्ण परिवर्त्तन १८९२ के इण्डियन कौंसिल्स ऐक्टसे हो हुए। एक तो कौंसिलों के सदस्योंकी संख्या बढ़ी और दूसरे भारत तथा बड़े प्रदेशोंकी व्यवस्थापिका सभाओंमें बजेटपर विचार प्रकट करने और शासन सम्बन्धीय बातोंपर प्रश्न करने और उनकी ओर सरकारका ध्यान आकृष्ट करनेका अधिकार सभासदोंको मिला। परन्तु वे किसी प्रकारका प्रस्ताव नहीं कर सकते थे। बड़ी व्यवस्थापिका सभाके लिये १० से १६ सदस्यतक मनोनीत करनेका अधिकार गवर्नर जेनरलको मिला। इससे गवर्नर जेनरलको छोड़कर बड़ी कौंसिलमें २४ सदस्य हुए। इनमें छ तो गवर्नर-जेनरलकी शासनकारिणी सभाके सदस्य थे, बाकी ८ सरकारी अफसर और १० मनोनीत सज्जन थे। सरकारी अफसरोंमें सभी बड़े प्रदेशोंके प्रतिनिधि थे। गैर-सरकारी सज्जनोंमें ५ को तो गवर्नर-जेनरल स्वेच्छासे और ५ को कुछ संस्थाओंकी सिफारिशसे मनोनीत करते थे। पिछले पांच सदस्योंमें कलकत्ता चेम्बर आफ कामर्स तथा मद्रास, बम्बई बङ्गाल और युक्तप्रदेशकी व्यवस्थापिका सभाओंके गैर-सरकारी सदस्योंके प्रतिनिधि थे। मद्रास और बम्बईकी कौंसिलोंके लिये उक्त प्रदेशोंके गवर्नरोंको ८ से २० सदस्य तथा बङ्गाल और युक्त-प्रदेशकी कौंसिलोंके लिये अधिकसे अधिक २० और १५ सदस्य मनोनीत करनेका अधिकार गवर्नर-जेनरलको दिया गया।

कौन्सिलोंमें कमसे कम कितने गैर-सरकारी सज्जन होने चाहिये इसका नियम पूर्ववत् ही रहा। पञ्जाब और बर्माकी कौन्सिलोंमें एक भी निर्वाचित सदस्य नहीं था, और उनके सदस्योंकी सख्या भी ९ से अधिक नहीं थी। बजेटपर विचार प्रकट करनेके समय सदस्य शासनसम्बन्धीय बातोंकी आलोचना भी करते थे। शासनसम्बन्धीय कोई समाचार जाननेके लिये ही प्रश्न किया जा सकता था। उसमें सयत भाषाका प्रयोग होता था और व्यङ्ग, कटाक्ष, दोषारोप आदि नहीं होता था।

कौंसिलोंकी पूर्व रचना।

१९०९ के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्ट और उसके अनुसार भारत सरकारके बनाये हुए रेगुलेशनोंसे व्यवस्थापिका सभाओंका स्वरूप बहुत कुछ बदल गया, यद्यपि इसमें बहुत सन्देह है कि १८५३के चार्टर ऐक्टके अनुसार भारतकी व्यवस्थापिका सभाको जो अधिकार थे अथवा उसके बाद जिन अधिकारोंका वह उपयोग कर रही थी, वे उसे प्राप्त हुए या नहीं। इस ऐक्टसे कौंसिलोंके सदस्योंकी सख्या ही नहीं बढ़ी, बल्कि उन्हें अधिक अधिकार भी मिले। पहले केवल प्रश्न करनेका ही अधिकार था, पर इस ऐक्टने प्रश्नपर प्रश्न अर्थात् प्रश्नसे उत्पन्न किसी विषयपर प्रश्न करनेका अधिकार भी मेम्बरोंको दिया। पहले जिस दिन बजेट पेश होता था, उसी दिन उसपर बहस होती थी और वह पास कर दिया जाता था। पर

इस ऐक्टके अनुसार बजेटकी मद्दों तथा शासनके अन्य प्रश्नोंपर प्रस्ताव किये जा सकते थे और कौंसिलका मतामत जाननेके लिये पक्ष और विपक्षके मेम्बर अलग अलग कराये जा सकते थे। पर प्रस्ताव सिफारिशके तौरपर होते थे और सरकार उनसे बाध्य नहीं होती। गैर सरकारी मेम्बर किसी विषयका कानून बनानेके लिये कौंसिलमें बिल उपस्थित कर सकते थे, पर गवर्नर जेनरल तथा प्रादेशिक सभामें गवर्नर, ले० गवर्नर अथवा चीफ कमिशनरसे बिल उपस्थित करने और प्रस्ताव करनेकी आज्ञा लेनी पड़ती थी। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्त्तन यह हुआ था कि पहले जहा सभी मेम्बर गवर्नमेंटकी इच्छासे मनोनीत अथवा दूसरोंकी सिफारिशसे मनोनीत होते थे, वहा इस नये ऐक्टके अनुसार बहुतसे निर्वाचित होते थे।

१९०९का ऐक्ट छोटा था और इसमें सभी विषयोंका समावेश नहीं था। इस लिये कौंसिलके

कौन्सिलोंके मेम्बर। मेम्बरोंके निर्वाचन, उसकी कार्यपद्धति और नियमादि भारतसचिवकी स्वीकृतिसे भारतसरकारके बनाये रेगुलेशनोंके अनुसार निर्द्धारित हुए थे। १९१२ में रेगुलेशनोंका संशोधन होनेपर कौंसिलोंका रूप इस प्रकार हुआ था,—

बड़ा व्यवस्थापिका सभा।

पदके कारण सदस्य।

शासनकारिणी सभाके ६ साधारण और ? असाधारण

(प्रधान सेनापति और दिल्लीके चीफ कमिशनर या पञ्जाबके लेफ्टेनेण्ट गवर्नर) सदस्य ८

अतिरिक्त सदस्य।

मनोनीत सदस्योंमें २८ से अधिक अफसर न थे, जिनमें ६ अफसर तो प्रदेशोंके प्रतिनिधि थे। ३ गैरसरकारी मेम्बर पञ्जावके जमीन्दारों, पञ्जावके मुसलमानों और भारतीय व्यापारियोंद्वारा निर्वाचित होते थे। १९१५ में एक भारतीय योद्धा भी था। ३३

निम्नलिखित संस्थाओंद्वारा निर्वाचित

(अ) बङ्गाल, बम्बई, मद्रास और युक्तप्रदेशकी व्यवस्थापिका सभाओंके गैरसरकारी सदस्योंद्वारा २।७ तथा विहार उड़ीसे, पञ्जाब, बर्मा, आसाम और मध्यप्रदेशकी व्यवस्थापिका सभाओंके गैरसरकारी सदस्योंद्वारा १।१	१३
(आ) बङ्गाल, बम्बई, मद्रास, युक्तप्रदेश, विहार उड़ीसे और मध्यप्रदेशके जमीन्दारों द्वारा १।१	६
(इ) बङ्गाल, बम्बई, मद्रास, युक्तप्रदेश और विहार-उड़ीसेके मुसलमानोंद्वारा	५
(ई) पारी बारीसे युक्तप्रदेश और बङ्गालके मुसलमान जमीन्दारोंद्वारा	१
(उ) बम्बई और कलकत्तेकी चेम्बर आव कामर्सद्वारा	२ २७

कुल ६८

अथवा गवर्नर-जेनरल समेत ६९

मद्रासकी व्यवस्थापिका सभा।

पदके कारण सदस्य।

शासनकारिणी सभाके सदस्य	३
ऐडवोकेट जेनरल	१

अतिरिक्त सदस्य।

मनोनीत सदस्योंमें १६ से अधिक अफसर न थे और एक भारतीय व्यापारियोंका प्रतिनिधि था		२१
मनोनीत विशेषज्ञ जो चाहे अफसर हों या गैर सरकारी आदमी		२
निम्नलिखित संस्थाओंद्वारा निर्वाचित सदस्य		
(अ) मद्रास कार्पोरेशन	१	
(आ) म्यूनिसिपैलिटियां और जिला बोर्ड	६	
(इ) मद्रास विश्वविद्यालय	१	
(ई) जमीन्दार	५	
(उ) प्लैंटर	१	
(ऊ) मुसलमान	२	
(ऋ) मद्रास चेम्बर आव कामर्स	१	
(ऋ) मद्रास ट्रेड्स एसोसियेशन	१	२१
	कुल	४८
या गवर्नर समेत		४६

बम्बईकी व्यवस्थापिका सभा ।

पदके कारण सदस्य ।

शासनकारिणी सभाके सदस्य

ऐडवोकेट जेनरल

अतिरिक्त सदस्य ।

मनोनीत सदस्य जिनमें १४ से अधिक अफसर न थे

मनोनीत विशेषज्ञ जो चाहे सरकारी अफसर हों या गैरसरकारी आदमी

इन सस्थाओंद्वारा निर्वाचित

(अ) बम्बई कार्पोरेशन	१	
(आ) म्यूनिसिपैलिटियां	४	
(इ) जिला बोर्ड	४	
(ई) विश्वविद्यालय	१	
(उ) जमीन्दार	३	
(ऊ) मुसलमान	४	
(ऋ) बम्बई चेम्बर आव कामर्स	१	
(ॠ) कराची „ „ „	१	
(ऌ) बम्बई और अहमदाबादकी मिलओनर्स एसोसिएशन	१	
(ॡ) भारतीय व्यापारी	१	२१
		४८
या गवर्नर समेत		४९

बंगालकी व्यवस्थापिका सभा।

पदके कारण सदस्य।

शासनकारिणी सभाके सदस्य	३

अतिरिक्त सदस्य।

मनोनीत जिनमें १६ से अधिक अफसर न थें, कलकत्ते और चटगावके यूरोपियन व्यापारियोंका १ और भारतीय व्यापारियोंका १ प्रतिनिधि	२०
मनोनीत विशेषज्ञ जो चाहे सरकारी अफसर हों या गैरसरकारी आदमी	२
निम्नलिखित संस्थाओंद्वारा निर्वाचित सदस्य	
(अ) कलकत्ता कार्पोरेशन	१
(आ) म्यूनिसिपैलिटियां	५
(इ) जिला बोर्ड	५
(ई) विश्वविद्यालय	१
(उ) जमीन्दार	४
(ऊ) मुसलमान	५
(ऋ) बङ्गाल चेम्बर आव कामर्स	२
(ॠ) कलकत्ता ट्रेड्स एसोशियेशन	१
(ऌ) चटगावके पोर्ट कमिशनर	१
(ॡ) (गवर्नमेण्टके मनोनीत कमिशनरोंको छोड़ कलकत्ता कार्पोरेशनके कमिशनर	१
(ए) टी प्लैंटिङ्ग एसोशियेशन	१

आसामकी व्यवस्थापिका सभा।

मनोनीत सदस्योंमें ८ से अधिक अफसर न थे		१३
मनोनीत विशेषज्ञ चाहे अफसर हों या गैरसरकारी आदमी		१
निम्नलिखित सस्थाओंद्वारा निर्वाचित सदस्य		
(अ) म्यूनिसिपैलिटिया	२	
(आ) लोकल बोर्ड	२	
(इ) जमीन्दार	२	
(ई) मुसलमान	२	
(उ) टी प्लैंटर (चाय बगीचोंके गोरे)	३	११
		२५-
या चीफ कमिशनर समेत		२६

विहार-उडीसेकी व्यवस्थापिका सभा।

पदके कारण सदस्य।

शासनकारिणी सभाके सदस्य	३

अतिरिक्त सदस्य।

मनोनीत सदस्य जिनमें १५ से अधिक अफसर न थें	१६
मनोनीत विशेषज्ञ चाहे अफसर हों या गैरसरकारी आदमी	१
निम्नलिखित सस्थाओंद्वारा निर्वाचित	
(अ) म्यूनिसिपैलिटिया	
(आ) जिला बोर्ड	

(इ) जमीन्दार	५	
(ई) मुसलमान	४	
इण्डिगो प्लैंटर (निलहे गोरे)	१	
(ऊ) कोयलेकी खानवाले	१	२१
		४४
या लेफ्टेनेण्ट-गवर्नरसमेत		४५

मध्यप्रदेश और बरार व्यवस्थापिका सभा ।

मनोनीत सदस्य जिनमें १० से अधिक अफसर न थे और ३ बरारके गैरसरकारी आदमी या बरारकी म्यूनिसिपैलिटियों, जिला बोर्डों और जमीन्दारोंद्वारा निर्वाचित)		१७
मनोनीत विशेषज्ञ चाहे अफसर हो या गैरसरकारी आदमी		१
निम्नलिखित संस्थाओंद्वारा निर्वाचित सदस्य		
(अ) म्यूनिसिपैलिटियां	३	
(आ) जिला बोर्ड	२	
(इ) जमीन्दार	२	७
		२५
या चीफ कमिश्नर समेत		२६

ऊपरके विवरणसे मालूम होगा कि प्रादेशिक सभाओंमें गैरसरकारी मेम्बरोंकी संख्या अधिक है, पर बड़ी व्यवस्थापिका सभामें गैरसरकारोंसे सरकारी मेम्बर अधिक रखे गये हैं। लार्ड मिण्टोको तो इस सभामें भी गैरसरकारी मेम्बरोंके मताधिक्यपर आपत्ति न थी, पर लार्ड मोरलेने इसमें सरकारी मताधिक्य ही आवश्यक समझा और तदनुसार ही नियम आदि बने। लार्ड मोरलेने यह मताधिक्य इस लिये रखा था कि यदि किसी प्रदेशके गैरसरकारी मेम्बर किसी कानूनके बनानेका एक स्वरसे विरोध करे और सरकार उसे बनाना ही चाहे, तो भारत सरकार अपने अधिकारोंका उपयोग कर वह कानून बना सके। प्रादेशिक शासक वा शासकमण्डल निर्द्धारित संख्यासे अधिक सदस्य नहीं मनोनीत कर सकते थे।

कौन निर्वाचित नहीं हो सकते ।

व्यवस्थापिका सभाओंके सभासदोंकी जो संख्या और वर्णन ऊपर दिया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सभासदोंमें मुख्य दो भेद हैं, एक, एक्सआफिशियो अर्थात् पदके कारण और दूसरा, ऐडिशिनल वा अतिरिक्त। शासनकारिणी सभाओंके साधारण सदस्य अपने पदोंके कारण व्यवस्थापिका सभाके सदस्य होते थे। प्रधान सेनापति और दिल्लीके चीफ कमिशनर या पञ्जाबके लेफटेनेण्ट गवर्नर भी अपने पदोंके कारण सदस्य होते हैं। इनके सिवा

जितने सदस्य हैं, सभी एडिशनल या अतिरिक्त कहाते हैं। इन एडिशनल मेम्बरोंके भी दो भेद हैं, एक निर्वाचित (इलेक्टेड) और दूसरा मनोनीत (नामिनेटेड)। नामिनेटेड मेम्बरके लिये किसी प्रकारकी योग्यताकी आवश्यकता नहीं होती। सरकार चाहे जिसे नामिनेट कर सकती है, पर पागल, नाबालिग और स्त्रियां मेम्बर मनोनीत नहीं होतीं। मनोनीत सदस्यके लिये अङ्गरेजी जानने या ब्रिटिश प्रजा होनेकी भी आवश्यकता नहीं है। पर इलेक्टेड या निर्वाचित मेम्बरोंके लिये विधिनिषेध हैं। जो मनुष्य (अ) ब्रिटिश प्रजाजन न होगा, (आ) अफसर होगा, (इ) स्त्री होगा, (ई) अदालतसे यदहवास ठहराया गया होगा, (उ) २५ वर्षसे कम उम्रका होगा, (ऊ) सर्टिफिकेट पाया हुआ या खारिज दिवालिया न होगा (ऋ) सरकारी नौकरीसे बर्खास्त हुआ होगा, (ॠ) किसी फौजदारी अदालतसे ऐसे अपराधके लिये दण्डित हुआ होगा, जिसमें ६ महीनेसे अधिककी जेल या काले पानीकी सजा हो सकती हो या फौजदारी कानूनके अनुसार जिससे नेकचलनीकी जमानत मांगी गयी हो और यह सजा या हुक्म रद्द न हुआ हो या दोषाको क्षमा न मिली हो, (ऌ) किसी उपयुक्त अधिकारीकी आज्ञासे वकालत करनेसे रोक दिया गया हो, या (ए) जिसका निर्वाचन भारत सरकारकी दृष्टिमें लोकापकारक हो वह सदस्य नहीं निर्वाचित नहीं हो सकता। (ऋ) (ॠ), (ऌ) और (ए) में वर्णित दोष भारत सरकारकी आज्ञासे दूर हो सकते हैं।

व्यवस्थापिका सभाओंके लिये सदस्य मनोनीत कर

मताधिकार। अधिकार सरकारको और निर्वा करनेका प्रजाको है। पर जिस प्र सब प्रकारके लोग सभासद नहीं सकते, उसी प्रकार सभी निर्वाचक भी नहीं हो सकते। कि नाबालिगों, बदहवासों, दिवालियों और दण्डितोंको निर्वाच समय किसीको वोट या मत देनेका अधिकार नहीं है। स मनुष्योंहीको मताधिकार प्राप्त है। सम्पन्नोंकी दो श्रेणि है, (१) प्रत्यक्ष सम्पन्न अर्थात् जमीन्दार जो सरकारको म गुजारी देते हैं, और (२) अप्रत्यक्ष सम्पन्न अर्थात् स्था संस्थाओंके मेम्बर। स्थानिक संस्थाओंकी मेम्बरी विना टै दिये नहीं मिल सकती, इसलिये इनके मेम्बर भी सम समझे जाते हैं। मुसलमानोंके लिये साम्पत्तिक योग्यता मान कम किया गया है। सरकारसे पेनशन पानेवाले त पीढ़ी दर पीढ़ीके पदवीधर अथवा सरकारसे पदवी प हुए लोगोंको भी मताधिकार प्राप्त है। परन्तु किसीको स्थानके लिये एकसे अधिक वोट या मत देनेका अधिक नहीं है। जिन संस्थाओं द्वारा व्यवस्थापिका सभाके सद निर्वाचित होते हैं, वे इलेक्टरेट्स (निर्वाचिनी संस्थाएं) क लाती हैं। ये संस्थाएं तीन प्रकारकी हैं, एक जेन इलेक्टरेट, दूसरी क्लास इलेक्टरेट और तीसरी स्पेशल इ

निर्वाचक होते हैं। बड़ी व्यवस्थापिका सभाकी जेनरल इलेक्टरेटमें प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंके गैरसरकारी मेम्बर ही होते थे और प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंकी जेनरल इलेक्टरेट म्यूनिसिपैलिटिया और जिला बोर्ड हैं। क़ास इलेक्टरेट दो प्रकारकी है, एक जमीन्दारों, ताल्लुकेदारों, जागीरदारों और सरदारोंकी और दूसरी मुसलमानोंकी। स्पेशल इलेक्टरेटोंमें विश्वविद्यालय, व्यापारी और वणिक् समाज, प्लैण्टर और खानवाले हैं।

साधारण निर्वाचिनी संस्थामें वोट देनेका अधिकार जिन लोगोंको होता है, उनकी एक सूची रहती है, जो "इलेक्टरल रोल" या निर्वाचकोंकी नामावली कहाती है।

जेनरल एलेक्टरेट।

प्रति वर्ष जुलाईमें निर्वाचकोंकी कच्ची नामावली प्रकाशित होती थी। इसपर जिसे जो आपत्ति करनी होती थी, वह अपनी आपत्ति करता था और कलेक्टर उसके औचित्य या अनौचित्य का निर्णय करके १ ली अक्तूबरको अन्तिम नामावली प्रकाशित करता था। इस प्रकार प्रत्येक निर्वाचनके समय वे ही लोग मत दे सकते थे, जिनके नाम इलेक्टरल रोलमें होते थे। मद्रासकी जेनरल इलेक्टरेटमें वे ही इलेक्टर या निर्वाचक हो सकते थे, जो (१) नामावली प्रकाशित होनेके पहले ३० जूनको उस स्थानके अन्तर्गत म्यूनिसिपल कौंसिल, जिला या ताल्लुक बोर्डोंके गैरसरकारी मेम्बर हों, जिसके लिये मेम्बर

निर्वाचित होता था, या (२) उस तारीखको समाप्त होनेवाले दस वर्षमें कमसे कम तीन वर्ष म्यूनिसिपल कौन्सिल, जिला या ताल्लुक वोर्डके मेम्बर रहे थे, या (३) पदवीधर थे अथवा सरकारसे रावसाहबसे बड़ी कोई पदवी पाये हुए थे। मद्रासके इन जिलोंकी म्यूनिसिपैलिटियों, जिला और ताल्लुक बोर्डोंको तथा अन्य निर्वाचकोंको सदस्यनिर्वाचनका अधिकार था, (१) गञ्जाम और विजगापट्टम (२) गोदावरी कृष्णा और गण्टूर (३) नीलोर, कडप्पा और चित्तूड (४) कर्नूल, वेलारी और अनन्तपुर (५) चिङ्गलपट और साउथ अर्काट (६) सेलम, कायमवटूर और नीलगिरी (७) दक्षिण कानडा और मलवार (अंजेंगो और टनासरी समेत) (८) तञ्जोर और ट्रिचनापली (९) मदुरा, रामनद और टिनेवली। बम्बईमें डेलिगेटों या प्रतिनिधियों द्वारा मेम्बरोंका चुनाव होता था। जिस म्यूनिसिपैलिटीमें ५ से १० हजार मनुष्योंकी बस्ती होती थी, उससे एक डेलिगेट चुना जाता था। १० से २० हजारतककी बस्तीवाली म्यूनिसिपैलिटीसे दो डेलीगेट और इससे ऊपर प्रति १० हजार या इसके अशके लिये एक डेलीगेटका चुनाव होता था। जिला बोर्डोंके डेलिगेट जिलेकी बस्तीके अनुसार चुने जाते थे। एक लाखकी बस्तीवाला बोर्ड एक और दो लाखवाला दो डेलीगेट चुनता था, पर दो लाखसे ऊपर फी लाख या उसके अशके लिये एक डेलिगेट चुना जाता था। ये डेलीगेट इकट्ठे

होकर अपने अपने डिवीजनके लिये सदस्य निर्वाचित करते थे। यङ्गालमें आमदनीपर स्थानिक संस्थाओंको घोट देनेका अधिकार दिया गया था। ५ हजारसे १० हजारकी आमदनीवाली म्यूनिसिपैलिटी एक, १० हजारसे २० हजारवाली दो, २० हजारसे ५० हजारवाली तीन और ५० हजारसे ८० हजारकी आमदनीवाली म्यूनिसिपैलिटी चार घोट दे सकती थी। इससे ऊपर प्रति ३० हजार या उसके अशके लिये एक घोट था। कौन म्यूनिसिपैलिटी कितने घोट दे सकती है इसकी सूचना समय समयपर सरकारी प्रादेशिक गजेटमें निकलती थी। निर्वाचनके समय वे ही कमिशनर घोट दे सकते थे, जिन्हें घोट देनेका अधिकार था और जो सरकारी कर्मचारी नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट और लोकल घोर्डों के घोटोंकी व्यवस्था इस प्रकार थी कि पिछले सालकी रोकड़बाकी और ऋण लिया हुआ धन छोड़कर ७५ हजार वार्षिक आयवाले डिस्ट्रिक्ट घोर्ड एक घोट और ७५ हजारसे अधिक तथा १। लाखसे कमवाले २ घोट दे सकते हैं। इससे ऊपर हर ५० हजार या १। लाखतक ५० हजारके अशके लिये १ घोट निर्धारित था। हर जिलेके डिस्ट्रिक्ट और लोकल घोर्डों को मिलकर कितने घोट देनेका अधिकार है यह समय समयपर प्रादेशिक सरकार गजेटमें प्रकाशित करती थी। निर्वाचनके समय हर जिलेके डिस्ट्रिक्ट और लोकल घोर्डों के मेंबर घोट देते थे जिन्हें अधिकार था और जो सरकारी कर्मचारी नहीं

थे। जिस डिवीजनके लिये जितने मैंबर निर्वाचित होते थे, उतनेसे अधिक वोट म्यूनिसिपैलिटीका कोई कमिशनर या वोर्डका मेम्बर नहीं दे सकता। प्रत्येक निर्वाचनमें प्रेसिडेंसी वर्द्धवान, ढाका और राजशाही डिवीजनोंके म्यूनिसिपल कमिशनर एक एक मेम्बर निर्वाचित करते थे। एक निर्वाचनका अन्तर देकर प्रति तीसरे निर्वाचनमें चटगाव डिवीजनसे एक मेम्बर निर्वाचित होता था तथा प्रेसिडेंसी और वर्द्धवान डिवीजनोकी म्यूनिसिपैलिटिया भी एक मेम्बर निर्वाचित करती थीं। इस प्रकार प्रति निर्वाचनमें बङ्गालकी म्यूनिसिपैलिटियोंकी ओरसे ६ या ५ मेम्बर निर्वाचित होते थे। हर डिवीजनके डिस्ट्रिक्ट और लोकल वोर्ड एक एक मेम्बर निर्वाचित करते थे।

युक्तप्रदेशमें बडी म्यूनिसिपैलिटियों और छोटी म्यूनिसिपैलिटियों तथा डिस्ट्रिक्ट वोर्डों द्वारा १३ मेम्बर निर्वाचित होते थे। बडी म्यूनिसिपैलिटियोंके दो विभाग किये गये थे। एकमें मेरठ, आगरे, प्रयाग और लखनऊकी तथा दूसरेमें बरेली, कानपुर, बनारस और फैजाबादकी म्यूनिसिपैलिटिया थीं। एक निर्वाचनमें पहली चार म्यूनिसिपैलिटिया चार मेम्बर निर्वाचित करती थी और दूसरेमें दूसरी चार। इसी प्रकार इन्हें वारी वारीसे मेम्बर निर्वाचित करनेका अधिकार था। वाकी ९ मेंबरोंको मेरठ, आगरा, रुहेलखण्ड, झासी, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ और फैजावाद डिवीजनों-

की म्यूनिसिपैलिटियां और जिला बोर्ड निर्वाचित करते थे। इसकी रीति यह थी कि डिवीजनके सब जिला बोर्ड और जिलोंके सदरों या ऐसे स्थानोंके म्यूनिसिपल बोर्डों के डेलीगेट मेम्बर निर्वाचित करते थे, जहां पिछली मनुष्यगणनाके अनुसार २०,००० मनुष्य बसते थे अथवा जिनका नाम १६ जुलाई १८६६ के लेफ्टेनेंट गवर्नरके नोटिफिकेशनमें था। बड़ी म्यूनिसिपैलिटियोंद्वारा निर्वाचनके नियमोंके अनुसार जिस म्यूनिसिपल बोर्डका प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभामें होता था अथवा जिसे मेंबर चुननेका अधिकार होता था, वह इस नियमके अनुसार मेम्बर न निर्वाचित कर सकता था। ५ लाखसे कमकी बस्तीवाले जिले दो, ५ से ७॥ लाखतककी बस्तीवाले तीन, ७॥ से १० लाखतक चार, १० से १२॥ लाखतक पाच, १२॥से १५ लाखतक छ और १५ लाखसे अधिककी बस्तीवाले जिलोंको ७ डेलीगेट चुननेका अधिकार था। इसी प्रकार २० हजारकी बस्तीवाले शहर एक, २० और ५० हजारके बीचकी बस्तीवाले दो, ५० हजार हजारसे एक लाखतककी बस्तीवाले तीन और इससे अधिककी बस्तीवाले ४ डेलीगेट चुन सकते थे। बिहारमें निर्वाचनके नियम बङ्गालके समान ही थे। हर डिवीजनके म्यूनिसिपल कमिशनरोंद्वारा एक मेंबर और डिस्ट्रिक्ट बोर्डोंद्वारा एक मेम्बर इस प्रकार ५ डिवीजनोंमें १० मेम्बर निर्वाचित होते थे। पञ्जाबमें सिस-सतलज, सेन्ट्रल (मध्य) और वेस्टर्न (पश्चिमी) जिलोंकी म्यूनिसिपल

और कैण्टनमेण्ट कमिटिया तीन तथा, जिला बोर्ड तीन मेंबर निर्वाचित करते थे। आसामकी म्यूनिसिपैलिटिया और लोकल बोर्ड ४ मेम्बर निर्वाचित करते थे। १० हजारसे कम की वार्षिक आयवाली म्यूनिसिपैलिटी एक, १० हजारसे अधिक और २० हजारसे कमकी आयवाली दो, २० हजारसे अधिक और ५० हजारसे कमकी आयवाली तीन, ५० हजारसे अधिक और ८० हजारसे कमकी आयवाली म्यूनिसिपैलिटी ४ वोट दे सकती थी। इससे ऊपर हर ३० हजार या इसके अशके लिये एक वोट नियत था। इसी प्रकार १,००,०००) की वार्षिक आयवाले लोकल बोर्डको एक वोट देनेका अधिकार था। इससे ऊपर हर १,००,००० या इसके हिस्सेके लिये एक वोट निर्द्धारित था। इस आयमें पिछले वर्षकी रोकडबाकी, और ऋणसे प्राप्त धन नहीं माना जाता था।

जमीन्दार इलेक्टरेट।

श्रेणी या समाजविशेषकी ओरसे कौन्सिलके लिये सदस्य निर्वाचन करनेका अधिकार जिन सस्थाओंको था, वे क्लास इलेक्टरेट कहाती थीं। जमीन्दारों और मुसलमानोंको अपने अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करनेका स्वतन्त्र अधिकार था। बडी व्यवस्थापिका सभाके लिये मद्रासके वेही जमीन्दार अपना प्रतिनिधि निर्वाचित कर सकते थे, जिनकी वार्षिक आय १५ हजारसे कम नहीं थी अथवा जिन्हें सरकारसे

कमसे कम १५ हजार वार्षिकका मालिकाना मिलता था। बम्बईके वे ही भूम्यधिकारी सदस्य निर्वाचित कर सकते थे, जो या तो सिन्धके जागीरदार या जमीन्दार हैं या गुजरात अथवा महाराष्ट्रके सरदार हैं। बङ्गालमें प्रेसिडेंसी और वर्दवान डिवीजनोंके १० हजार सालाना मालगुजारी या ५ हजार सालाना रोड और पब्लिक वर्क्स सेस देनेवाले जमीन्दार सदस्य निर्वाचित कर सकते थे। राजशाही, ढाके और चटगावके जमीन्दारोंकी मालगुजारी और सेस इसका आधा होना चाहिये। नवाब या राजाकी उपाधि पाये हुए लोगोंको भी वोट देनेका अधिकार था। युक्त प्रदेशके अवध भागमें लखनऊ ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशनको और आगरा भागमें १० हजार सालाना मालगुजारी देनेवाले या इतनी माफी पानेवाले जमीन्दारोंको वोट देनेका अधिकार था जिनकी जमीनकी मालगुजारी अनुमानसे १० हजार वार्षिकसे कम न हो। महाराज, राजा या नवाब उपाधिकारी भी वोट दे सकते थे। जिनकी परम्परागत राजवर, रायबहादुर, राय बहादुर, राय, मिर्जा, चौधरी या दीवान उपाधियां सरकारने स्वीकार की हैं, उन्हें भी वोट देनेका अधिकार था। बिहारके उन्हीं जमीन्दारोंको निर्वाचनके समय वोट देनेका अधिकार था, जो कमसे कम १० हजार सालाना मालगुजारी या २,५००) रोड और पब्लिक वर्क्स सेस देते थे। मध्यप्रदेशके वे ही जमीन्दार वोट दे सकते थे, जिनकी जमीनपर माल-

गुजारी ५ हजार लगायी गयी हो। दरबारी और आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी वोट दे सकते थे।

मद्रासमें रैयतवारी बन्दोबस्त होनेके कारण जमीन्दारोंके सिवा और लोगोंके पास भी जमीन है, पर ये जमीन्दार नहीं कहाते। इससे दोनोको प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाके लिये सदस्य निर्वाचन करनेके अधिकार दिये गये थे। मद्रास प्रेसिडेंसीके अन्तर्गत भूमिसे जिस जमीन्दारकी आय ३ हजार हो या जिसे सरकारसे ३ हजार साल मालिकाना मिलता था, वही इस निर्वाचनमे वोट दे सकता था। जिस स्थानकी ओरसे भूम्यधिकारियोंका प्रतिनिधि चुना जाता था, उसमें जिस भूम्यधिकारीकी एक हजार वार्षिक आयवाली भूमि थी, वही निर्वाचनके समय वोट दे सकता था। बम्बई सरकारने महाराष्ट्र और गुजरातके उन सरदारोंकी सूचियां यार कर रखी थी, जिन्हें प्रादेशिक सभाके लिये जमीन्दरोंके निर्वाचनके समय वोट देनेका अधिकार था। सिन्धके अव्वल और दोयम दर्जेके जागीरदारों और हजार रुपये साल मालगुजारी देनेवाले जमीन्दारोंको वोट देनेका अधिकार था। बङ्गालकी व्यवस्थापिका सभाके लिये सदस्य निर्वाचनके समय वे ही जमीन्दार वोट दे सकते थे, जो प्रेसिडेंसी और बर्द्वान डिवीजनोंमें वार्षिक ६ हजार मालगुजारी या १,५००) रोड और पब्लिक वर्क्स सेस या (२) राजशाही, ढाका और चटगांव डिवीजनोंमें ३ हजार मालगुजारी या ७५०)

रोड और पब्लिक वर्क्स सेस देते थे। राजा या नवाब उपाधिकारी भी वोट दे सकते थे। युक्तप्रदेशके आगरा भागमें ५ हजार साल मालगुजारी देनेवाले जमीन्दार या ऐसे माफीदार निर्वाचक हो सकते थे, जिनकी माफीपर ५ हजार साल मालगुजारी लग सकती थी। नवाब, राजा महाराजा उपाधि पाये या सरकारद्वारा स्वीकृत परम्परागत राजवर, रायबहादुर, रायबहादुर, मिर्जा, खा बहादुर, चौधरी या दीवान उपाधिकारी व्यक्ति भी वोट दे सकते थे। अवधमें लखनऊकी ब्रिटिश इण्डियन एसोशियेशन अपने असाधारण अधिवेशनमें सदस्य निर्वाचित करती थी। विहारमें पटना तिरहुत और भागलपुर डिवीजनोंके ४ हजार मालगुजारी या एक हजार सेस और उड़ीसा छोटानागपुर डिवीजनोंके ३ हजार मालगुजारी या ५००) सेस देनेवाले जमीन्दार या राजा अथवा नवाब निर्वाचक हो सकते थे। आसाममें किसी डिवीजनमें यदि कोई जमीन्दार ५००) मालगुजारी या १२५) सेस देता था तो वह निर्वाचक हो सकता था।

मुसलमान इलेक्टरेट।

बम्बई, बङ्गाल, मद्रास, विहार उड़ीसा और युक्तप्रदेश इन पाचो प्रदेशोंके मुसलमानोंको बड़ी व्यवस्थापिका सभामें मेंबर भेजनेका अधिकार था। पर बम्बई प्रदेशमें केवल प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाके मुसलमान सदस्य ही इसे निर्वाचित कर सकते थे। बङ्गालमें व्यवस्थापिका सभाके

जमीन या मुकर्ररी पट्टेकी १२५) मालगुजारी या ३१।) सेस तथा राजशाही, ढाका और चटगांव डिवीजनोंमें १००) मालगुजारी या ५०) सेस अथवा पहले दोनो डिवीजनोंमें ३ हजार या पिछले तीनो डिवीजनोंमें १ हजारपर इनकम टैक्स देते थे या ५०) पेनशन पाते थे वे भी निर्वाचक हो सकते थे। वक्फ की हुई जायदादके मुतवाली भी यदि ऊपर लिखी मालगुजारी या सेस देते थे तो निर्वाचक हो सकते थे। बिहारके नियम भी प्राय ऐसे ही थे। पर उनमें मुसलमान वकील बैरिस्टरों, डाक्टरों और एंजिनियरोंके मताधिकारका उल्लेख नहीं था। साथ ही वही बिहारी मुसलमान निर्वाचनके समय मत दे सकता थे, जिसे ग्रैजुएट हुए दस वर्ष हो चुके थे अथवा जो उडीसा या छोटा नागपुर डिवीजनोंमें १२५) मालगुजारी या ३१।) सेस या २०००) की आमदनीपर इनकम-टैक्स देता था। पटना, भागलपुर और तिर्हुत डिवीजनोंके मुसलमानोंको इनसे दूनी मालगुजारी, सेस या इनकमटैक्स देना चाहिये। आसामके नियम बंगालके ढाका, राजशाही और चटगाव डिवीजनोंकेसे ही थे, पर इनमें वकील बैरिस्टरों, डाक्टरो, एंजिनियरों और शिक्षकोंके निर्वाचनाधिकारका उल्लेख नहीं था। जो मुसलमान डिवीजनमें ५०) साल मालगुंजारी देते थे या ग्वालपाडा जिलेमे जोतदार थे और २५०) साल लगान देते थे, या एक हजारकी आमदनीपर इनकम टैक्स देते थे या ५०) महीना पेनशन पाते थे, वे निर्वाचक हो सकते थे।

व्यवस्थापिका सभाकी मेंबरीके इच्छुक प्रायः प्रादेशिक सभाकी मेंबरीके उम्मेदवार नहीं होते थे, क्योंकि उनके लिये प्रादेशिक व्यवस्थापिकाके सदस्य होना आवश्यक नहीं था। पर कुछ लोग, जिन्हें बड़ी व्यवस्थापिका सभाके लिये अपने निर्वाचित होनेका सन्देह रहता था, पहले प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाके लिये उम्मेदवार होते थे और निर्वाचित हो चुकनेपर बड़ी व्यवस्थापिका सभाकी मेंबरीके लिये खड़े होते थे। इस निर्वाचनमें यदि वे सफल होते थे, तो प्रादेशिक सभामें उनका स्थान रिक्त हो जाता था और इसके लिये फिर निर्वाचन होता था।

निर्वाचनकी विधि यह थी कि पहले गवर्नर जेनरल या गवर्नर नोटिफिकेशन निकालकर इलेक्टरेटों या निर्वाचिनी संस्थाओंसे कहते थे कि अमुक तारीखतक रेगुलेशनोंके अनुसार तुम मेंबर निर्वाचित करो। सब व्यवस्थापिका सभाओंका कार्यकाल प्रायः एक साथ ही समाप्त हो जानेके कारण देशमें निर्वाचनोंकी एक प्रकारकी धूमसी मच जाती थी। बड़ी व्यवस्थापिका सभाके जमीन्दार और मुसलमान मेंबरोंके निर्वाचकोंकी सूची प्रादेशिक सरकारें प्रकाशित करती थीं। इस प्रकार इलेक्टरल रोल तैयार रहते थे। पहले कमसे कम दो वोटर फार्मपर उम्मेदवारोंके नाम लिखकर उन्हें मनोनीत करते थे। एक स्थानके लिये एक या दोके लिये दो ही उम्मेदवार हुए तो तुरत कह दिया जाता था कि वे निर्वा-

चित हो गये। पर यदि अधिक हुए तो वोटरोंके वोट लिखनेके लिये तारीख पड जाती थी और उस दिन सब वोटर इकट्ठे होते थे। जहा वोट लिये जाते थे वहा साक्षी स्वरूप एक अफसर रहता था जिसे प्रेसैडिंग अफसर कहते थे। यह सब वोट इकट्ठे कर दूसरे अफसरको भेज देता था, जो रिटर्निंग अफसर कहलाता था। रिटर्निंग अफसरके सामने भी वोट दिये जा सकते थे। रजिस्ट्री किये हुए लिफाफेके अन्दर भी रिटर्निंग अफसरको वोट भेजा जाता था। प्रेसैडिंग और रिटर्निंग अफसर जिलोंके कलेक्टर और डिवीजनोंके कमिश्नर होते थे। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंटके सैक्रेटरी भी यह काम करते थे। निर्वाचनका फल प्रकाशित होनेपर जो उम्मेदवार निर्वाचित न होता, वह सरकारसे इस बातकी शिकायत कर सकता था कि अमुकका वोट लिखना अथवा न लिखना या किसीको मनोनीत करना उचित या अनुचित हुआ है या निर्वाचनके लिये किसी उम्मेदवारने निर्वाचक या निर्वाचकोंको रिश्वत दी थी या धमकाया था या लालच दिया था। सरकार सब बातोंपर विचार करके निर्णय सुना देती थी। निर्वाचनके ऐसे मामलोंमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते थे। निर्वाचन रद्द होनेपर दूसरा निर्वाचन होता था। गजेट आव इण्डियामें निर्वाचनका फल या मनोनीत होनेकी सूचना प्रकाशित होनेपर मेम्बरका कार्यकाल आरम्भ होता था।

व्यवस्थापिका सभाके पहले अधिवेशनमें प्रत्येक नये सदस्यको राजभक्तिकी शपथ करनी पड़ती थी। कौन्सिलके अधिवेशन दिनको ११ से ४ बजेतक होते थे। बड़ी व्यवस्थापिका सभामें अध्यक्ष समेत सात सदस्योंके उपस्थित होनेपर कार्य आरम्भ होता था। पर कमसे कम १५ अतिरिक्त सदस्योंकी उपस्थिति विना कोई कानून नहीं बनाया जा सकता था। यहां प्रधान सेनापति अध्यक्षकी दाहिनी ओर, लेफटेनेण्ट गवर्नर सामने और सबसे नया मेंबर बायीं ओर बैठता था। कौन्सिलमें उपस्थित किसी विषयपर यदि कोई मेंबर कुछ कहना चाहे तो बैठेही बैठे कह सकता था। प्रस्तावकके वक्तव्यके बाद अध्यक्षकी बायीं ओरके मेम्बरसे प्रारम्भ कर क्रमशः सभी मेंबरोंको मत प्रकट करनेका अधिकार था। सबके बोल चुकनेपर प्रस्तावक उत्तर दे सकता था और कोई मेंबर चाहे तो, अध्यक्षकी अनुमतिसे अपना वक्तव्य समझा सकता था। पर यदि किसी बिलमें संशोधन करनेका प्रस्ताव होता था, तो प्रस्तावकके बाद बिल उपस्थित करनेवाला मेम्बर बोल सकता था। वादानुवादके समय यदि किसी मेंबरको दूसरेसे कुछ पूछना हो तो वह अध्यक्षद्वारा ही पूछ सकता था। अङ्गरेजी न जाननेवालेकी ओरसे दूसरा मेम्बर बोल सकता था। प्रत्येक प्रस्तावका बहुमतसे निपटारा होता था। मतविभागके समय सेक्रेटरी अध्यक्षकी बायीं ओर

कौंसिलका अधिवेशन।

बैठे मेंबरोंसे प्रारम्भ कर क्रमसे वोट लेता था। वोट लिये जाने बाद् फिर उस विषयपर विचार नहीं होता था। कोई मेंबर यदि कौंसिलमें कोई कागजपत्र उपस्थित कराना चाहता था तो अध्यक्ष उसी या उसीके बादके अधिवेशनमें बताते थे कि वे कागजपत्र दिये जा सकते हैं या नहीं। बिलोंके बारेमें किसी संस्था या व्यक्तिको पत्र या प्रार्थनापत्रादि भेजना हो, तो कलकत्ता हाईकोर्टको छोड़ सबको प्रादेशिक सरकारद्वारा भेजना होता था। कौन्सिलका सेक्रेटरी इनकी नकल सब मेंबरोंको भेज देता था।

बिल।

कानूनका मसविदा बिल कहलाता है। सभी मेंबर कौंसिलमें विचारार्थ बिल उपस्थित कर सकते थे, पर उन्हें अपने बिलके नाम तथा उसके उद्देश्योंकी सूचना तीन दिन पहले सेक्रेटरीको देनी पड़ती थी। सेक्रेटरी उस बिल और उसके कारणों तथा उद्देश्योंको छपाकर एक एक प्रति सब मेम्बरोंको भेज देते थे। आवश्यक होनेपर किसी मेंबरके लिये इनका उल्था हिन्दुस्थानीमें भी किया जाता था। बिल पेश हो चुकने बाद कौन्सिलके इच्छानुसार वह प्रकाशित किया जाता था। जब कोई बिल पेश हो चुकता था, तब पेश करनेवाला उसी समय या उसके बाद प्रस्ताव करता था कि (अ) वह सिलेक्ट कमिटीमें विचारार्थ भेजा जाय, या (आ) इसपर कौंसिल अभी या अमुक दिन विचार

करे, या (इ) मत जाननेके लिये यह प्रचारित किया जाय। जबतक सब मेम्बरोंको बिल और उसके उद्देश्यों तथा कारणोंकी प्रति न मिलती, तबतक उक्त प्रस्ताव नहीं हो सकते थे और यदि हों, तो चाहे जो मेम्बर प्रस्तावपर यह कहकर आपत्ति कर सकता था कि सात दिन पहले बिल आदिकी प्रति नहीं मिली और यदि अध्यक्ष कार्यक्रमके नियम शिथिल न कर देते तो यह आपत्ति ग्राह्य होती थी। जिस दिन ऐसा प्रस्ताव होता अथवा जिस दिनके लिये बिलपर विचार स्थगित होता, उस दिन बिलके सिद्धान्त और उसकी मुख्य मुख्य बातोंपर ही विचार होता था। उक्त कोई प्रस्ताव स्वीकृत होनेपर कारणों और उद्देश्यों समेत बिल गजेट आव इण्डिया तथा और गजेटोंमें प्रकाशित किया जाता था। गवर्नर-जेनरल यदि उचित समझते तो बिना बिल पेश हुए ही गजेटमें उसके प्रकाशनकी आज्ञा दे सकते थे। कौंसिलमें पेश होनेके बाद ऐसा बिल फिर गजेटमें नहीं प्रकाशित किया जाता था।

सिलेक्ट कमिटी।

किसी बिलपर विचार करनेके लिये कुछ चुने हुए मेंबरोंकी जो कमिटी बनायी जाती है, वह सिलेक्ट कमिटी कहाती है। इसमें व्यवस्था सदस्य और बिलके उपस्थापकके सिवा प्रस्तावकके सूचनानुसार चार पांच मेंबर रहते थे। इसका अध्यक्ष व्यवस्था सदस्य और उसकी अनु

परिस्थितिमें बिलका उपस्थापक होता था। दोनों ओर समान संख्यक मत होनेपर अध्यक्षको एक वोट और देनेका अधिकार होता था। कमिटी इस बिलमें संशोधन, परिवर्त्तन, परिवर्द्धन आदि करती थी। वह अपनी रिपोर्टमें यह भी लिखती थी कि बिलमें ऐसे परिवर्त्तन हुए हैं जिनसे उसको फिर प्रकाशित करनेकी आवश्यकता है या नहीं। यदि उसके मतसे आवश्यकता हुई तो सेक्रेटरी उसकी एक प्रति उस विभागके सेक्रेटरीको भेज देता था, जिससे बिलका सम्बन्ध था। पुनर्प्रकाशनके विरुद्ध कारणोंका उल्लेख भी कमिटी करती थी। सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्ट छपाकर सेक्रेटरी सब मेम्बरोंको उसकी एक प्रति भेज देता था और यदि कमिटी या अध्यक्ष आज्ञा देती तो उसे संशोधित बिल समेत गजेट आव इण्डियामें छपा देता था। आवश्यक होनेपर हिन्दुस्थानीमें इसका उल्था भी करा देता था। बिलका उपस्थापक सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्ट कौंसिलमें पेश करता था और यथावकाश कौन्सिल उसपर विचार करती थी। इस अवसर पर सात दिन पहले रिपोर्टकी प्रति न पानेके कारण कोई मेम्बर आपत्ति कर सकता था।

बिलपर विचार।

कौंसिलमें बिलपर विचार होनेके समय कोई मेंबर उसमें संशोधनका प्रस्ताव कर सकता था। पर उसे तीन दिन पहले इसकी सूचना सेक्रेटरीको देनी पड़ती थी और वह सब मेम्बरोंको उसकी प्रति भेजता था। यदि सूचना

तीन दिन पहले न दी गयी हो तो कोई मेंबर आपत्ति कर सकता था। बिलके अंशोपर क्रमसे ही विचार होता था। मेंबरोको यह प्रस्ताव करनेका अधिकार था कि सिलेक्ट कमिटी या कौंसिलने इसमें ऐसे परिवर्त्तन किये हैं जिससे इसका पुनर्प्रकाशन या पुनर्विचार होना चाहिये। यदि पुनर्विचार अथवा पुनर्प्रकाशन स्वीकृत होता, तो अध्यक्ष वैसी आज्ञा दे देते थे। यदि कोई सशोधनात्मक प्रस्ताव न हुआ, तो बिल उसी अधिवेशनमें पास हो जाता था, अन्यथा मेम्बर आपत्ति कर सकता था कि उसी अधिवेशनमें न पास किया जाय। आपत्ति ग्राह्य होनेपर दूसरे अधिवेशनमे पास होता था। बिल पास होनेके बाद उसकी एक प्रतिपर अध्यक्षके हस्ताक्षर होते थे और जब गवर्नर-जेनरल उसपर "स्वीकृत" लिखकर हस्ताक्षर कर देते थे, तो वह सरकारी गजेटोंमें गवर्नर जेनरलकी कौन्सिलके ऐक्ट स्वरूप सेक्रेटरीके हस्ताक्षरसे प्रकाशित होता था।

आर्थिक विवरण और प्रस्ताव।

१८९२ के कौंसिल्स ऐक्टके अनुसार कम्प्ट्रोलर और आडिटर जेनरल बजेट तैयार करके अर्थ-व्यवस्था सदस्यको भेजते थे। ये उसकी जांचकर व्ययके लिये आय वा बढ़तीकी रकम खर्च करनेके प्रस्तावोंमें कुछ सुधार करते थे। इसके बाद गवर्नर-जेनरलकी शासनकारिणी सभामें वह पास होता था। अनन्तर अर्थव्यवस्थासदस्य व्यवस्था-

पिका-सभामें आर्थिक विवरण सुनाते थे। एक सप्ताहके उपरान्त सदस्योंकी वक्तृताएं होती थीं, जिनमें शासनसम्बन्धी सभी विषयोंपर टीकाटिप्पणी रहती थी। अन्तमें अध्यक्षकी वक्तृता होकर बजेटकी बहस समाप्त होती थी और बजेटमें एक पाईका भी हेरफेर नहीं होता था। मेम्बरोंकी वक्तृताओं-का यदि कुछ फल होता था, तो अगले वर्षके बजेटमें कुछ सुधारभरके लिये। परन्तु १६०६ के कौन्सिलस ऐक्टके अनु-सार एक महीनेतक बजेटका झमेला रहने लगा। पहले गवर्नर जेनरलके निर्द्धारित दिन (बहुधा १ ली मार्च अथवा रवि वार होनेपर २ री मार्चको) अर्थव्यवस्था सदस्य आयव्ययका विवरण कौन्सिलमें उपस्थित करने और उसे समझानेके लिये व्याख्यान देने लगे। यह विवरण और व्याख्यान दोनो छपे रहते हैं और इनकी एक एक प्रति हर मेंबरको दी जाती है। विवरणमें अगले वर्षके आयव्ययका आरम्भिक अनुमान रहता है। इसे हम कच्चा बजेट कह सकते हैं। इस दिन और कोई कारवाई नहीं होती, केवल इस विवरण पर विचार करनेके लिये एक दिन नियत होता था। इस दिन पहले तो अर्थव्यवस्थासदस्य विवरणके अङ्कोंमें कुछ परि-वर्तनकी सूचना देते थे, बाद वे मेंबर टैक्समें परिवर्त्तन, नये ऋण या प्रादेशिक सरकारको आर्थिक सहायता आदि देनेके विषयमें प्रस्ताव उपस्थित करते थे, जो उनकी सूचना पहलेसे दे रखते थे। कौन्सिलमें इनपर विचार हो चुकनेके

बाद दूसरी अवस्था प्रारम्भ होती थी। इस समय एक एक मद्-पर विचार होता था। पहले उस मद्से सम्बन्ध रखनेवाला मैंबर उसे पेश करता था और कुछ ऐसी बातें बताता जो विवरणमें नहीं होतीं, बाद मेम्बर उसके विषयमें प्रस्ताव करते थे। यह प्रस्ताव सिफारिशके तौरपर हो और, इसमें तर्क वितर्क, अनुमान, व्यङ्ग तथा अपमानजनक बातें न होनी चाहिये और पूरे दो दिन पहले सेक्रेटरीको इसकी सूचना और प्रति मिलनी चाहिये। अध्यक्ष कोई प्रस्ताव या उसका अंश उपस्थित करनेसे यह कहकर मेम्बरको रोक सकते थे कि इससे सार्वजनिक अहित हो सकता है अथवा इसे प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभामें उपस्थित करना चाहिये। जिन प्रस्तावोंके उपस्थित करनेकी आज्ञा मिलती थी, वे ही कौन्सिलके कार्यक्रममें लिखे जाते थे। प्रस्तावक और प्रस्तावकी मद्से सम्बन्ध रखनेवाला मेम्बर दोनो ३०।३० मिनिट बोल सकते थे, पर अन्य सदस्य १५ मिनिटसे अधिक किसी विषयपर नहीं बोल सकते। यदि कोई मेम्बर किसी प्रस्तावपर वोट लिये जानेका प्रस्ताव न करता, तो प्रस्तावक उसे वापस भी ले सकता था। अध्यक्ष यदि समझते कि किसी विषयपर अच्छी तरह वादानुवाद हो चुका है, तो वे प्रस्तावकसे उत्तर देने और उस मद्के मेंबरसे अपना वक्तव्य सुनानेको कह सकते थे। यदि किसी प्रस्तावमें कई भाग हों तो अध्यक्ष अलग अलग कर उनपर मत ले सकते थे। हा-

था नहीं शब्दोंसे या कौन्सिलको विभक्त करके वोट लिये जाते थे। विभक्त करके वोट लेनेकी पद्धति अध्यक्ष स्थिर करते थे। जिस प्रस्तावके लिये जितना समय अध्यक्ष निर्दिष्ट कर देते थे, उसमें यदि उसपर वोट न लिया गया, तो वह वापस लिया गया समझा जाता था। जिस विषयपर कौन्सिलमें विचार हो चुका या जिस प्रस्तावको उपस्थित करनेकी अनुमति नहीं मिली या जो वापस ले लिया गया, उसपर एक वर्षके अन्दर फिर विचार नहीं हो सकता था। स्वीकृत प्रस्ताव सिफारिशके तौरपर समझे जाते थे और सरकार उनसे बाध्य नहीं होती थी।

बजेट।

२४ मार्चके पहले प्रति वर्ष अर्थव्यवस्था सदस्य कौंसिलमें बजेट (पक्का बजेट) उपस्थित करते हैं। राज्यके आय व्ययके जो हिसाब, अनुमान और प्रस्ताव शासनमण्डल व्यवस्थापकोंकी स्वीकृतिके लिये व्यवस्थापिका सभामें उपस्थित करता है, वह बजेट कहाता है। इसके उपस्थित करनेका यह उद्देश्य है कि व्यवस्थापिका सभाको निश्चय रहे कि सावधानी और मितव्ययितासे काम लिया जाता है। इस समय अर्थव्यवस्था सदस्य बताते थे कि आय व्ययके विवरण और बजेटके अङ्कोंमें कहां क्या अन्तर है और और कौन प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकृत किया गया। बजेटकी एक कापी प्रति प्रत्येक मेम्बरको दी जाती थी। इसके बाद अध्यक्ष

बजेटपर विचार प्रकट करनेके लिये एक दिन नियत करते थे। पर इस दिन कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता था और न बजेट पास करनेके लिये सदस्योंके मत ही लिये जाते थे। अध्यक्षको मेम्बरोंकी स्पीचों के लिये समय निर्धारित करनेका भी अधिकार था। बाद अर्थव्यवस्था सदस्य मेम्बरोंकी बातोंका उत्तर देते थे और अन्तको अध्यक्षका व्याख्यान होता था। किसी विषयपर बोलनेके समय प्रत्येक मेम्बरका खड़े होना और अध्यक्षके खड़े होते ही बैठ जाना कर्त्तव्य था। अध्यक्षको सम्बोधन करके ही बोलनेका नियम था। नियमका उल्लङ्घन होता हो तो चाहे जो मेंबर उस ओर अध्यक्षका ध्यान आकृष्ट कर सकता था। आय व्ययके विवरण या बजेटवाले दिनके लिये अध्यक्ष अपने या उपाध्यक्षके बदले किसी मेम्बरको अध्यक्ष नियुक्त कर सकते थे। यही बजेटकी बहस थी।

विचारणीय विषय।

भारतकी कोई व्यवस्थापिका सभा पार्लमेंटकी आज्ञा पाये बिना ऐसा कानून नहीं बना सकती थी जिससे (अ) १८६१ के बाद पार्लमेंटका बनाया हुआ कोई कानून कटता हो (आ) भारतसचिव और उनकी कौंसिलको भारतके शासनके विषयमें पार्लमेंटका दिया ऋण लेनेका अधिकार छिनता हो, (इ) पार्लमेंटका प्रभुत्व या इङ्गलैण्ड आदि संयुक्त राज्योंका कोई ऐसा अलिखित नियम कटता हो जिसपर किसी अंशमें भी किसी

व्यक्तिकी राजनिष्ठा अवलम्बित हो अथवा जिससे ब्रिटिश भारत या उसके किसी अंशपर महाराजके राजत्वमें बाधा पड़ती हो। भारतसचिव और उनकी कौंसिलकी अनुमति लिये बिना भारतसरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे हाईकोर्टके सिवा कोई और न्यायालय यूरोपमें जन्मे हुए किसी ब्रिटिश प्रजाजन या उसके वंशजोंका विचार कर सके या कोई हाईकोर्ट उठ सके।

उल्लिखित विषयोंके सिवा बड़ी व्यवस्थापिका सभामें किसी विदेशी राज्य या देशी राज्यसे ब्रिटिश सरकार या भारत सरकारके सम्बन्ध अथवा किसी न्यायालयके विचाराधीन विषयपर विचार न हो सकता था। बजेटकी बहसके समय बड़ी व्यवस्थापिका सभामें किन विषयोंपर विचार हो सकता था और किनपर नहीं यह इस अध्यायके अन्तमें दिये कोष्ठकसे जाना जायगा।

बजेटके सिवा शासन सम्बन्धीमें अन्य विषयोंके प्रस्ताव

अन्य विषयोंके प्रस्ताव।

करनेका भी मेम्बरोंको अधिकार था। कौन्सिलका सब कार्य समाप्त हो चुकने पर प्रस्ताव उपस्थित किये जाते थे। पूरे १५ दिन पहले इस प्रस्तावकी सूचना और प्रति सेक्रेटरीको भेज देनी पड़ती थी, पर अध्यक्षकी आज्ञासे यह समय घट बढ़ सकता था। सेक्रेटरी अध्यक्षको प्रस्ताव दिखाते थे। इसके बाद अध्यक्ष निश्चय करते थे कि प्रस्ताव करनेकी अनुमति दी

जाय या नहीं। यदि अनुमति देनेकी ठहरी तो कार्यक्रमों प्रस्ताव लिख लिया गया और यदि वह नियमानुसार न हुआ तो सुधारनेके लिये प्रस्तावकको भेज दिया जाता था। यदि यथासमय सुधरकर न आ गया तो समझ लिया जाता था कि प्रस्तावकने उसे वापस ले लिया है। कमसे कम तीन दिन पहले सेक्रेटरीको सूचना देकर कोई मेम्बर मूल प्रस्तावका संशोधक प्रस्ताव उपस्थित कर सकता था। पर इसका फल प्रस्तावको रद्द करना न होना चाहिये। यदि समय मिला तो सेक्रेटरी सशोधक प्रस्तावको छपाकर सब मेम्बरोंको भेज देता था। किसी प्रस्तावके विषयमें एक वा अधिक सशोधक प्रस्ताव किये जाते थे, तो मूल प्रस्ताव और सशोधक प्रस्तावों को पढकर अध्यक्ष चाहे मूल प्रस्ताव या किसी सशोधक प्रस्तावपर वोट लेते थे। बडी व्यवस्थापिका सभामें उन सब विषयोंके प्रस्ताव हो सकते थे, जिनका प्रादेशिक सरकारोंसे सम्बन्ध नहीं था अथवा जिनके विचारका निषेध नहीं था।

व्यवस्थापिका सभाओंका कार्य आरम्भ होनेपर पहले प्रश्नोंके उत्तर ही दिये जाते हैं। शासन सम्बन्धीय कोई बात जाननेके लिये सरकारसे प्रश्न किया जा सकता है।

कौंसिलमें प्रश्न।

पर प्रश्न बहुत बडा न होना चाहिये तथा काल्पनिक बातका उत्तर चाहनेके लिये प्रश्न न होना चाहिये। प्रस्तावमें जिन ख्यालोंका निषेध है, वे प्रश्नमें भी न होनी चाहिये। प्रश्नकर्ता-

को १० दिन पहले अपने प्रश्नकी प्रति समेत सेक्रेटरीको सूचना देनी चाहिये। अध्यक्षकी इच्छासे यह समय घट बढ़ सकता था। प्रश्न भी नियमानुसार न होनेसे सुधारनेके लिये प्रश्नकर्त्ताके पास भेजा जाता था और सुधरकर समयपर न आनेसे समझ लिया जाता था कि वापस कर लिया गया। पर किसी प्रश्नके वापस लिये जानेपर यदि अध्यक्षकी समझसे उसका उत्तर देनेमें सार्वजनिक हित समझा जाता था, तो उत्तर दिया जाता था। सार्वजनिक हितपर दृष्टि रखकर अध्यक्ष किसी प्रश्न या उसके अंशको पूछनेकी अनुमति नहीं भी दे सकते थे। अपने प्रश्नके उत्तरको पूर्ण करानेके लिये बिना सूचना दिये ही पूरक प्रश्न अथवा प्रश्नपर प्रश्न किये जा सकते थे। पर उत्तरदाताको अधिकार था कि वह इसके लिये पूर्व सूचना चाहे। ऐसी अवस्थामें दूसरे अधिवेशनमें स्वतन्त्र प्रश्नकी भांति यह पूछा जा सकता था। प्रश्न या उसके उत्तरके विषयमें किसी प्रकारका वादविवाद न होता था।

सेक्रेटरीके कर्त्तव्य और अध्यक्षके अधिकार।

भारत सरकारके लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट या व्यवस्थापक विभागका सेक्रेटरी ही कौंसिलका सेक्रेटरी होता था। जिन कार्यों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, उनके सिवा सेक्रेटरीके निम्नलिखित कर्त्तव्य थे,—

(१) सब मेम्बरोंको कमसे कम दो दिन पहले कौंसिलके अधिवेशनमें होनेवाले कार्यों की सूची भेजना।

(२) कौंसिलका कार्यविवरण लिखनेके लिये पुस्तक रखना और अधिवेशनके उपरान्त उसे अध्यक्षसे स्वीकार करा उनके हस्ताक्षर कराना ।

(३) अधिवेशनके कार्यविवरण तथा मेम्बरोंके वक्तव्यकी रिपोर्ट तैयार करके गजेट आव इण्डियामें छपाना तथा उसकी एक प्रति स्थायी सरकारी भारतसचिव और कौंसिलके सब मेम्बरोंको भेजना ।

(४) सरकारी बिलों, उनके कारणों और उद्देश्योंके मसविदे तथा उनपर विचार करनेवाली सिलेक्ट कमिटियोंकी रिपोर्टें तैयार करना ।

(५) गवर्नर जेनरलके हस्ताक्षर होने बाद बिल तथा कौन्सिलके अन्य कागज पत्र रखना ।

(६) अधिवेशन होनेवाले कार्योंकी सूची कौन्सिलके सामने रखना ।

(७) कौन्सिल और कमिटीको उसके आज्ञानुसार सहायता देना ।

(८) यदि किसी अतिरिक्त सदस्यको कोई बिल उपस्थित करनेकी आज्ञा मिली हो, तो जिस विभागसे उसका सम्बन्ध हो, उसे उसकी एक प्रति भेजना ।

(९) अतिरिक्त सदस्योंके भेजे हुए बिलोंकी जांच करना और अध्यक्षको उनकी सूचना देना जिनके अश विशेष १८६१ के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्टकी १९ वीं और २२ वीं धाराओंके अन्दर आते हों ।

(१०) कौन्सिल अथवा अध्यक्ष या सिलेक्ट कमिटी अथवा अपर सदस्यकी आज्ञासे पत्र लिखना। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेण्टके ऐसिस्टैण्ट सेक्रेटरीका विशेष कर्त्तव्य था कि अङ्गरेजी न जाननेवाले मेम्बरोंके लिये बिलों, उनके कारणों और उद्देश्यों, सिलेक्ट कमिटियोंकी रिपोर्टों और बिलोंके संशोधनोंका हिन्दुस्थानीमें उल्था करना और उन्हें समझाना तथा जिस प्रकारकी सहायताकी उन्हें आवश्यकता हो, देना।

अध्यक्षको अधिकार था कि, वे सब या इनमें कोई नियम शिथिल कर दें, कौन्सिलमें शान्ति रखे, नियमानुकूलता या प्रतिकूलताका निर्णय करें और बाहरी आदमियोंको कौन्सिल चेम्बरमें आकर व्याख्यानादि सुनने और कार्यावली देखनेकी आज्ञा दें, तथा किसी मेम्बरके प्रस्तावपर बाहरी आदमियोंसे चले जाने कहें। (सेक्रेटरीसे लिखकर प्रार्थना करनेपर कौंसिल चेम्बरमें प्रवेश करनेकी आज्ञा मिल सकती थी।)

भारतसचिव और कानून।

भारतमें जो नये कानून बनते हैं या पुराने कानूनोंका संशोधन होता है, उनके लिये भारत-सचिवकी इच्छा आवश्यक है। १८६१के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्टने तो भारतमें बने कानूनको स्वीकार व अस्वीकार करनेका अधिकार राजसिंहासनको दिया था और इस प्रकार भारतसचिव चाहे जिस कानूनको रद्द करा सकते थे, क्योंकि इन्हींकी सम्मतिपर राजसिंहासनकी स्वीकृति वा अस्वीकृति अवलम्बित है।

(२) कौंसिलका कार्यविवरण लिखनेके लिये पुस्तक रखना और अधिवेशनके उपरांत उसे अध्यक्षसे स्वीकार करा उनके हस्ताक्षर कराना।

(३) अधिवेशनके कार्यविवरण तथा मेम्बरोंके वक्तव्यकी रिपोर्ट तैयार करके गजेट आव इण्डियामें छपाना तथा उसकी एक प्रति स्थायी सहकारी भारतसचिव और कौंसिलके सब मेम्बरोंको भेजना।

(४) सरकारी बिलों, उनके कारणों और उद्देश्योंके मस विदे तथा उनपर विचार करनेवाली सिलेक्ट कमिटियोंकी रिपोर्टें तैयार करना।

(५) गवर्नर जेनरलके हस्ताक्षर होने बाद बिल तथा कौन्सिलके अन्य कागज पत्र रखना।

(६) अधिवेशन होनेवाले कार्योंकी सूची कौन्सिलके सामने रखना।

(७) कौन्सिल और कमिटीको उसके आज्ञानुसार सहायता देना।

(८) यदि किसी अतिरिक्त सदस्यको कोई बिल उपस्थित करनेकी आज्ञा मिली हो, तो जिस विभागसे उसका सम्बन्ध हो, उसे उसकी एक प्रति भेजना।

(९) अतिरिक्त सदस्योंके भेजे हुए बिलोंकी जांच करना और अध्यक्षको उनकी सूचना देना जिनके अंश विशेष १८६१ के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्टकी १९ वीं और २२ वी धाराओंके अन्दर आते हों।

(१०) कौन्सिल अथवा अध्यक्ष या सिलेक्ट कमिटी अथवा व्यवस्थासदस्यकी आज्ञासे पत्र लिखना। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेण्टके ऐसिस्टेण्ट सेक्रेटरीका विशेष कर्तव्य था कि अङ्गरेजी न जाननेवाले मेम्बरोंके लिये बिलों, उनके कारणों और उद्देश्यों, सिलेक्ट कमिटियोंकी रिपोर्टों और बिलोंके संशोधनोंका हिन्दुस्थानीमें उल्था करना और उन्हें समझाना तथा जिस प्रकारकी सहायताकी उन्हें आवश्यकता हो, देना।

अध्यक्षको अधिकार था कि, ये सब या इनमें कोई नियम शिथिल कर दें, कौन्सिलमें शांति रखे, नियमानुकूलता या प्रतिकूलताका निर्णय करें और बाहरी आदमियोंको कौन्सिल चेम्बरमें आकर व्याख्यानादि सुनने और कार्यावली देखनेकी आज्ञा दें तथा किसी मेम्बरके प्रस्तावपर बाहरी आदमियोंसे चले जाने कहें। (सेक्रेटरीसे लिखकर प्रार्थना करनेपर कौंसिल चेम्बरमें प्रवेश करनेकी आज्ञा मिल सकती थी।)

भारतसचिव और कानून।

भारतमें जो नये कानून बनते हैं या पुराने कानूनोंका संशोधन होता है, उनके लिये भारत-सचिवकी इच्छा आवश्यक है। १८६१के इण्डियन कौन्सिल्स ऐक्टने तो भारतमें बने कानूनको स्वीकार व अस्वीकार करनेका अधिकार राजसिंहासनको दिया था और इस प्रकार भारतसचिव चाहे जिस कानूनको रद्द करा सकते थे, क्योंकि इन्हींकी सम्मति-पर राजसिंहासनकी स्वीकृति या अस्वीकृति अवलम्बित है।

सम्बन्धके कागजपत्र भारतसरकारके लेजिस्लेटिव डिपार्ट-मेंटके सेक्रेटरीको भजती थी और उन्हें अपनी व्यवस्थापिका सभामें उपस्थित करनेकी आज्ञा मागती थी। यदि बिलका ऐसे विषयोंसे सम्बन्ध होता था जिनका कानून प्रादेशिक सर-कारें बिना गवर्नर-जेनरलकी आज्ञाके नहीं बना सकती थी तो पत्रमें उनका उल्लेख अवश्य होता था। यदि कोई बिल भारतसचिवकी स्वीकृतिके लिये भेजा जाता था, तो दो महीनेके अन्दर यदि उन्होंने आपत्ति न की और गवर्नर-जेनरलने आज्ञा दे दी, तो वह पेश किया जा सकता था। साधारण या आव-श्यक विषयोंके अथवा ऐसे बिल जिनके सिद्धान्त भारतसचिव और भारतसरकारको स्वीकृत हैं, बिना उनकी आज्ञा लिये भी पेश किये जा सकते थे। ऐसी अवस्थामें पूर्व सूचना न देनेके कारणोंसहित भारतसचिव और भारतसरकारको पत्र लिखा जाता था।

अधिवेशनके ३ दिन पहले कार्यक्रमकी प्रति सब मेंबरोंको भेजी जाती थी। मेंबर और अध्यक्ष खड़े होकर ही बोलते थे। जो मेंबर कोई प्रस्ताव या बिल उपस्थित करना चाहते थे, उन्हें कमसे कम ६ दिन पहले सेक्रेटरीको उसकी सूचना देनी पड़ती थी। यदि बिल उपस्थित करनेकी आज्ञा किसी मेंबरको मिल जाती थी तो सेक्रेटरी उसे प्रादेशिक सरकारी गजेटमें छपा देते थे। जब बिल उपस्थित किया जाता था, तब वह कौन्सिलमें पढ़ा जाता था और उसके मूल सिद्धान्तोंपर

वादानुवाद होता था। अनन्तर उस सिलेक्ट कमिटीमें भेजनेका प्रस्ताव होता था और कहा जाता था कि अमुक तारीखतक कमिटी अपनी रिपोर्ट दे दे। यह अवधि अध्यक्षकी आज्ञासे बढ़ भी सकती थी। बिलका उपस्थापक सिलेक्ट कमिटीका अध्यक्ष होता था और उसीके प्रस्तावानुसार इसके सदस्य चुने जाते थे। सिलेक्ट कमिटी चाहे तो कुछ पूछनेके लिये किसी अन्य मनुष्यको भी अपने अधिवेशनोंमें बुला सकती थी। किसी अन्य विषयपर विचार करनेके लिये भी सिलेक्ट कमिटी नियुक्त की जा सकती थी। सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्टपर कौन्सिलमें तब विचार होता था, जब सब मेंबरोंको १५ दिन पहले वह भेज दी जाती थी और गजेटमें उसे प्रकाशित हुए २१ दिन हो जाते थे। इसके लिये बिलका उपस्थापक प्रस्ताव करता था। इस दिन बिलके अंशोंपर विचार होता था, मूल सिद्धान्तपर नहीं। जब बहुमतसे बिल पास हो जाता था, तब सेक्रेटरी उसे नियमानुसार ठीक करके लिखता था और गवर्नरके सामने स्वीकृतिके लिये उपस्थित करता था। गवर्नर इसपर स्वीकृत या अस्वीकृत लिख देते थे और अगले अधिवेशनमें कौंसिलको इसकी सूचना दे दी जाती थी। स्वीकृत होने बाद ऐक्ट गवर्नर जेनरलकी स्वीकृतिके लिये भेजा जाता था और उनकी स्वीकृति मिलनेपर प्रादेशिक गजेटमें यह ऐक्ट प्रकाशित कर दिया जाता था। कौन्सिलके अधिवेशनका कोई नियम अध्यक्षकी इच्छासे शिथिल हो सकता था।

प्रति वर्ष आर्थिक विवरणपर विचार करनेके लिये अध्यक्ष कोई १२ मेंबरोंकी फाइनान्स कमिटी बनाते थे, जिसमें गैरसरकारी और सरकारी मेम्बर रहते थे। सरकारी मेम्बरोंको गवर्नर मनोनीत करते और गैरसरकारी मेम्बरोंको कौन्सिलके गैरसरकारी मेंबर निर्वाचित करते थे। इस विवरणमें ये विषय रहते थे (१) पिछली रोकडबाकी, (२) प्रादेशिक बडे खातोंकी आनुमानिक आय, (३) प्रादेशिक विशिष्ट खातोंका तथा ऐसा व्यय जिसे प्रादेशिक सरकार आवश्यक और सामान्य समझती है, (४) जो बडीसे बडी रकम प्रति वर्ष व्यय की जा सकती है और नयी स्कीमोंपर जितनी मोट रकम खर्च की जा सकती है। यह "अन-एलाटेड एक्सपेंडिचर" खातेमें दिखायी जाती थी। (यह किस तरह खर्च होगी इसे बतानेवाला कागज इसीके साथ नत्थी रहता था।) (५) अगले वर्षकी रोकड्बाकीकी अन्दाजी रकम। इस विवरणपर फाइनान्स कमिटी अच्छी तरह विचार करती थी और अन्तको प्रादेशिक सरकारके पास अपनी रिपोर्ट भेजती थी। इसपर विचार कर अपनी सम्मति सहित प्रादेशिक सरकार उक्त विवरण भारत सरकारको भेज देती थी। इसके प्राय दो महीने बाद संशोधित आर्थिक विवरण कौन्सिलमें उपस्थित किया जाता था। इसके एक सप्ताह पहले भारतसरकारके अस्थायी संशोधनोंसमेत कच्चे चिट्ठेकी नकलें सब मेंबरोंको भेज दी जाती थी। संशोधित विवरणके प्रत्येक खातेपर

विचार होता था और प्रस्ताव उपस्थित किये जाते थे। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हुए और उनके अनुसार कुछ परिवर्त्तन आर्थिक विवरणमें किया गया, तो वह भारतसरकारकी स्वीकृतिके लिये फिर भेजा जाता था। भारतसरकारका स्वीकृत विवरण बजेट कहलाता था। जिस दिन यह पेश होता था, उस दिन मेम्बर इसपर अपने विचार प्रकट कर सकते थे, पर प्रस्ताव नहीं कर सकते थे। मेंबरोंके वोटोंसे यह पास नहीं होता था। अन्तमें सरकारके अर्थव्यवस्थापक मेम्बरोंकी टीकाओंका उत्तर देते थे और अध्यक्षका भाषण होकर बजेट-की बहस समाप्त हो जाती थी। इन सभाओंमें प्रश्नादि करनेके नियम बड़ी व्यवस्थापिका सभा जैसे ही थे।

नीचेके कोष्टकसे जाना जायगा कि पुरानी व्यवस्थापिका सभाओंमें आय व्ययके किन खातोंपर विचार हो सकता था और किनपर नहीं —

आयके वे खाते जिनपर विचार		व्ययके वे खाते जिनपर विचार,	
हो सकता था	न हो सकता था	हो सकता था	न हो सकता था
१—मालगुजारी	४—स्टाम्प	१—फिरता और छूट	२—जागीर और बदला
२—अफीम	७—कस्टम	३—मालगुजारी	१३—ऋणका ब्याज
३—नमक	८—निर्द्धारित कर	४—अफीम	२३—ईसाई धर्मोपदेश
५—एक्साइज	११—देशी राज्योंका कर	५—नमक	२५—राजनीतिक
६—प्रादेशिक कर	१६—(अ) न्यायालय *	६—स्टाम्प	२७—भौमिक और राजनीतिक पेनशनें
९—जङ्गल	३२—सेना	७—एक्साइज	३८—सरकारी रेलें +
१०—रजिस्ट्रेशन	३३—जलसेना	८—प्रादेशिक कर	४२—बड़ी नहरें ऋणका ब्याज
१२—ब्याज	३४—फौजी इमारतें	९—कस्टम	
१३—डाक		१०—निर्द्धारित कर	
१४—तार		११—जङ्गल	
१५—टकसाल		१२—रजिस्ट्रेशन	
१६—(आ) जेल		१४ और ऋणोंपर ब्याज	
१७—पुलिस		१५—डाक	
१९—शिक्षा		१६—तार	

२०—डाकृरी २१—वैज्ञानिक तथा अन्य छोटे छोटे विभाग २२—बुढापेके कारण पेनशन आदिमें आयी रकमें २३—स्टेशनरी और छपाई २४—एक्सचेञ्ज २५—विविध २६—सरकारी रेलवे २८—सहायता पानेवाली कपनिया २९—आबपाशी, बड़ी नहरें ३०—छोटी नहरें और नौका सञ्चालन ३१—सिविल वर्क्स	प्रादेशिक आय तथा उन प्रदेशों में विभक्त खातों से उत्पन्न होने वाली आय जिनमें व्यवस्था पिका सभाएं थीं।	१७—टकसाल १८—साधारण शासन १९—(अ) न्यायालय १९—(आ) जेल २०—पुलिस २२—शिक्षा २४—डाकृरी २६—वैज्ञानिक तथा अन्य छोटे विभाग २८—सिविल फर्लो और अनुपस्थितोंको भत्ता २९—बुढापेके कारण भत्ते और पेनशन ३०—स्टेशनरी और छपाई ३१—एक्सचेञ्ज	४६—सेना ४६—(अ) जल-सेना ४७-फौजी इमारतें ४७—(अ) विशेष रक्षाके लिये दुर्ग आदि प्रादेशिक व्यय और उन प्रदेशों में विभक्त खातों-से उत्पन्न होने वाला व्यय, जिनमें व्यवस्थापिका सभाएं थीं।

अंगरेजोंकी भारतीय नीति।

—•—

वगभङ्गके कारण भारतमे स्वराज्यका जो आन्दोलन खड़ा हुआ था, वह १९०६ के गवर्नमेण्ट आव इण्डिया ऐक्ट पास होने और उसके अनुसार कार्य होनेसे भी बन्द नहीं

वगभगसे जाग्रति।

हुआ। एक भारतवासीके भारतसरकारके ला मेंबर और दो भारतवासियोंके भारतसचिवकी कौन्सिलके मेम्बर तथा प्रादेशिक गवर्नरोंकी कौन्सिलोमें भी एक एक भारतवासीके मेंबर नियुक्त किये जानेका भी इस आन्दोलनपर विशेष प्रभाव नहीं पडा। इसका कारण यह था कि सरकारने लोकमतका आदर करना नही सीखा था और वंगभङ्ग नहीं रद्द किया था। १९११ में लार्ड हार्डिञ्जने ब्रिटिश सरकारसे प्रस्ताव किया था कि श्रीमान् महाराज पञ्चम जार्ज भारतके सम्राट् रूपसे दिल्लीमें दरबार करें और इस दरबारमें वङ्गभङ्ग रद्द करने और राजधानीको कलकत्तेसे दिल्ली हटा ले जानेकी घोषणा करे। लार्ड हार्डिञ्जने २५ अगस्त १९११ को जो पत्र भारतसचिव लार्ड क्रूको लिखा था, उसमें राजधानीको अमेरिकन राजधानकी भांति किसी प्रदेशमें न रखनेका यह हेतु भी दिया था कि सब सरकारे अपना अपना काम करें

और भारतसरकारका किसीसे घनिष्ट सम्बन्ध न रहे जिसमें कालान्तरमें उन्हें प्रादेशिक स्वराज्य मिल जाय और भारत सरकार अत्यन्त आवश्यकताके विना उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करे। दिसम्बर १९११ में महाराज जार्जके दरबारके अवसरपर इस खरीतेके प्रकाशित होनेसे भारतीय राजनीतिक नेताओंने प्रादेशिक स्वराज्यकी इस कल्पनाको भी अपनाकर आन्दोलनका एक अङ्ग बना लिया। सम्राट् जार्जकी घोषणा के अनुसार बङ्गालके दोनो टुकडे जुड गये और आसाम तथा विहार उडीसा दो स्वतन्त्र प्रदेश बने।

इस व्यवस्थासे स्वराज्यका आन्दोलन कुछ ठण्डा हुआ ही था कि १९१४ में यूरोपमें महासमर छिड गया और ब्रिटिश सरकारने बतलाया कि हम स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेके लिये इसमें सम्मिलित हुए हैं। युद्धके समय कोई आन्दोलन न हो और सरकारके साथ पूर्ण रीतिसे सहयोग किया जाय यह समझाकर सरकारने कुछ समयतक आन्दोलन नहीं होने दिया। राजनीतिक नेता भी चुप रहे। पर जब उन्होंने देखा कि राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रता और स्वभाग्यनिर्णय आदिका नाम लेकर इस महायुद्धमें सहायता मांगी जा रही है, तब धीरे धीरे उन्होंने आन्दोलनमे हवा भरी। १९१६ में मालूम हुआ कि साम्राज्यके शासनकी एक स्कीम तैयार हो रही है और इसके अनुसार उसके स्वराज्यप्राप्त अङ्ग अधीन देशोंपर

स्वराज्यका आन्दोलन।

अंगरेजोंकी भारतीय नीति।



वंगभंगसे जाग्रति।

वंगभङ्गके कारण भारतमें स्वराज्यका जो आन्दोलन खड़ा हुआ था, वह १९०९ के गवर्नमेण्ट आव इण्डिया ऐक्ट पास होने और उसके अनुसार कार्य होनेसे भी बन्द नहीं हुआ। एक भारतवासीके भारतसरकारके ला मेंबर और दो भारतवासियोंके भारतसचिवकी कौन्सिलके मेम्बर तथा प्रादेशिक गवर्नरोंकी कौन्सिलोंमें भी एक एक भारतवासीके मेंबर नियुक्त किये जानेका भी इस आन्दोलनपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण यह था कि सरकारने लोकमतका आदर करना नहीं सीखा था और वंगभङ्ग नहीं रद्द किया था। १९११ में लार्ड हार्डिञ्जने ब्रिटिश सरकारसे प्रस्ताव किया था कि श्रीमान् महाराज पञ्चम जार्ज भारतके सम्राट् रूपसे दिल्लीमे दरबार करें और इस दरबारमें वङ्गभङ्ग रद्द करने और राजधानीको कलकत्तेसे दिल्ली हटा ले जानेकी घोषणा करें। लार्ड हार्डिञ्जने २५ अगस्त १९११ को जो पत्र भारतसचिव लार्ड क्रूको लिखा था, उसमें राजधानीको अमेरिकन राजधानकी भांति किसी प्रदेशमें न रखनेका यह हेतु भी दिया था कि सब सरकारें अपना अपना काम करें

और भारतसरकारका किसीसे घनिष्ट सम्बन्ध न रहे जिसमें कालान्तरमें उन्हें प्रादेशिक स्वराज्य मिल जाय और भारत सरकार अत्यन्त आवश्यकताके विना उनके कार्यों में हस्त-क्षेप न करे। दिसम्बर १९११ में महाराज जार्जके दरवारके अवसरपर इस खरीतेके प्रकाशित होनेसे भारतीय राजनीतिक नेताओंने प्रादेशिक स्वराज्यकी इस कल्पनाको भी अपनाकर आन्दोलनका एक अङ्ग बना लिया। सम्राट् जार्जकी घोषणा के अनुसार बङ्गालके दोनो टुकडे जुड गये और आसाम तथा विहार-उडीसा दो स्वतन्त्र प्रदेश बने।

स्वराज्यका आन्दोलन।

इस व्यवस्थासे स्वराज्यका आन्दोलन कुछ ठण्डा हुआ ही था कि १९१४ में यूरोपमें महासमर छिड गया और ब्रिटिश सरकारने बत लाया कि हम स्वतन्त्रताकी रक्षा करने के लिये इसमें सम्मिलित हुए हैं। युद्धके समय कोई आन्दोलन न हो और सरकारके साथ पूर्ण रीतिसे सहयोग किया जाय यह समझकर सरकारने कुछ समयतक आन्दोलन नहीं होने दिया। राजनीतिक नेता भी चुप रहे। पर जब उन्हो ने देखा कि राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रता और स्वभाग्यनिर्णय आदिका नाम लेकर इस महायुद्धमे सहायता मागी जा रही है, तब धीरे धीरे उन्होंने आन्दोलनमें हवा भरी। १९१६ में मालूम हुआ कि साम्राज्यके शासनकी एक स्कीम तैयार हो रही है और इसके अनुसार उसके स्वराज्यप्राप्त अङ्ग अधीन

शासन करेंगे तथा भारतसरकारने भी शासन संस्कारोंके विषयमें अपनी स्कीम लण्डन भेजी है, तब बड़ी व्यवस्थापिका सभाके १६ निर्वाचित सभासदोंने भारतसरकारको शासन संस्कारोंके सम्बन्धमें अपना स्मरणपत्रक या मेमोरेंडम दिया और इसी वर्ष दिसम्बरमें लखनऊमें कांग्रेस और मुस्लिम लीगने इसीको बढ़ाकर देशकी मांगके रूपमें पेश किया। यह स्कीम कांग्रेस-लीग स्कीम नामसे प्रसिद्ध हुई और इसीके लिये आन्दोलन होने लगा।

ब्रिटिश सरकारकी घोषणा।

कांग्रेसके अधिवेशनके अवसरपर ही मि० लायोनेल कर्टिसका साम्राज्य शासन स्कीमसे सम्बन्ध रखनेवाला एक पत्र मि० बी० जी० हार्निमैनके हाथ पड़ गया और इसके प्रकाशित होनेसे लोगोंको भारतको स्वराज्य देनेकी अङ्गरेजोंकी नीयतपर भी सन्देह होने लगा। इससे स्वराज्य आन्दोलनकी तीव्रता बहुत बढ़ गयी। इधर आन्दोलनको भयङ्कर रूप धारण करते देख भारतसरकारने भारतसचिवको तारपर तार देने आरम्भ किये कि अब अपनी भारत शासन नीति बताये बिना काम नहीं चल सकता, उधर महासमरने विकराल रूप धारण किया। ऐसे समय भारतवासियोंको शांत करनेके लिये २० अगस्त १९१७ को मि० मांटेग्यूने पार्लमेंटमें सूचना दी कि ब्रिटिश सरकारकी नीति है और इससे भारतसरकार पूर्ण सहमत है कि शासनके प्रत्येक

विभागसे भारतवासियोंका अधिकाधिक सम्बन्ध हो और धीरे धीरे स्वराज्य संस्थाओंकी उन्नति हो जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यके अङ्गस्वरूप भारतमें स्वराज्यकी उत्तरोत्तर प्राप्ति हो। परन्तु स्वराज्यकी ओर कौन कदम कब बढ़ाया जायगा इसका निर्णय ब्रिटिश और भारत सरकारें करेंगी और पहले क्या किया जाय इसकी जाच करने भारतसचिव भारत आयगे।

इस नीतिके पिछले अंशपर बड़ा असन्तोष प्रकट किया गया, क्योंकि इससे भारतके भाग्यके निर्णयका अधिकार अन्य लोगोंको प्राप्त होता है। अन्तको मि० माटेग्यू हिन्दुस्थान आये और लार्ड चेम्सफर्डको साथ ले बहुत जगह घूमकर सब प्रकारके विचारोंके लोगोंकी बातें सुनीं।

दोनोंकी रिपोर्ट १९१८ के अप्रेलमें प्रकाशित हुई। यह माटेग्यू-चेम्सफर्ड वा माटफर्ड रिपोर्ट ही १९१९ के गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टका आधार है। इसके प्रकाशनके

माटफर्ड रिपोर्ट और ऐक्ट।

बाद लार्ड साउथबराकी अध्यक्षतामें दो कमिटियां बनीं, जिनमें एकने मताधिकार किसको देना चाहिये और किसे नहीं यह बताया और दूसरीने इसकी सिफारिश की कि अमुक विभाग भारतसरकारके अधीन रहे या प्रादेशिक सरकारें तथा प्रदेशोंमें अमुक विभागका प्रबन्ध गवर्नरकी शासन सभा करे और अमुकका उसके मन्त्री करें। इसके बाद

१९१९ में एक कमिटी इस बातको राय देनेके लिये बनी कि इङ्गलैण्डमें भारतके शासनकी जो व्यवस्था है, उसमें क्या परिवर्त्तन होने चाहिये। इन तीनों कमिटियों और माण्टफर्ड रिपोर्टके आधारपर पार्लमेंटकी कामन्स सभामें बिल पेश किया गया और इसपर विचार करनेके लिये पार्लमेंटकी दोनों सभाओंके कई मेंबरोंकी एक संयुक्त कमिटी बनी जिसने शासनसंस्कारोंकी सारी व्यवस्थापर पूर्ण विचार करके कानूनका स्वरूप ठीक कर दिया और इसीके अनुसार पार्लमेंटने गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्ट पास कर दिया और इसे २३ दिसम्बर १९१९को श्रीमान् सम्राटने स्वीकृति दे दी। १९२० में भारतसरकारने इस ऐक्टको काममें लानेके लिये कुछ नियम बनाये जो "डेवोल्यूशन रूल्स" कहाये। बस, इस नियमावली और कानूनको १९१९ के शासनसंस्कारोंका शास्त्र समझना चाहिये।



नयी शासन व्यवस्था।

पुरानी और नयी पद्धति।

१६०६ के गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टके बाद भारत-शासन पद्धतिमें परिवर्त्तन करनेवाला कानून १६१६ का गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्ट ही हुआ। पुराने कानूनका अभिप्राय भारतवासियोंको कुछ विशेष राजनीतिक अधिकार देनाभर था और यह बात लार्ड मोरलेने स्पष्ट ही कह दी थी, परन्तु इस नये कानून या माटेग्यू ऐक्टका अभिप्राय भारत-वासियोंको स्वराज्यकी सडकपर खडा कर देना बताया गया है। इस ऐक्टने भारतसरकारकी रचनामें कोई हेरफेर नहीं किया और पार्लमेंटके सामने उसका उत्तरदायित्व ज्योंका त्यों बनाये रखा, परन्तु बडे प्रदेशोंकी शासनव्यवस्थामें महत्वके परिवर्त्तन किये हैं। इसके सिवा विशेष सुधार व्यवस्था-पिका सभाओंकी रचना और अधिकारोंमें हुए हैं। पहले लोगोंको प्रत्यक्ष निर्वाचनाधिकार नहीं था और वे जिला बोर्डों, म्यूनिसिपैलिटियों तथा अन्य संस्थाओंद्वारा चुने जाते थे, परन्तु नये कानूनने लोगोंको और कोई ६० लाख लोगोंको निर्वाचनाधिकार दिया है और सब व्यवस्थापिका संस्थाओंमें निर्वाचित सदस्योंका बहुमत कर दिया है।

शासनके सुभीतेके लिये ब्रिटिश भारत १५ प्रदेशोंमें बटा है और इनमें भी प्रदेशोंमें म० माटेग्यूने स्वराज्यके बीज बोये हैं। जो छ प्रदेश इस कृपासे वञ्चित हैं, वे अब भी पुराने ढङ्गसे शासित होते हैं। उनके नाम हैं दिल्ली, अजमेर मेरवाडा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, कुर्ग, अण्डमन--निकोबार टापू। पर कृपापात्र प्रदेश हैं बङ्गाल, प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी आगरे और अवधके युक्तप्रदेश, बिहार-उडीसा, पञ्जाब, मध्यप्रदेश और बरार, आसाम और बर्मा। दिल्ली और अण्डमान निकोबारको छोड़ पूर्वोक्त प्रदेशोंका शासन भारतसरकारके परराष्ट्र विभाग तथा दिल्ली और अण्डमन--निकोबारका शासन स्वराष्ट्र विभाग-या होम डिपार्टमेंटके एजेण्ट करते हैं, जो चीफ कमिशनर कहाते हैं। परराष्ट्र विभागके एजेण्ट या तो किसी राज्यके रेसिडेंट होते हैं, या कई राज्योंके समूहके लिये गवर्नर-जेनरल के एजेण्ट होते हैं। राजपुताना राज्योंमें गवर्नर-जेनरलके एजेण्ट अजमेर-मेरवाडेके और बलूचिस्तानकी कलात, और लास बेला रियासतोंमें गवर्नर-जेनरलके एजेण्ट ब्रिटिश बलूचिस्तानके चीफ कमिशनर हैं तथा दीर, स्वात, चित्राल और वजीरिस्तान आदि स्वतंत्र राज्योंमें गवर्नर जेनरलके एजेण्ट पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशके चीफ कमिशनर हैं। इसी प्रकार मैसूरके रेसिडेंट कुर्गके चीफ कमिशनर हैं।

ब्रिटिश भारतके विभाग।

जिन प्रदेशोंपर कृपा कर उनकी शासनपद्धतिमें परिवर्तन किये गये हैं, वे गवर्नरके प्रदेश कहाते हैं। उनका शासन गवर्नर अपनी शासनकारिणी सभा और मन्त्रियोंकी सहायतासे करते हैं।

द्वैध शासन।

शासनके सुभीतेके लिये प्रदेशोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विषय दो भागोंमें बांटे गये हैं एक रक्षित या रिजर्व्ड, दूसरा हस्तान्तरित या ट्रान्सफर्ड। रक्षित विषयोंकी सुव्यवस्थाके लिये गवर्नर और उनकी शासन सभा भारतसरकार और भारतसचिवद्वारा अप्रत्यक्ष रूपसे पार्लमेंट अथवा ब्रिटिश मतदाताओंके सामने उत्तरदाता है और हस्तान्तरित विषयोंके लिये गवर्नरके मन्त्री प्रत्यक्ष रूपसे भारतीय मतदाताओंके सामने उत्तरदाता हैं। मन्त्री गवर्नरके परामर्शदाता हैं, यद्यपि विशेष अवस्थाओंमें इनके मतके विरुद्ध कार्य करनेका गवर्नरको अधिकार है। परन्तु शासन सभाके बहुमतके विरुद्ध गवर्नर आचरण नहीं कर सकता। मेम्बरों और मन्त्रियोंमें एक अन्तर यह भी है कि वे सम्राट्‌के आज्ञापत्र द्वारा नियुक्त होते हैं, परन्तु मन्त्रियोंको नियुक्त करने और हटानेका अधिकार गवर्नरको ही है। यद्यपि मन्त्रीकी नियुक्ति गवर्नरके हाथमें है, तथापि व्यवस्थापिका सभाओंको मन्त्रीका वेतन निर्दिष्ट करनेका जो अधिकार है, उससे मन्त्री एक ओर गवर्नरको और दूसरी ओर व्यवस्थापकोंको प्रसन्न रखनेके लिये बाध्य है।

पार्लमेंटके सामने प्रादेशिक सरकारोंका उत्तरदायि

भारतीय और प्रादेशिक विषय-विभाग

घटनेके साथ ही यह आवश्यक हो ग कि भारतसचिव और भारतसरका के प्रादेशिक सरकारोंके नियन्त्रण अं निरीक्षणके अधिकार भी घटाये जाय।' इसलिये १९१९ ऐक्टमें भारतसरकारको ऐसे नियम बनानेका अधिकार दि गया, जिनसे वह शासन सम्बन्धी विषयोंको भारतीय अं प्रादेशिक इन दो भागोंमें बांट दे। भारतीय विषय अङ्ग्रे में सेन्ट्रल सब्जेक्टस् और प्रादेशिक प्राविनशल सब्जेक्ट् कहाते हैं। भारतसरकारको ही प्रादेशिक खातोंमें रक्षि (रिजर्व्ड) और हस्तान्तरित (ट्रैन्सफर्ड) विभाग करने भी अधिकार दिया गया। परन्तु जबतक आर्थिक अथ आयव्ययका विभाग भारतसरकार और प्रादेशिक सरकार न हो जाय, तब तक विषय भारतीय और प्रादेशिक रू नहीं बांटे जा सकते थे। इस लिये यह विभाग करनेके लि नियम बनानेका अधिकार भी इस ऐक्टमें भारतसरकार दिया गया। इन अधिकारोंके अनुसार भारतसरकारने "डेव ल्यूशन रूल्स" (क्रमावतरण नियम) बनाकर १६ दिसम्बर १९ को अपने नोटिफिकेशन न० ३०८ एस० द्वारा प्रसिद्ध किये।

भारतशासन-व्यवस्थामें परिवर्तन।

परन्तु भारतसरकारकी रचनामें शासनसम्बन्धी कि प्रकारका परिवर्त्तन नहीं किया ग केवल गवर्नर जेनरलकी शास कारिणी सभाके मेंबरोंकी जो सख पहले निर्धारित हुई थी, वह हटा दी गयी अर्थात् ६ से

अधिक मेंबर उक्त सभामें बैठ सकते हैं। इसलिये प्रधान सेनापति सहित शासन सभाके आठ सदस्य रह चुके हैं और आजकल सात हैं जिनमें तीन भारतवासी हैं। कौंसिलमें आजकल दो यूरोपियन और एक हिन्दुस्थानी कुल तीन सिविलियन हैं। पहलेकी तरह किसी प्रदेशका गवर्नर इस सभाका मेम्बर नहीं रह सकता, चाहे उसके प्रदेशमें ही शासनकारिणी सभा या एग्जिक्यूटिव कौन्सिलके अधिवेशन होते रहें। उदाहरणार्थ शिमलेमें भारत सरकार सालमें कई महीने रहती है। पहले पञ्जाबके लेफटेनेण्ट गवर्नर, क्योंकि पञ्जाबके अन्तर्गत ही शिमला है, उन दिनों इस कौंसिलके असाधारण सदस्य हुआ करते थे। पर नये ऐक्टने उन्हें यह अधिकार नहीं दिया। दूसरा परिवर्त्तन यह हुआ कि अब वकील भी व्यवस्था सदस्य या ला मेंबर हो सकता है। पहले यह पद बैरिस्टर या स्काटलैंडके ऐडवोकेटको ही मिलता था। इसके अनुसार पहले डा० तेजबहादुर सप्रू और फिर मियां मुहम्मद शफी व्यवस्था सदस्य नियुक्त हुए हैं।

आर्थिक व्यवस्था।

१६०६ के ऐक्टके पहले भारतसरकारका सब प्रदेशोंसे कई वर्षों के लिये आर्थिक "बन्दोबस्त" होता था। इसके अनुसार जो रकम उन्हें मिलती थी, उसीमें वे गुजर करते थे। पर १६०६ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्टके साथही आय-व्ययके खाते भारतीय और प्रादेशिक खातोंमें इस तरह

बांटे गये कि एक ही खाता कभी कभी प्रादेशिक और भारतीय भी रहा। परन्तु भारत सरकार और भारतसचिवके नियन्त्रणकी कड़ाईमें कमी नहीं हुई। १९१९ के ऐक्टसे प्रदेशोंमें उत्तरदायित्वका प्रवेश करानेके लिये यह आवश्यक हुआ कि खातोंका बंटवारा स्पष्ट हो और आयके कुछ खाते प्रादेशिक सरकारोंको दे दिये जाय और इनके बदले उनसे भारत सरकार सालाना बधी रकम लिया करे। साधारण भाषामें कहा जा सकता है कि भावली या बटैयाके बदले नकद मालगुजारी हो गयी। परिवर्त्तनोंमें यह परिवर्त्तन हुआ कि भारतीय आयके खातोंमें इनकमटैक्स और जेनरल स्टाम्प बढ़ा दिये गये और प्रादेशिकमें मालगुजारी, आबपाशी, एक्साइज और जुडीशल स्टाम्प बढ़े। इसी कारण अकालके कष्टोंके निवारण और खेतीकी रक्षाके लिये आबपाशीका खर्च प्रादेशिक सरकारोंपर डाला गया, यद्यपि अकाल कष्टनिवारणके विषयमें प्रादेशिक सरकारोंके कर्त्तव्यविमुख होनेपर भारत सरकारका उत्तरदायित्व बना हुआ है।

भारतसरकारकी आय।

भारत सरकारसे जिन नौकरियों और कार्यों का सम्बन्ध है, उनके खर्च और प्रगतिका अनुमान करके आयके ऐसे खाते उसे दे देने चाहिये जिनसे यह खर्च निकल आवे और बाकी सब खाते प्रादेशिक सरकारोंको दे देने चाहिये इस सिद्धान्तपर बटवारा हुआ। परन्तु जो खाते भारतसरकारको

पले, उनसे पूरा नहीं पड़ता, इसलिये प्रादेशिक सरकारोंसे
ालाना खर्च लेना निश्चय हुआ। १६२१-२२ में कौन प्रदेश क्या
गा इसका यह निर्णय किया गया यद्यपि कई प्रदेश इससे
सन्तुष्ट ही रहे —

मद्रास	३४८०००००	वर्मा	६४०००००
बम्बई	५८०००००	मध्यप्रदेश बरार	२२०००००
बङ्गाल	६३०००००	आसाम	१५०००००
		पञ्जाब	१७५०००००

१६२२-२३ से भारतसरकारको ६८३००००० चाहिये और
यह रकम उक्त प्रदेशोंकी सरकारे देंगी। यदि इस रकममें
कमी होगी तो उन्ही प्रदेशोंसे कम रकम ली जायगी जिन्होंने
पिछले साल नीचे लिखे हिसाबसे अधिक दिया है उनकी दी
हुई रकमके हिसाबसे उनके दानमें कमी की जायगी —

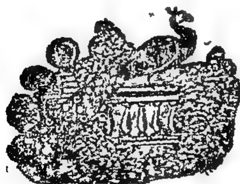
मद्रास	१७ ६० भाग	वर्मा	६४/६० भाग

छोड दिया। फल यह हुआ कि १६२२--२३ में बङ्गालकी रकम छोडनी पडी, मद्रासने भारतसरकारसे ऋण लेकर ही रकम पूरी की और युक्तप्रदेशने भी उधार लेकर ही अपने हिस्सेकी बहुत सी रकम दी। इससे स्पष्ट है कि यह नियम शीघ्र बदला जायगा।

भारतसरकार और भारतसचिवका नियन्त्रण।

प्रदेशोंको स्वराज्य देना इस ऐक्टका उद्देश्य बताया गया है और इसका आरम्भ "हस्तान्तरित" विषयोंसे किया गया है। इस लिये इन विषयोंकी व्यवस्थामें भारतसरकारका हस्तक्षेप भी कम कर दिया गया है। भारतसरकार भारतीय विषयोंके प्रबन्धकी सुरक्षा करने और दो प्रदेशोंका झगडा मिटाने, हाई कमिशनरके कार्य्यकी व्यवस्था, भारतसचिव और कौन्सिलके नामसे प्रादेशिक आयपर ऋण लेने और उसकी शर्तों, सिविलियनोंके वेतन, अधिकारों, पेनशन, तथा सिविल सर्विस कमीशन और आडिटर जेनरलकी नियुक्तिके सम्बन्धमें ही हस्तान्तरित विषयोंमें हस्तक्षेप कर सकती है। प्रादेशिक सरकारें भारतसचिवकी स्वीकृति बिना न तो ऐसे किसी नये स्थायी पदकी सृष्टि कर सकती हैं जिसपर सिविलियन नियुक्त हो सकता हैं और न उसे उठा ही सकती है। १२००) मासिकसे अधिक वेतनके स्थायी पदकी सृष्टि वा किसी पदकी १२००) से वृद्धि करना, ४०००) मासिक वेतनका अस्थायी पद अथवा दो वर्षसे अधिक १२००) से ऊपर

मासिक वेतनवाले अस्थायी पदकी अवधि बढ़ाना, नियमोंके विरुद्ध किसी अफसरका भत्ता, पेनशन या इनाम बढ़ाना अथवा विदेशोंसे आनेवाले स्टोर्स या स्टेशनरीका खर्च बढ़ाना भी भारतसचिवकी स्वीकृति विना प्रादेशिक सरकारों-की शक्तिके बाहर हैं। भारतसरकार भारतसचिवकी ओरसे व्ययकी आज्ञा दे सकती है अथवा यदि उसे प्रादेशिक सरकारका प्रस्ताव नापसन्द हो, तो भारतसचिवको प्रस्ताव भेजते समय अपनी सम्मति दे सकती है अथवा उसके बारेमें और भी कुछ प्रादेशिक सरकारसे पूछ सकती है। पहले पहल इस कानूनने प्रादेशिक सरकारोंको, भारतसचिव या भारतसरकारकी आज्ञासे ही क्यों न सही, ऋण लेनेका अधिकार दिया है।



नयी व्यवस्थापिका सभाएं।

उत्तरदायित्वका अर्थ।

नये गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टसे जो महत्वके परिवर्तन हुए हैं, उनका सम्बन्ध व्यवस्थापिका संस्थाओंसे ही अधिक है। १९०९ के ऐक्टका उद्देश्य इस देशके लोगोंको कुछ विशेषाधिकार देना मात्र था, परन्तु इसका उद्देश्य भारतवासियोंको स्वराज्य या उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देना बताया जाता है और उत्तरदायित्वका केन्द्र व्यवस्थापिका संस्था है। पाश्चात्य राजनीति शास्त्रके अनुसार निर्वाचकोंके सामने शासकमण्डल उत्तरदाता होना चाहिये और इन निर्वाचकोंको व्यवस्थासभाओंमें अपने निर्वाचित प्रतिनिधियोंद्वारा अपने अधिकारोंका उपयोग करना चाहिये अर्थात् यदि शासकमण्डलपर प्रतिनिधियोंका विश्वास न हो, तो उसे पदत्याग कर देना चाहिये। इस प्रकार शासनशक्तिका केन्द्र व्यवस्थापिका संस्था है। इंगलैण्डमें राजनीतिक सिद्धान्तोंपर पार्टियां बनी हुई हैं और जिस पार्टीके अधिक मेम्बर पार्लमेंटकी कामन्स सभाके निर्वाचनमें चुने जाते हैं, उसीका नेता प्रधान मन्त्री नियुक्त

होता है और जबतक उसकी नीति पार्लमेंटको पसन्द आती है और उसका बहुमत रहता है, तबतक उसका मन्त्रिमडल या शासक मण्डल रहता है। यद्यपि इस अवस्थामें पार्लमेंटकी वह शक्ति जाती रहती है और वह केवल मन्त्रिमण्डलकी कठपुतली हो जाती है, तथापि वहां यही उत्तरदायित्वपूर्ण शासन कहलाता है। यही शासनपद्धति यहां प्रचलित करने अर्थात् ब्रिटिश भारतको स्वराज्य देनेके लिये व्यवस्थापिका सभाओंके अधिकारों, शक्ति और योग्यतामें परिवर्त्तन किये गये हैं।

मताधिकार।

उत्तरदायित्वका बीज प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंमे ही बोया गया है, इस लिये पहले इन्हींकी चर्चा करनी चाहिये। पुराने ऐक्टके अनुसार संस्थाओंके वोट थे, व्यक्तियोंके नहीं, परन्तु नये ऐक्टने कोई ६०००००० व्यक्तियों को मताधिकार दिया है। इनमें मद्रासमे १२,४८,१५६, बम्बईमें ५,४८,४७६ बंगालमें १०,२१,४१८ युक्तप्रदेशमें १३,४७,२७८ पञ्जाबमें ५,०५,३६१, बिहार-उडीसेमें ३२७५६४ मध्यप्रदेशमें १४४७३७ और आसाममें २०३,१६१ हैं। इनके सिवा धर्माके अनुमान २५,००,००० लोगोंको मताधिकार दिया गया है। भिन्न भिन्न प्रदेशोंके लोगोंकी अवस्थाके अनुसार उनके मताधिकारकी योग्यता ठहरायी गयी है। प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंको स्त्रियोंको मताधिकार देनेका अधि-

कार है और बंगाल आदि कई प्रदेशोंकी सभाओंने इसका उपयोग भी किया है। इससे आशा है कि मताधिकार प्राप्त व्यक्तियोंकी सख्या अगले निर्वाचनके लिये ६०,००,००० से अधिक हो जायगी। सम्पन्न मनुष्योंको ही नगरों और गावोंमें मताधिकार दिया गया है। जो मालगुजारी, सेस, इनकम टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, या चौकीदारी टैक्स देते हैं, अथवा मकान मालिक या किरायेदार हैं उन्हींने मताधिकार पाया है। परन्तु पेनशनिये या पुराने फौजी सिपाहियोंको भी मताधिकार मिला है और इनके लिये हैसियतका पचड़ा नहीं लगाया गया है।

इलेक्टरेट।

कौन्सिलके मेंबरोंको निर्वाचित करनेके लिये मतदाताओंका जो समूह होता है, वह इलेक्टरेट कहाता है। इलेक्टरेट तीन प्रकारका होता है, जेनरल, स्पेशल और कम्युनल। जेनरल इलेक्टरेटमें गैर-मुस्लिम ही होते हैं। पञ्जाबमें सिक्ख भी जेनरल इलेक्टरेटमें शामिल किये गये हैं, क्योंकि इसका नाम जेनरल नान मुहम्मडन (गैरमुस्लिम) इलेक्टरेट रखा गया है। स्पेशल इलेक्टरेटमे जमीन्दार, विश्वविद्यालय, व्यापार वाणिज्य तथा उद्योगधन्धों और खानवालों तथा नील या चायकी खेती करनेवालोंकी संस्थाए हैं। कम्युनल इलेक्टरेटमें धर्म या जातिविशेषके निर्वाचक होते हैं। इनमें मुसलमानों, ईसाइयों, यूरोपियनों, और यूरेशियनोंके निर्वाचक होते हैं। सबसे

निर्वाचनकी व्यवस्था अलग अलग है। गैर-मुस्लिमों और मुस्लियोंके इलेक्टरेट दो भागोंमें बटे हैं एक शहरी और दूसरा देहाती। माटेग्यू चेम्सफर्ड रिपोर्टमें यह [illegible] किया गया था कि भारतकी जनता देहातोंमें [illegible] है इसलिये शहरी लोगोंके प्रतिनिधि कम और देहातियोंके प्रति निधि अधिक रखे जाय। इसके अनुसार [illegible] तियोंके प्रतिनिधि तिगुनेसे छ गुने और [illegible] भी अधिक रखे गये हैं। कुछ लोगोंकी समझ है कि [illegible] अधिक शिक्षित, योग्य, राजनीतिज्ञ और [illegible] होते हैं इसलिये उनका सत्याधिकार नौकरशाहीको पसन्द नहीं है।

निर्वाचनविधिमें पहलेसे कोई विशेष [illegible] नहीं [illegible] है।

उम्मेदवारकी योग्यता।

निर्वाचकोंकी [illegible] रोलमें जिन लोगोंके [illegible] वे ही निर्वाचक होते हैं। [illegible] कारी इलेक्टरल रोल तैयार करता है [illegible] रिटी कहलाता है। परन्तु किसी मनुष्यके [illegible] कि मेरा नाम इलेक्टरल रोलमें नहीं है [illegible] अथवा अमुक मनुष्यका नाम है और [illegible] जो अफसर इलेक्टरल [illegible] जिग अथारिटी कहलाता है। [illegible] बाद रोलका जो अन्तिम [illegible] नाम होते हैं, वे ही निर्वाचनमें वोट [illegible]

कार है और बंगाल आदि कई प्रदेशोंकी सभाओंने इसका उपयोग भी किया है। इससे आशा है कि मताधिकार प्राप्त व्यक्तियोंकी संख्या अगले निर्वाचनके लिये ६०,००,००० से अधिक हो जायगी। सम्पन्न मनुष्योंको ही नगरों और गावोंमें मताधिकार दिया गया है। जो मालगुजारी, सेस, इनकम टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, या चौकीदारी टैक्स देते हैं, अथवा मकान मालिक या किरायेदार हैं उन्होंने मताधिकार पाया है। परन्तु पेनशनिये या पुराने फौजी सिपाहियोंको भी मताधिकार मिला है और इनके लिये हैसियतका पचडा नहीं लगाया गया है।

इलेक्टरेट।

कौन्सिलके मेंबरोंको निर्वाचित करनेके लिये मतदाताओंका जो समूह होता है, वह इलेक्टरेट कहाता है। इलेक्टरेट तीन प्रकारका होता है, जेनरल, स्पेशल और कम्यूनल। जेनरल इलेक्टरेटमें गैर मुस्लिम ही होते हैं। पञ्जाबमें सिक्ख भी जेनरल इलेक्टरेटमें शामिल किये गये हैं, क्योंकि इसका नाम जेनरल नान मुहम्मडन (गैरमुस्लिम) इलेक्टरेट रखा गया है। स्पेशल इलेक्टरेटमे जमीन्दार, विश्वविद्यालय, व्यापार वाणिज्य तथा उद्योगधन्धों और खानवालों तथा नील या चायकी खेती करनेवालोंकी संस्थाएं हैं। कम्यूनल इलेक्टरेटमें धर्म वा ... निर्वाचक होते हैं। इनमें मुसलमानों, ईसा- ...ों, और यूरोशियनोंके निर्वाचक होते हैं। सबके

पंजाबकी व्यवस्थापिका सभाके निर्वाचकोंमें इनमें कोई गुण होना चाहिये—इलेक्टरल रोल बननेके पहले १२ महीने तक (१) मालगुजारी देनेवाली जमीनको छोड़ ऐसी स्थावर सम्पत्तिका मालिक हो, चाहे यह उस जमीनपर मकान ही क्यों न हो जिसकी लागत कमसे कम ४०००) हो या जिसका सालाना किराया ९६) हो, (२) ५०) पर म्यूनिसिपल या कैण्टूनमेंट टैक्स देता हो, (३) जैलदार, इनामदार, सफ़ेदपोश या लम्बरदार हो, (४) कमसे कम २५) सालाना मालगुजारी देनेवाला पट्टेदार हो। परिषद्के निर्वाचकको १५०००) की लागतका मकान या बगलेके मालिक या ३३०) सालानाका किरायेदार या १००) मालगुजारी या ५०००) पर इनकम टैक्स देना चाहिये।

बिहार-उड़ीसेमें जो (१) कमसे कम ३) सालाना म्यूनि-सिपल या कैनटूनमेंट टैक्स या अन्य टैक्स देता हो, या (२) जमीन्दारीका मालिक या हिस्सेदार हो और अपने नामसे १२) सालानालोकल सेस सरकारी खजानेमें देता हो, या (३) जमीनका पट्टा लिये हो और लोकल सेसके लिये १००) का उसका पट्टा माना जाता हो, या (४) रैयतकी हैसियतसे (अ) उड़ीसे और छोटे नागपुरमें १६) लगान और आठ आने सेस या (आ) पटना और मुंगेर जिलोंमें ६५) लगान और २) सेस, या (इ) सन्थाल परगनेमें २४ लगान और बारह आने सेस या (ई) अन्यत्र ४८) लगान और १॥) सेस देता हो, वही निर्वाचक हो

सार कमसे कम १) रोड और पब्लिक वर्क्स सेस देता हो। (इ) २) चौकीदारी टैक्स या यूनियन रेट देता हो। परिषदके लिये २४) के बदले ६०) टैक्स कलकत्तेमें, ३) के १०) चीतपुर-काशीपुर और हवड़ेमें तथा १) के बदले ५) रोडसेस और ५०००) पर इनकम टैक्स देना आवश्यक है।

युक्तप्रदेशकी व्यवस्थापिका सभाका निर्वाचक वही हो सकता है जो निर्वाचनस्थानकी सीमाके दो मीलके अन्दर रहता हो और यदि वह स्थान शहर हो और (१) उसमें हाउस टैक्स लगता हो और उस मकानका भाड़ा कमसे कम ३६) हो, जिसमें वह मनुष्य रहता हो, या (२) हाउस टैक्स न लगता हो तो वह २००) की सालाना आमदनीपर म्युनिसिपल टैक्स या इनकम टैक्स देता हो, या (३) जहां हाउस टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स न लगता हो, वहां कमसे कम ३६) सालाना किरायेके मकानमें रहता हो, या (३) मुकर्ररी जमीनपर २५) सालाना मालगुजारी देता हो या माफीकी इतनी जमीन उसके पास हो जिसपर यदि मालगुजारी लगती तो कमसे कम २५) लग सकती, या (४) कुमायूंकी पट्टियोंका रहनेवाला हो, "फी-सिम्पल" इस्टेटका मालिक हो या मालगुजारी देता हो या खायकार हो, या (५) टेनैंट हो और उसके पास इतनी जमीन हो जिसके लिये ५०) या उतनेका अन्न वह लगानमें देता हो। परिषद्के लिये १८०) सालाना भाड़ेके मकानमें रहना या १०००) पर म्यूनिसिपल टैक्स देना या १५०) मालगुजारी देना चाहिये।

पंजाबकी व्यवस्थापिका सभाके निर्वाचकमें इनमें कोई गुण होना चाहिये —इलेक्टरल रोल बननेके पहले १२ महीने तक (१) मालगुजारी देनेवाली जमीनको छोड़ ऐसी स्थावर सम्पत्तिका मालिक हो, चाहे वह उस जमीनपर मकान ही क्यों न हो जिसकी लागत कमसे कम ४०००) हो या जिसका सालाना किराया ९६) हो, (२) ५०) पर म्यूनिसिपल या कैण्टूनमेंट टैक्स देता हो, (३) जैलदार, इनामदार, सफेदपोश या लम्बरदार हो, (४) कमसे कम २५) सालाना मालगुजारी देनेवाला पट्टेदार हो। परिषदके निर्वाचकको १५०००) की लागतका मकान या बगलेके मालिक या ३३०) सालानाका किरायेदार या १००) मालगुजारी या ५०००) पर इनकम टैक्स देना चाहिये।

बिहार-उड़ीसेमें जो (१) कमसे कम ३) सालाना म्यूनिसिपल या कैनटूनमेंट टैक्स या अन्य टैक्स देता हो, या (२) जमीन्दारीका मालिक या हिस्सेदार हो और अपने नामसे १२) सालानालोकल सेस सरकारी खजानेमें देता हो, या (३) जमीनका पट्टा लिये हो और लोकल सेसके लिये १००) का उसका पट्टा माना जाता हो, या (४) रैयतकी हैसियतसे (अ) उड़ीसे और छोटे नागपुरमें १६) लगान और आठ आने सेस या (आ) पटना और मुंगेर जिलोंमें ६४) लगान और २) सेस, या (इ) सन्थाल परगनेमें २४ लगान और बारह आने सेस या (ई) अन्यत्र ४८) लगान और १॥) सेस देता हो, [illegible]

सकता है। परिषद्के वोटरके लिये (१) अपने नामसे सरक खजानेमेंअपनी जमीन्दारी या हिस्सेके लिये पटना डिवीज ३०), भागलपुर-तिर्हुत डिवीजनोंमें २४) तथा उडीसे छोटे नागपुरमें १२) सेस देना, या (२) पट्टेपर जमीन ले जो सेसके लिये पटनेमें ४००) या छोटे नागपुरमें ३० या भागलपुरमें २००) या तिर्हुतमें १५०) या उड़ीसे १००) की समझी जाती हो, या (३) रैयतकी हैसियतसे पट डिवीजनमें १६०) लगान और ५) सेस, या तिर्हुत डिवीजन ९६) लगान और ३) सेस, उडीसा डिवीजममें ६४) लगान अं १२) सेस, छोटानागपुर डिवीजनमें ४०) लगान और १।) से भागलपुर और मुंगेर जिलोंमें १४५) लगान और ४॥) से पूर्निया और सन्थाल पर्गना जिलोंमें ९६) लगान और ३) से या ३८४०) पर इनकम टेक्स देना आवश्यक है।

मध्य प्रदेशकी कौन्सिलके वोटरको (१)किसी मकान मालिक या किरायेदार होना चाहिये जिसका किराया ३ सालानासे कम न हो, या जहा मकान या इमारतपर टैक्स लगता हो, वहा २००) सालानापर म्यूनिसिपल या हैसिय टैक्स देना चाहिये, या (३) किसी महाल या पट्टीका लम्ब दार या (४) किसी महाल या इस्टेटका मालिक या ठेकेदा या हिस्सेदार होना चाहिये, जिसकी मालगुजारी या कामि जमा १००) से कम न हो, या (५) सीर या खुदकाश्त जमीन का मालिक, या ठेकेदार होना चाहिये, जिसे मालिकाना ह

हो या जो मालिक मकबूजा हो और जिसकी जमीनकी रायपुर बिलासपुर, दुर्ग, चादा और बेतूल जिलोंमें कमसे कम ३०) और भंडारा बालाघाट, नीमाड, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलोंमें ४०) और दूसरे जिलोंमें ५०) मालगुजारी लगती या लग सकती हो। परिषदके वोटरके मकानका किराया नागपुर और जबलपुरमें २४०) और अन्यत्र १८०) तथा वोटरकी जमीनकी कामिल जमा १००) के बदले ३००) और इन जिलोंमें ३०) के बदले ९०), ४०) के बदले १२०) और ५०) के बदले १५०) मालगुजारी होनी चाहिये।

आसाममें वही कौंसिलका वोटर हो सकता है, जो शिलांगमें कमसे कम ३) या नवगांवमें २) या सिलहटमें १॥) सालाना म्यूनिसिपल या कनटूनमेंट टैक्स या (२) १) यूनियन रेट या (३) सिलहट, कछाड, और ग्वालपाडा जिलोंमें १) चौकीदारी टैक्स देता हो या (४) १५) सालाना मालगुजारीकी जमीनका मालिक हो या १) सेस देता हो। परिषदके निर्वाचकको २०) म्यूनिसिपल या कैनटूनमेंट टैक्स, या १०) यूनियन रेट, या २) चौकीदारी टैक्स देना या ४५) सालाना मालगुजारीकी जमीनका मालिक या ३) सेस या ३६००) पर इनकम टैक्स देना चाहिये।

बर्मामें परिषदके निर्वाचकको अपर बर्मामें १००) और लोअर बर्मामें १५०) मालगुजारी या २५) "तथामेद" टैक्स अथवा इनकम टैक्स देना चाहिये।

दिल्लीमें वोटर कमसे कम १५०००) की लागतके
३३६) सालाना किरायेके मकान या इमारतका मालिक
१००) मालगुजारी या ५०००)पर इनकम टैक्स देनेवाला ह
चाहिये।

व्यवस्थापिका परिषद्के लिये जमीन्दारों और भार
व्यापारियोंके लिये प्रतिनिधित्वकी यह व्यवस्था है कि मद्रा
लैंडहोल्डरों और बम्बईमें गुजरात और महाराष्ट्रके सरदारों अ
सिन्धके जमीन्दारों तथा अव्वल और दोयम दर्जेके जागीरदारों
निर्वाचकोंकी सूचीमें जिनके नाम होंगे, वे ही वोट दे सकें
पर बंगालके प्रेसिडेन्सी और बर्दवान डिवीजनोंमें ६००
मालगुजारी या१५००) सेस तथा ढाका, राजशाही और चटग
डिवीजनोंमें ४०००) मालगुजारी और १०००) सेस दे
वाले, बिहार-उड़ीसेमें १००००) मालगुजारी या २५००) से
देनेवाले, युक्तप्रदेशमें ५०००) पंजाबमें १०००) और मध्यप्रदेश
५०००) मालगुजारी देनेवाले जमीन्दार वोटर हो सकते हैं
मद्रासमें १००००) पर इनकम टैक्स देने और कमसे कम १२
दिन रहनेवाले व्यापारी, बम्बईमें इंडियन मर्चेण्ट्स चेम्बर ऐं
ब्युरो, बाम्बे मिलओनर्स एसोशियेशन तथा अहमदाबा
मिलओनर्स एसोशियेशनके सदस्य और बंगालमें बंगाल नेशनल
चेम्बर आव कामर्स, बंगाल महाजन सभा और मारवाड़ी
एसोशियेशनके मेम्बर हिन्दुस्थानी व्यापारी निर्वाचित क
सकते हैं।

प्रादेशोंमें जमीन्दार इलेकरेटकी यह व्यवस्था है कि मद्रासमें उनकी योग्यता वही रखी गयी है जो राज्यसभाके निर्वाचककी है। बम्बईमें गुजरात और महाराष्ट्रके सरदार और इनामदार तथा सिन्धके जागीरदार और जमीन्दार निर्वाचक होते हैं। बंगालमें प्रेसिडेन्सी या बर्द्धवान डिवीजनोंमें ४५००) माल गुजारी या ११२५) सेस तथा अन्य डिवीजनोंमें ३०००) मालगुजारी और ७५०) सेस, बिहारमें ४०००) मालगुजारी या १०००) सेस और उड़ीसेमें ६०००) मालगुजारी या ५००) सेस और पंजाबमें ५००) तथा मध्यप्रदेशमें ३०००) मालगुजारी देनेवाले निर्वाचक बनाये गये हैं।

प्रादेशोंमे प्रतिष्ठित वाणिज्य व्यापारकी संस्थाओं तथा चाय और नीलकी खेतीवाली संस्थाओंको भी प्रतिनिधि चुननेका अधिकार है।

मनोनीत मेंबर।

कोई सरकारी अफसर या नौकर किसी व्यवस्थापिका संस्थाका मेम्बर नहीं निर्वाचित हो सकता। प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभा में तो गवर्नरकी शासन सभाके सभी मेम्बर सदस्य मनोनीत किये जाते हैं, परन्तु गवर्नर जेनरलकी कौन्सिलके सदस्य भारतीय व्यवस्थापक मण्डलकी एक ही सभाके लिये मेम्बर मनोनीत किये जा सकते हैं, यद्यपि उन्हें मंडलकी दूसरी सभामें उपस्थित होकर अपना वक्तव्य सुनानेका अधिकार होता है। यदि कोई गैर-सरकारी मेम्बर सरकारी

नौकरी कर लेता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है और दूसरे मेम्बरका निर्वाचन होता है। गवर्नरजेनरल या गवर्नर इन सभाओंके मेम्बर नहीं होते, पर इन्हें सभाओंमें अभिभाषण करने और उसके लिये सब मेम्बरोंको उपस्थित होनेकी आज्ञा देनेका अधिकार है। इस अवसरपर व्यवस्थापक मण्डलकी दोनो सभाओंके समासद एकत्र होते हैं।



व्यवस्थापक मण्डल ।



मण्डल और उसका कार्यकाल ।

भारतीय व्यवस्थापक मण्डल ब्रिटिश पार्लमेंटके आदर्शपर बना है। पार्लमेंटके तीन अङ्ग (महाराज) किंग, लार्ड्स और कामन्स हैं, यद्यपि हूबहू वही बात यहां नहीं हो सकती, तथापि किंगकी जगह गवर्नर जेनरलको देकर गवर्नर जेनरल, कौन्सिल आव स्टेट (राज्यसभा) और लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली (व्यवस्थापिका परिषद्) व्यवस्थापक मंडलके तीन अंग बनाये गये हैं। राज्यसभाका निर्वाचन प्रति पांचवें वर्ष और व्यवस्थापिका परिषद्का तीसरे वर्ष होता है। परन्तु गवर्नरजेनरल चाहें तो किसी सभाको इससे कम अवधिमें ही भंग कर सकते अथवा उसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार सभाका विसर्जन होनेके ६ महीनेके अन्दर गवर्नरजेनरल वह तारीख नियत करते हैं, जिस दिन सभाका दूसरा दौर आरम्भ होता है। यह अवधि भारतसचिवकी आज्ञासे नौ महीनेतक पहुंच सकती है।

राज्यसभाकी रचना ।

राज्यसभामें ३३ निर्वाचित और प्रेसिडेंट समेत २७ मनोनीत मेम्बर होते हैं। मनोनीतोंमें प्रेसिडेंटको छोड़ १६ से अधिक सरकारी अफसर नहीं होते ।

	निर्वाचित					मनोनीत		
	गैर मुस्लिम	मुस्लिम	सिक्ख	यूरोपियन व्यापारी	कुल	सरकारी अफसर	गैर सरकारी अफसर	कुल
भारत सरकार						१२		१२
मद्रास	४	१			५	१	१	२
बम्बई	३	२		१	६	१	१	२
बंगाल	३	२		१	६	१	१	२
युक्तप्रदेश	३	२			५	१	१	२
पञ्जाब	१	१॥			२॥	१	२	३
बि० उड़ीसा	२॥	१	१		४॥	१		१
बर्मा	१			१	२			
मध्यप्रदेश	२				२			
आसाम	॥	॥			१			
दिल्ली						१		१
	२०	१०	१	३	३४	१६	६	२५

व्यवस्थापिका परिषदकी रचना।

व्यवस्थापिका परिषद्में १०३ निर्वाचित और सभापतिको छोड ४१ मनोनीत सभासद रहते हैं।

	निर्वाचित							मनोनीत			
	गैर मुस्लिम	मुस्लिम	सिक्ख	यूरोपियन	जमींदार	भारतीय व्यापारी	जोड़	सरकारी अफसर	गैर सरकारी आदमी	कुल जोड़	कुल जोड़
भा० सरकार								१२		१२	१२
मद्रास	१०	३		१	१	१	१६	२	२	४	२०
बम्बई	७	४		२	१	२	१६	२	४	६	२२
बंगाल	६	६		३	१	१	१७	२	३	५	२२
युक्तप्रदेश	८	६		१	१		१६	२	१	३	१९
पंजाब	३	६	२		१		१२	१	१	२	१४
बि० उडीसा	८	३			१		१२	१	१	२	१४
मध्यप्रदेश	४	१			१		६	१		१	७
आसाम	२	१		१			४	१		१	५
बर्मा	३			१			४		१	१	५
बरार									२	२	२
अजमेर									१	१	१
जोड	५१	३०	२	६	७	४	१०३	२५	१५	४०	१४३

राज्यसभामें जहां जहां आधे मेम्बरोंकी व्यवस्था है, वहां वहांके लोग बारी बारीसे मेम्बर चुनते हैं। पहले निर्वाचनमें पञ्जाबके मुसलमानोंको दो मेंबर अधिक मिलेंगे, पर दूसरे निर्वाचनमें इन मुसलमानोंको एक मेम्बर और विहारके गर मुस्लिमोंको एक मेम्बर निर्वाचित करनेका अधिकार होगा।

बरारका भी एक मेम्बर होता है, पर कानून बरार ब्रिटिश भारतमें नहीं है, इसलिये बरारके निर्वाचित मेम्बरको सरकार मनोनीत कर देती है। इसीसे राज्यसभाके ३३ मेम्बरोंके बदले ३४ निर्वाचित और २६ मनोनीत मेम्बरोंके बदले २५ मनोनीत मेम्बर दिख रहे हैं।

मेम्बर और प्रेसिडेंट।

व्यवस्थापिका परिषद् अथवा राज्यसभाका निर्वाचन हो चुकनेपर गवर्नर-जेनरल उनकी मीटिंगके लिये दिन और स्थान नियत करते हैं और परिषद और सभाके सेक्रेटरी प्रत्येक मेम्बरको समन भेजते हैं कि अमुक स्थानपर अमुक दिन आइये। मेम्बरोंके यथासमय एकत्र होनेपर प्रत्येकको राज-भक्तिकी सौगन्द खानी पड़ती है। जो मेम्बर नियत समयके अन्दर शपथ नहीं करता, उसका स्थान रिक्त बताकर गवर्नर-जेनरल उस स्थानके लिये दूसरे मेम्बरके निर्वाचनकी आज्ञा देते हैं। मनोनीत मेम्बरका स्थान रिक्त होनेपर वे दूसरा मेम्बर मनोनीत कर देते हैं। लगातार दो महीनेतक सभा वा परिषद के अधिवेशनोंमें अनुपस्थित रहनेसे भी मेम्बरका स्थान रिक्त हो

जाता है। राज्यसभाका प्रेसिडेंट उसके मेम्बरोंसे ही गवर्नर-जेनरल नियुक्त करते हैं और परिषद्के लिये पहले चार वर्षतक प्रेसिडेंट नियुक्त करनेका भी उन्हीको अधिकार है। चार वर्ष बाद परिषद् अपना प्रेसिडेंट चुन सकती है, परन्तु उसका निर्वाचन गवर्नर-जेनरलको पसन्द होना चाहिये। राज्यसभाके हर दौरके आरम्भमें मेम्बरोंकी सूचीसे गवर्नर-जेनरल चार चेयरमेन मनोनीत करते हैं, जिनमें प्रेसिडेंटकी अनुपस्थितिमें प्रेसिडेंटके कहनेसे कोई कौन्सिलका सभापतित्व कर सकता है। व्यवस्थापिका परिषद्का डिपटी प्रेसिडेंट निर्वाचित होता है, परन्तु उसका निर्वाचन भी गवर्नर-जेनरलकी पसन्दगी बिना पक्का नहीं होता।

व्यवस्थापक मंडलकी कार्यपद्धति।

यह समझ लेना चाहिये कि व्यवस्थापक मंडलको नियंत्रित करनेका अधिकार गवर्नर-जेनरल और भारत सरकारको है। इस लिये अथसे लेकर इतितक सब विषयोंमें गवर्नर-जेनरलका हस्तक्षेप हो सकता है। व्यवस्थापक मंडलकी दोनो सभाओंके अधिवेशन साधारणतः दिनके ११ से ४ बजेतक होते हैं और इनमें प्रश्न और प्रस्ताव किये जाते तथा कानून बनानेके लिये बिल पेश और पास किये जाते हैं। प्रश्नोंके सिवा इन सभाओंका कार्य दो भागोंमें बटा रहता है, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। सभाके कार्यपर विचार करके गवर्नर जेनरल गैर-सरकारी कामके लिये दिन निर्द्धारित कर देते हैं

और इन दिनों गैर सरकारी मेम्बरोंके प्रस्तावों और बिलोंपर ही विचार होता है, अन्य दिनोंमें सरकारी काम होता है। किस मेम्बरके बिल या प्रस्तावपर विचार होगा इसका निर्णय चिट्ठी उठाकर किया जाता है। किसी दौरके पहले दो दिन एक कागज एक, दो, तीन इत्यादि संख्या लिखकर आफिसमें रख दिया जाता है और जो मेंबर इस दौरमें कोई प्रस्ताव या बिल पेश करना चाहता है, वह नम्बरके सामने अपना नाम लिख देता है। तीसरे दिन कागजके उतने टुकड़े एक बक्समें डाल दिये जाते हैं और सबपर गिनतीकी उतनी ही संख्या लिखी रहती है। बाद एक क्लर्क बिना सोचे विचारे बक्ससे कागज निकाल लेता है और उसमें जो संख्या लिखी रहती है, उसी संख्याका लिस्टका नाम सेक्रेटरी बोलता है और जो नाम होता है, वह सबसे ऊपर लिखा जाता है। इसी क्रमसे बाकी नामोंके लिये चिट्ठी उठायी जाती है। इसे बैलट पद्धति कहते हैं। अधिवेशनमें विचारणीय विषयोंकी जो सूची सेक्रेटरी तैयार करता है, उसीके अनुसार कार्य होता है और अध्यक्षकी आज्ञा बिना किसी नवीन विषयपर विचार नहीं होता।

कार्यारम्भ।

राज्य-सभामें १५ मेम्बरों और व्यवस्थापिका परिषद्में २५ मेम्बरोंकी उपस्थितिके बिना कार्यारम्भ नहीं हो सकता। मेम्बरोंके बैठनेका क्रम अध्यक्ष निश्चित करते हैं। सभाओंकी भाषा अंगरेजी है, परन्तु अंगरेजी न जाननेवाले मेम्बरको किसी

देशी भाषामें बोलनेकी अनुमति अध्यक्ष दे सकते हैं। प्रत्येक मेम्बर अध्यक्षको सम्बोधन कर खड़ा होकर बोलता है और जब अध्यक्ष खड़े होते हैं, तब बैठ जाता है। किसी मेम्बरसे प्रश्न भी अध्यक्षद्वारा ही किया जा सकता है। सभाओंमें मेम्बरोंके लिये भाषण-स्वातन्त्र्य है और अपनी स्पीचके लिये उनपर मामला नहीं चलाया जाता, परन्तु उन्हें विचाराधीन मामलेपर कुछ न कहना चाहिये, किसी मेम्बरपर व्यक्तिगत आक्षेप न करना चाहिये, किसी व्यवस्थापिका सभाके कार्यके विषयमें आपत्तिजनक बातों, सम्राट्, गवर्नर-जेनरल, गवर्नर या किसी न्यायालयके आचरणपर आक्षेप न करना चाहिये, राजद्रोह या अपमानसूचक शब्द न कहना चाहिये तथा जान बूझकर सभाके कार्यमें बाधा देनेके उद्देश्यसे अपने भाषणके अधिकारका उपयोग न करना चाहिये। किसी विषयका निर्णय अध्यक्षको छोड़ सभाके मेम्बरोंके बहुमतसे होता है। दोनो ओर समान वोट होनेसे अध्यक्षके वोटसे निपटारा होता है। वोट दो प्रकारसे लिये जाते हैं, एक हां और ना पूछकर और दूसरा दोनो पक्षोंके मेम्बरोंको अलग अलग करके। पहली पद्धति Votes by voices और दूसरी Votes by division कहाती है। पहलि पद्धतिसे जब कोई मेम्बर सन्तुष्ट नहीं होता, तब दूसरीसे काम लिया जाता है। इसके बाद किसीकी आपत्ति नहीं सुनी जाती। सभामें शान्ति रखना अध्यक्षका कर्त्तव्य है और इसके लिये किसी मेम्बरको वे एक दिन या एक दौरके लिये सभामें

प्रकारके प्रस्तावके लिये १५ दिनके नोटिसका प्रयोजन होता है। सभा स्थगित करनेका प्रस्ताव अध्यक्ष पढकर सुना देते और पूछते हैं कि सभा प्रस्ताव करनेकी अनुमति देती है या नहीं। यदि आपत्ति की जाती है, तो अध्यक्ष कहते हैं कि जो अनुमति देनेके पक्षमें हैं, वे खड़े हो जाय और राज्यसभामें १५ और व्यवस्थापिका परिषदमें २५ मेम्बर खड़े हो जाते हैं तो अध्यक्ष कह देते हैं कि अनुमति है और ४ बजे या इससे पहले प्रस्ताव पर विचार होगा। यदि राज्यसभामें १५ और परिषदमें २५ मेम्बरोंसे कम खड़े होते हैं, तो अध्यक्ष कह देते हैं कि सभाकी अनुमति नहीं है। सिफारिशी प्रस्ताव किसी खास मामलेके बारेमें होना चाहिये और उसमें भी तर्क, अनुमान, व्यंग्य या अपमानजनक शब्द न होने चाहिये। प्रस्ताव उपस्थित किया जाय या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करेंगे। प्रस्तावक अध्यक्षकी अनुमतिसे अपना प्रस्ताव अन्य मेम्बरसे उपस्थित करा सकता है और चाहे तो वापस भी ले सकता है। मेंबरके अनुपस्थित होने पर उसका प्रस्ताव रद्द समझा जायगा। प्रस्तावमें संशोधनके लिये कोई मेम्बर संशोधक प्रस्ताव कर सकता है। पर इसके लिये भी कमसे कम २ दिनका नोटिस देना पडता है। यदि नोटिस न दिया गया हो तो कोई मेम्बर आपत्ति कर सकता है और फिर संशोधक प्रस्ताव उपस्थित करने न करने देना अध्यक्षके हाथमें है। १५ मिनिटसे अधिक कोई मेम्बर किसी प्रस्तावपर नहीं बोल सकता। प्रस्तावके अनुसार कार्य करना न

करना सरकारके अधीन है। स्टैंडिंग आर्डर वा सभाके किसी नियममें संशोधन करानेके प्रस्तावकी सूचना कमसे कम एक महीने पहले देनी पड़ती है। इसके लिये भी सभा स्थगित करनेके समयकी विधिके अनुसार १५ या २५ मेम्बरोंके अपने स्थानपर खड़े हो जानेसे सभाकी अनुमति समझी जाती है। अनुमति मिल जानेपर संशोधनेच्छुक सभासद् प्रस्ताव करता है कि मेरा संशोधनात्मक प्रस्ताव सिलेक्ट कमिटीमें भेजा जाय। इसके पास होनेपर वह सिलेक्ट कमिटीमें भेज दिया जाता है, जिसके चेयरमैन तो प्रेसिडेंट और मेम्बर परिषद्में डिपटी प्रेसिडेंट और राज्यसभामें अध्यक्षके चुने हुए एक चेयरमैन मेम्बर तथा सभाके चुने सात मेम्बर होते हैं। इसके बाद बिलके बारेमें जो कारवाई होती है, वह स्टैंडिंग आर्डरके विषयमें की जाती है।

बिलका आरम्भिक विचार।

जब कभी कोई कानून बनाना होता है, तब उसका बिल किसी सभामें पेश करनेके लिये सभाकी अनुमति ली जाती है। यदि अनुमति देनेका कोई विरोध करता है, तो अध्यक्ष अनुमति मांगनेवाले मेम्बर और उसके विरोधीको संक्षेपसे अपना अपना वक्तव्य सुनानेको कहते हैं और बाद वोट ले लेते हैं। यदि अनुमति मिल जाती है तो बिलका उपस्थापक इनमें कोई प्रस्ताव करता है —(१) सभा इसपर इसी समय अथवा अमुक दिन विचार करे, या (२) वह सिलेक्ट कमिटीमें भेजा

जाय, या (२) लोकमत जाननेके लिये प्रचारित किया जाय। परन्तु यदि सब मेंबरोंको बिलकी प्रति ३ दिन पहले नहीं मिली रहती तो कोई मेम्बर आपत्ति कर सकता है और यदि अध्यक्ष यह नियम स्थगित नहीं करते तो उक्त प्रस्ताव नहीं हो सकता। जिस समय सिलेक्ट कमिटीमें बिल भेजनेका प्रस्ताव किया जाता है, उसी समय दोनो सभाओंकी संयुक्त कमिटीमें भेजनेका प्रस्ताव भी हो सकता है। जिस दिन किसी बिलपर विचार आरम्भ होता है, उस दिन केवल उसके सिद्धान्तपर विचार होता है। परन्तु यदि प्रस्तावक प्रस्ताव करता है कि मेरे बिलपर विचार किया जाय तो कोई मेम्बर इसमें यह संशोधन कर सकता है कि बिल सिलेक्ट कमिटीमें भेजा जाय या लोकमत जाननेके लिये प्रचारित किया जाय। यदि वह सिलेक्ट कमिटीमें भेजनेका प्रस्ताव करे तो भी लोकमत जाननेके लिये प्रचार सम्बन्धी संशोधक प्रस्ताव हो सकता है। लोकमत जाननेके लिये प्रकाशनका प्रस्ताव पास होने और लोकमत जान लेनेपर यदि बिलका प्रस्तावक उसपर विचार कराना चाहे, तो उसे प्रस्ताव करना होता है कि वह सिलेक्ट कमिटीमें भेजा जाय।

सिलेक्ट कमिटी। प्रत्येक सिलेक्ट कमिटीमें सरकारका कानूनी सदस्य (ला मेम्बर) और सरकारके जिस विभागसे बिलका सम्बन्ध होता है, उसका मेंबर तथा बिलका उपस्थापक ये तीनो अवश्य रहते हैं। यदि ला मेम्बर उस सभाका सदस्य नहीं

होता हो परिषद्में डिपटी प्रेसिडेंट या परिषद्का कोई चेयर मैन उसका मेम्बर और चेयरमैन होता है। ला मेम्बर या बिलसे सम्बन्ध रखनेवाले विभागका मेम्बर परिषद्का मेंबर न होनेपर भी सिलेक्ट कमिटीके वादानुवादमें सम्मिलित हो सकता है। सिलेक्ट कमिटीके मेम्बरोंके नामोंका प्रस्ताव करते समय इनके नामोंकी आवश्यकता नहीं होती। सिलेक्ट कमिटी विशेषज्ञों और जिनसे उक्त बिलका सम्बन्ध होता है, उनकी राय ले तथा बिलके गैजेटमें प्रकाशित होनेके तीन महीनेके अन्दर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। जिन बिलोंके अनुसार टैक्स लगता है, उनके लिये समयका यह बन्धन नहीं है। कमिटीकी रिपोर्ट अधूरी या प्रारम्भिक और पूरी या अन्तिम दोनो तरहकी होती है। यदि किसी मेम्बरका रिपोर्टके किसी अंशसे मतभेद हो तो वह रिपोर्टपर यह लिखकर सही कर सकता है कि यह सही मतभेदपत्रको दृष्टिमें रखकर की गयी है। इसे अङ्गरेजीमें Subject to the note of dissent कहते हैं। इसके साथ ही उसे अपना मतभेदपत्र भी देना होता है। सेक्रेटरी हर रिपोर्ट छपाता और उसकी प्रतिया मेंबरोंको देता है।

बिलका अन्तिम विचार।

जब बिलका प्रस्तावक सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्ट सभामें उपस्थित करता है तो वह प्रस्ताव करता है कि (१) सिलेक्ट कमिटीद्वारा संशोधित बिलपर विचार हो, या (२) यह फिर कमिटीमें विचारार्थ भेजा जाय, या (३) लोकमत

माननेके लिये प्रचारित किया जाय। प्रस्तावक पहला प्रस्ताव करे तो कोई मेम्बर दूसरा या तीसरा और दूसरा करे तो वह तीसरा प्रस्ताव संशोधक प्रस्ताव रूपसे उपस्थित कर सकता है। यदि प्रस्तावकका पहला प्रस्ताव पास हो जाय, तो कोई मेम्बर उसमें संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर यदि दो दिन पहले इसका नोटिस न दिया गया हो तो कोई मेंबर आपत्ति कर सकता है। जब किसी बिलके सम्बन्धमें कोई संशोधक प्रस्ताव नहीं होता और बिलपर विचार करनेका प्रस्ताव पास हो जाता है तब प्रस्तावक प्रस्ताव करता है कि बिल पास किया जाय और बिल पास हो जाता है। परन्तु यदि बिलका संशोधन होता है तो उसी दिन पास करनेपर आपत्ति की जा सकती है। आपत्ति ग्राह्य होनेपर किसी दूसरे दिन बिल पास करनेका प्रस्ताव हो सकता है। किसी प्रस्तावका संशोधक प्रस्ताव संशोधक ही हो सकता है, नाशक नहीं। साथ ही संशोधनका मूल प्रस्तावसे सम्बन्ध होना चाहिये और वह ऐसा न होना चाहिये जो इसी वर्षके इसी प्रश्नके पहले निर्णयके विरुद्ध हो। वादविवाद समाप्त करनेके लिये कोई मेंबर प्रस्ताव कर सकता है कि प्रस्तावपर वोट ले लिये जायं। इसे अङ्गरेजीमें Closure कहते हैं। कोई बिल सभाकी अनुमतिसे वापस भी लिया जा सकता है। उस अवस्थामें उक्त बिलके सम्बन्धका सब कार्य बन्द हो जाता है। बिल पास होनेपर प्रेसिडेंटकी सही होती है और

होता तो परिषद्में डिपटी प्रेसिडेंट या परिषद्का कोई चेयर मैन उसका मेम्बर और चेयरमैन होता है। ला मेम्बर या बिलसे सम्बन्ध रखनेवाले विभागका मेम्बर परिषद्का मेंबर न होनेपर भी सिलेक्ट कमिटीके वादानुवादमें सम्मिलित हो सकता है। सिलेक्ट कमिटीके मेम्बरोंके नामोंका प्रस्ताव करते समय इनके नामोंकी आवश्यकता नहीं होती। सिलेक्ट कमिटी विशेषज्ञों और जिनसे उक्त बिलका सम्बन्ध होता है, उनकी राय ले तथा बिलके गैजेटमें प्रकाशित होनेके तीन महीनेके अन्दर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। जिन बिलोंके अनुसार टैक्स लगता है, उनके लिये समयका यह बन्धन नहीं है। कमिटीकी रिपोर्ट अधूरी या प्रारम्भिक और पूरी या अन्तिम दोनो तरहकी होती है। यदि किसी मेम्बरका रिपोर्टके किसी अंशसे मतभेद हो तो वह रिपोर्टपर यह लिखकर सही कर सकता है कि यह सही मतभेदपत्रको दृष्टिमें रखकर की गयी है। इसे अङ्गरेजीमें Subject to the note of dissent कहते हैं। इसके साथ ही उसे अपना मतभेदपत्र भी देना होता है। सेक्रेटरी हर रिपोर्ट छपाता और उसकी प्रतियां मेंबरोंको देता है।

बिलका अन्तिम विचार।

जब बिलका प्रस्तावक सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्ट सभामें उपस्थित करता है तो वह प्रस्ताव करता है कि (१) सिलेक्ट कमिटीद्वारा संशोधित बिलपर विचार हो, या (२) यह फिर कमिटीमें विचारार्थ भेजा जाय, या (३) लोकमत

माननेके लिये प्रचारित किया जाय। प्रस्तावक पहला प्रस्ताव करें तो कोई मेम्बर दूसरा या तीसरा और दूसरा करे तो वह तीसरा प्रस्ताव संशोधक प्रस्ताव रूपसे उपस्थित कर सकता है। यदि प्रस्तावकका पहला प्रस्ताव पास हो जाय, तो कोई मेम्बर उसमें संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर यदि दो दिन पहले इसका नोटिस न दिया गया हो तो कोई मेंबर आपत्ति कर सकता है। जब किसी बिलके सम्बन्धमें कोई संशोधक प्रस्ताव नहीं होता और बिलपर विचार करनेका प्रस्ताव पास हो जाता है, तब प्रस्तावक प्रस्ताव करता है कि बिल पास किया जाय और बिल पास हो जाता है। परन्तु यदि बिलका संशोधन होता है तो उसी दिन पास करनेपर आपत्ति की जा सकती है। आपत्ति ग्राह्य होनेपर किसी दूसरे दिन बिल पास करनेका प्रस्ताव हो सकता है। किसी प्रस्तावका संशोधक प्रस्ताव संशोधक ही हो सकता है, नाशक नहीं। साथ ही संशोधनका मूल प्रस्तावसे सम्बन्ध होना चाहिये और वह ऐसा न होना चाहिये जो इसी वर्षके इसी प्रश्नके पहले निश्चयके विरुद्ध हो। वादविवाद समाप्त करनेके लिये कोई मेंबर प्रस्ताव कर सकता है कि प्रस्ताव-पर वोट ले लिये जायं। इसे अङ्गरेजीमें Closure कहते हैं। कोई बिल सभाकी अनुमतिसे वापस भी लिया जा सकता है। उस अवस्थामें उस बिलके सम्बन्धका सब कार्य बन्द हो जाता है। बिल पास होनेपर प्रेसिडेंटकी सही होती है और

होता तो परिषद्में डिप्टी प्रेसिडेंट या परिषद्का कोई चेयरमैन उसका मेम्बर और चेयरमेन होता है। ला मेम्बर या बिलसे सम्बन्ध रखनेवाले विभागका मेम्बर परिषद्का मेंबर न होनेपर भी सिलेक्ट कमिटीके वादानुवादमें सम्मिलित हो सकता है। सिलेक्ट कमिटीके मेम्बरोंके नामोंका प्रस्ताव करते समय इनके नामोंकी आवश्यकता नहीं होती। सिलेक्ट कमिटी विशेषज्ञों और जिनसे उक्त बिलका सम्बन्ध होता है, उनकी राय ले तथा बिलके गैजेटमें प्रकाशित होनेके तीन महीनेके अन्दर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। जिन बिलोंके अनुसार टेक्स लगता है, उनके लिये समयका यह बन्धन नहीं है। कमिटीकी रिपोर्ट अधूरी या प्रारम्भिक और पूरी या अन्तिम दोनो तरहकी होती है। यदि किसी मेम्बरका रिपोर्टके किसी अंशसे मतभेद हो तो वह रिपोर्टपर यह लिखकर सही कर सकता है कि यह सही मतभेदपत्रको दृष्टमें रखकर की गयी है। इसे अङ्गरेजीमें Subject to the note of dissent कहते हैं। इसके साथ ही उसे अपना मतभेदपत्र भी देना होता है। सेक्रेटरी इस रिपोर्ट छपाता और उसकी प्रतियां मेंबरोंको देता है।

बिलका अन्तिम विचार। जब बिलका प्रस्तावक सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्ट सभामें उपस्थित करता है तो वह प्रस्ताव करता है कि (१) सिलेक्ट कमिटीद्वारा संशोधित बिलपर विचार हो, या (२) यह फिर कमिटीमें विचारार्थ भेजा जाय, या (३) लोकमत

जानेके लिये प्रचारित किया जाय। प्रस्तावक पहला प्रस्ताव करे तो कोई मेम्बर दूसरा या तीसरा और दूसरा करे तो वह तीसरा प्रस्ताव संशोधक प्रस्ताव रूपसे उपस्थित कर सकता है। यदि प्रस्तावकका पहला प्रस्ताव पास हो जाय, तो कोई मेम्बर उसमें संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर यदि दो दिन पहले इसका नोटिस न दिया गया हो तो कोई मेंबर आपत्ति कर सकता है। जब किसी बिलके सम्बन्धमें कोई संशोधक प्रस्ताव नहीं होता और बिलपर विचार करनेका प्रस्ताव पास हो जाता है, तब प्रस्तावक प्रस्ताव करता है कि बिल पास किया जाय और बिल पास हो जाता है। परन्तु यदि बिलका संशोधन होता है तो उसी दिन पास करनेपर आपत्ति की जा सकती है। आपत्ति ग्राह्य होनेपर किसी दूसरे दिन बिल पास करनेका प्रस्ताव हो सकता है। किसी प्रस्तावका संशोधक प्रस्ताव संशोधक ही हो सकता है, नाशक नहीं। साथ ही संशोधनका मूल प्रस्तावसे सम्बन्ध होना चाहिये और वह ऐसा न होना चाहिये जो इसी वर्षके इसी प्रश्नके पहले निर्णयके विरुद्ध हो। वादविवाद समाप्त करनेके लिये कोई मेंबर प्रस्ताव कर सकता है कि प्रस्तावपर वोट ले लिये जाय। इसे अङ्गरेजीमें Closure कहते हैं। कोई बिल सभाकी अनुमतिसे वापस भी लिया जा सकता है। उस अवस्थामें उक्त बिलके सम्बन्धका सब कार्य बन्द हो जाता है। बिल पास होनेपर प्रेसिडेंटकी सही होती है और

होता तो परिषद्में डिप्टी प्रेसिडेंट या परिषद्का कोई चेयर मैन उसका मेम्बर और चेयरमैन होता है। ला मेम्बर या बिलसे सम्बन्ध रखनेवाले विभागका मेम्बर परिषद्का मेंबर न होनेपर भी सिलेक्ट कमिटीके वादानुवादमें सम्मिलित हो सकता है। सिलेक्ट कमिटीके मेम्बरोंके नामोंका प्रस्ताव करते समय इनके नामोंकी आवश्यकता नहीं होती। सिलेक्ट कमिटी विशेषज्ञों और जिनसे उक्त बिलका सम्बन्ध होता है, उनकी राय ले तथा बिलके गैजेटमें प्रकाशित होनेके तीन महीनेके अन्दर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। जिन बिलोंके अनुसार टैक्स लगता है, उनके लिये समयका यह बन्धन नहीं है। कमिटीकी रिपोर्ट अधूरी या प्रारम्भिक और पूरी या अन्तिम दोनो तरहकी होती है। यदि किसी मेम्बरका रिपोर्टके किसी अंशसे मतभेद हो तो वह रिपोर्टपर यह लिखकर सही कर सकता है कि यह सही मतभेदपत्रको दृष्टिमें रखकर की गयी है। इसे अङ्गरेजीमें Subject to the note of dissent कहते हैं। इसके साथ ही उसे अपना मतभेदपत्र भी देना होता है। सेक्रेटरी हर रिपोर्ट छपाता और उसकी प्रतियां मेंबरोंको देता है।

बिलका अन्तिम विचार।

जब बिलका प्रस्तावक सिलेक्ट कमिटीकी रिपोर्ट सभामें उपस्थित करता है तो वह प्रस्ताव करता है कि (१) सिलेक्ट कमिटीद्वारा संशोधित बिलपर विचार हो, या (२) यह फिर कमिटीमें विचारार्थ भेजा जाय, या (३) लोकमत

जाता है, तो वहांसे पास होनेपर व्यवस्थापिका परिषद्में विचारार्थ उपस्थित किया जाता है। हर बिल ६ महीनेके अन्दर दोनो सभाओंसे संशोधन वा विना संशोधनके पास होना चाहिये और उस संशोधनके विषयमें अन्य सभाकी सम्मति होनी चाहिये। यदि दोनो सभाएं संशोधनके विषयमें सहमत न हुईं, तो गवर्नर जेनरलको अधिकार है कि बिल दोनो सभाओंके संयुक्त अधिवेशनमें विचारार्थ भेजें। जब दोनो सभाओंसे कोई बिल पास हो जाता है, तब वह गवर्नर जेनरलकी स्वीकृतिके लिये भेजा जाता है। गवर्नरजेनरलको अधिकार है कि उसे स्वीकार करें या अस्वीकार। यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया तो वह ऐक्ट (कानून) बन जाता है। उनकी स्वीकृति बिना कोई बिल ऐक्ट नहीं हो सकता। गवर्नर जेनरल किसी बिल को सम्राट्की स्वीकृतिके लिये भी रख सकते हैं और ऐसा बिल सम्राट और प्रिवी कौन्सिलकी स्वीकृतिके बिना कानून नहीं बन सकता। गवर्नर जेनरल बिल स्वीकार करके उसकी एक प्रति भारतसचिवको भेज देते हैं और सम्राट्को अधिकार होता है कि उसे नापास कर दे। नापास होनेका समाचार पाकर गवर्नर-जेनरल सूचना प्रकाशित कर देते हैं और इस दिनसे वह ऐक्ट रद्द हो जाता है। परन्तु इस बीचमें उसके अनुसार की हुई कारवाई रद्द नहीं होती।

गवर्नर-जेनरलके विशेष अधिकार।

उल्लिखित अधिकारोंके सिवा गवर्नर जेनरलको विशेष अधिकार भी हैं। यदि कोई सभा किसी बिलके पेश करनेकी अनुमति न दे अथवा जिस रूपमें गवर्नर-जेनरल उसे पास कराना चाहें, उसमें पास न करे तो उस बिलके

प्रस्तावपर आपत्ति कर सकता है। यदि परिपदके निर्णयके विरुद्ध गवर्नर-जेनरल अपने विशेष अधिकारसे किसी मांगको मजूर कर देते हैं, तो अर्थ-व्यवस्था सदस्य यथासाध्य शीघ्र ही सभामें उस विपयका वक्तव्य उपस्थित करते हैं जिसमें बताया जाता है कि क्या काररवाई की गयी है। इसपर न कोई बहस होती है और न प्रस्ताव ही। बजेट पेश हो चुकने बाद गवर्नर-जेनरल उसपर बहस करनेके लिये एक दिन नियत करते हैं। इस दिन सारे बजेटपर अथवा सिद्धान्तके किसी प्रश्नपर विचार होता है और अन्तमें अर्थसदस्य मेम्बरोंकी बातोंका जवाब देते हैं। बजेटकी तीसरी अवस्था अर्थात् सरकारकी मांगोंपर बहस १५ दिन चलती है, पर किसी एक मांगपर दो दिनसे अधिक बहस नहीं हो सकती। एक ही मांगके बारेमें जब एकसे अधिक प्रस्ताव होते हैं, तब मांगोंके खातोंके अनुसार उनका विचार होता है। जब किसी खातेके लिये मञ्जूर की हुई रकमसे अधिक रकम खर्च कर दी जाती है तो उसके लिये वैसे ही मांग पेश की जाती है, मानो वह नयी मांग हो। जब कभी किसी खातेमें मजूरकी हुई रकमसे पूरा नहीं पडता अथवा बीचमें आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तब उसके लिये बीचमें ही मांग पेश की जाती है।

बिल और ऐक्ट। सब बिल व्यवस्थापक मंडलकी दोनो सभाओंसे पास होने चाहिये, इस लिये यदि कोई बिल पहले व्यवस्थापिका परिपद्में पेश होकर पास हो जाता है, तो राज्यसभामें विचारार्थ उपस्थित किया जाता है और यदि पहले राज्यसभामें पेश किया

करनेका अधिकार दिया गया है। जब कभी किसी मतभेदके सम्बन्धमें एक साथ विचार करनेपर दोनो सभाए सम्मत होती हैं, तो कानफरेन्सकी जाती है और इसमें दोनो सभाओंके सभासदोंकी समान सख्या होती है। कानफरेन्सको अपनी कार्यपद्धति निश्चित करनेका अधिकार है। परन्तु दोनो सभाओंका सयुक्त अधिवेशन गवर्नर-जेनरलके नोटिफिकेशनके अनुसार होता है और राज्यसभाका अध्यक्ष उसका सभापति होता तथा साधारणत राज्यसभाकी पद्धति ही सयुक्त अधिवेशनकी कार्यपद्धति होती है।

पब्लिक एकाउट्स कमिटी।

अप्रैलसे मार्चतक सरकारी अर्थिक वर्ष होता है। आर्थिक वर्ष आरम्भ होते ही भारतसरकारके खर्च खातो और उनकी जाचके लिये १२ आदमियोकी पब्लिक एकाउट्स कमिटी बनायी जाती है। इनमे कमसे कम आठको तो परिषदके गैरसरकारी मेम्बर सिगल ट्रैन्सफरेबल वोटके अनुसार प्रोपोशनेट प्रतिनिधित्वके * सिद्धान्तपर चुनते हैं और बाकी चारको

---

* वोट लेनेकी दो पद्धतिया है, एक मैजारिटी वोट और दूसरा सिगल ट्रैन्सफरेबल वोट। मैजारिटी वोटमें जिन उम्मेदवारोंको सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वे ही चुने जाते हैं। अर्थात् १५ उम्मेदवार और ५ सीटें या स्थान यदि हो तो इनमें जिन ५ उम्मेदवारोंको सबसे अधिक वोट [illegible] नहीं मिलेगे, वे ही चुने जायगे। पर [illegible] नम्बरके होता। यहा उम्मेदवारोंको

के सम्बन्ध, प्रादेशिक विषयके नियत्रण, प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाका कोई कानून रद्द या सशोधन और गवर्नर-जेनरलके बनाये किसी ऐक्ट या आर्डिनैन्सको रद्द या संशोधन करनेके लिये कोई बिल गवर्नर-जेनरलकी आज्ञा लिये बिना व्यवस्थापक मंडलमें नहीं उपस्थित किया जा सकता। गवर्नर-जेनरलके अधिकारोंपर विचार करनेसे जाना जाता है कि उन्हें सब अधिकार हैं और व्यवस्थापक मडलको कुछ भी नहीं।

सयुक्त कमिटी, कानफरेन्स और सयुक्त अधिवेशन।

कभी कभी कोई बिल ऐसे महत्वका होता है कि सिलेक्ट कमिटीमें उसे न भेजकर दोनो सभाओंकी सयुक्त कमिटीमें भेजना अधिक उपकारी प्रतीत होता है। यदि इस आशयका प्रस्ताव किसी सभामें पास हो जाता है कि अमुक बिल दोनो सभाओंकी कमिटीमें भेजा जाय तो दूसरी सभाको सदेश भेजा जाता है और उससे सम्मत होनेको कहा जाता है। सभाओंमें पत्रव्यवहार सेक्रेटरियोंकी मार्फत ही होता है। यदि दूसरी सभा इसपर सम्मत हो जाती है तो दोनो सभाएं अपने अपने मेम्बर चुनती हैं। कमिटी ही अपना सभापति चुनती है और सब मेम्बरोंका एक ही एक वोट होता है, पर यदि किसी विषय पर दोनो ओर समान वोट होते हैं तो वह नापास समझा जाता है। राज्यसभा उच्च सभा है, इस लिये उसके अध्यक्षको इस कमिटीका ही नहीं, बल्कि कानफरेन्सका समय और स्थान निर्दिष्ट और दोनो सभाओंके सयुक्त अधिवेशनमें सभापतित्व

करनेका अधिकार दिया गया है। जब कभी किसी मतभेदके सम्बन्धमें एक साथ विचार करनेपर दोनो सभाएं सम्मत होती हैं, तो कानफरेन्सकी जाती है और इसमें दोनो सभाओंके सभासदोंकी समान संख्या होती है। कानफरेन्सको अपनी कार्यपद्धति निश्चित करनेका अधिकार है। परन्तु दोनो सभाओंका संयुक्त अधिवेशन गवर्नर जेनरलके नोटिफिकेशनके अनुसार होता है और राज्यसभाका अध्यक्ष उसका सभापति होता तथा साधारणतः राज्यसभाकी पद्धति ही संयुक्त अधिवेशनकी कार्यपद्धति होती है।

पब्लिक एकाउट्स कमिटी।

अप्रेलसे मार्चतक सरकारी आर्थिक वर्ष होता है। आर्थिक वर्ष आरम्भ होते ही भारतसरकारके खर्च खातों और उनकी जांचके लिये १२ आदमियोंकी पब्लिक एकाउट्स कमिटी बनायी जाती है। इनमे कमसे कम आठको तो परिषदके गैरसरकारी मेम्बर सिंगल ट्रैन्सफरेबल वोटके अनुसार प्रोपोशनेट प्रतिनिधित्वके * सिद्धान्तपर चुनते हैं और बाकी चारको

---

* वोट लेनेकी दो पद्धतियां हैं, एक मेजारिटी वोट और दूसरा सिंगल ट्रैन्सफरेबल वोट। मेजारिटी वोटमें जिन उम्मेदवारोंको सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वे ही चुने जाते हैं। अर्थात् १५ उम्मेदवार और ५ सीटें या स्थान यदि हों तो इनमें जिन ५ उम्मेदवारोंको सबसे अधिक वोट मिलेंगे, वे ही चुने जायगें। पर सिंगल ट्रैन्सफरेबल वोटमें ऐसा नहीं होता। यहां उम्मेदवारोंको नम्बर दिये जाते हैं और जिसको एक नम्बरके

के सम्बन्ध, प्रादेशिक विषयके नियत्रण, प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाका कोई कानून रद्द या संशोधन और गवर्नर-जेनरलके बनाये किसी ऐक्ट या आर्डिनेन्सको रद्द या संशोधन करनेके लिये कोई बिल गवर्नर-जेनरलकी आज्ञा लिये विना व्यवस्थापक मंडलमें नहीं उपस्थित किया जा सकता। गवर्नर जेनरलके अधिकारोंपर विचार करनेसे जाना जाता है कि उन्हें सब अधिकार हैं और व्यवस्थापक मडलको कुछ भी नहीं।

सयुक्त कमिटी, कानफरेन्स और सयुक्त अधिवेशन।

कभी कभी कोई बिल ऐसे महत्वका होता है कि सिलेक्ट कमिटीमें उसे न भेजकर दोनो सभाओंकी सयुक्त कमिटीमें भेजना अधिक उपकारी प्रतीत होता है। यदि इस आशयका प्रस्ताव किसी सभामें पास हो जाता है कि अमुक बिल दोनो सभाओंकी कमिटीमें भेजा जाय तो दूसरी सभाको सदेश भेजा जाता है और उससे सम्मत होनेको कहा जाता है। सभाओंमें पत्रव्यवहार सेक्रेटरियोंकी मार्फत ही होता है। यदि दूसरी सभा इसपर सम्मत हो जाती है तो दोनो सभाएं अपने अपने मेम्बर चुनती हैं। कमिटी ही अपना सभापति चुनती है और सब मेम्बरोंका एक ही एक वोट होता है, पर यदि किसी विषय पर दोनो ओर समान वोट होते हैं तो वह नापास समझा जाता है। राज्यसभा उच्च सभा है, इस लिये उसके अध्यक्षको इस कमिटीका ही नहीं, बल्कि कानफरेन्सका समय और स्थान निर्दिष्ट और दोनो सभाओंके सयुक्त अधिवेशनमें सभापतित्व

प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाएं ।

१९१९ के गवर्नमेंट आव इंडिया ऐक्टसे गवर्नरोंके प्रादेशोंमें भी व्यवस्थापिका सभाएं रह गयी हैं। लेफ्टेनेंट गवर्नरियां उठ गयी हैं और चीफ कमिशनरियोंके लिये कानून बनानेका काम व्यवस्थापक मंडलने ले लिया है। प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंका निर्वाचन भी तीसरे वर्ष होता है और इनको समयसे पहले ही भंग करने या इनका कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ा देने तथा सभाभंग करनेके ६ महीनेके अन्दर और भारतसचिवकी अनुमतिसे नौ महीनेके अन्दर नये निर्वाचनके लिये तारीख डाल देनेका अधिकार उसी तरह गवर्नरको है, जिस तरह व्यवस्थापिका परिषद्‌के बारेमें गवर्नर जेनरलको है।

सभाका कार्यकाल

प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाको अपने प्रदेशके सुशासन और शान्तिके लिये कानून बनानेका अधिकार है, परन्तु वह यदि नीचे लिखे विषयोंके सम्बन्धमें कानून बनानेका विचार करना चाहे तो उसे पहले गवर्नर-जेनरलकी मंजूरी ले लेनी पड़ती है :—

सभाका कार्य ।

(१) नीचे लिखे टैक्सोंको छोड़ नया टैक्स लगाना या नया टैक्स लगानेका अधिकार देना :—

गवर्नर-जेनरल मनोनीत करते हैं। भारतसरकारका अर्थसदस्य भी इसका मेम्बर होता है और यही चेयरमैन होता है। कमिटीका काम हिसाब और आडिटकी जांच करके इसका निश्चय करना है कि परिषद्ने जिस खातेमें खर्च करनेके लिये रकम मंजूर की थी, उन्हींमें खर्च हुई हैं या नहीं और इसी प्रकार वह यह भी निश्चय करती है कि वह मद्द परिषद्में बताये खातेमें आती है या नहीं। इस कमिटीका यह भी कर्त्तव्य है कि परिषद्को बतावे कि किस किस मद्दकी रकम किस किस दूसरी मद्दमें खर्च की गयी है तथा एक ग्रांटके अन्दर जो रकम किसी दूसरी मद्दमें खर्च हुई है, वह अर्थव्यवस्था विभागके नियमानुकूल है या नहीं। इसके सिवा उक्त विभाग जिस खर्चकी ओर परिषद्का ध्यान आकर्षित करना चाहता है वह भी इस कमिटी द्वारा ही परिषद्को बताया जाता है।

यथेष्ट वोट मिलते हैं, वह निर्वाचित होता है। इस पद्धतिमें पहले सब वोट जोड़ लिये जाते हैं और बाद उम्मेदवारोंकी सख्यामें एक जोडकर इससे वोटोंकी सख्याको भाग देते है। जो भागफल आता है, वह प्रत्येक उम्मेदवारके लिये वोटोंकी आवश्यक सख्या मानी जाता है। इसे अंगरेजीमें "कोटा" कहते हैं। जिन उम्मेदवारोंको इतने वोट मिल जाते हैं, वे निर्वाचित समझे जाते हैं। परन्तु यदि और मेम्बरोंकी आवश्यकता होती है तो उन मेम्बरोंके जरूरतसे ज्यादा वोट बाकी उम्मेदवारोंको दिये (ट्रान्सफर किये) जाते हैं। जब २ नं० पाये हुए लोगोंको ये फालतू वोट देनेपर भी स्थानोंकी पूर्ति नहीं होती तो ट्रेन्सफरका कार्य जारी रहता है। यह सिंगल ट्रेन्सफरेबल वोट प्रोपोर्शनेट प्रतिनिधित्वकी पद्धति बड़ी जटिल है, पर इसका महत्व इस बातमें समझा जाता है कि जहां बहुमतके कारण अल्प मतवाले न निर्वाचित हो सकते हों, वहां इस पद्धतिसे अल्प मतवाले भी निर्वाचित हो सकते हैं।

(७) ऐसे किसी कानूनमें सशोधन होता हो जिसका सशोधन भारत सकारकी आज्ञाके विना न होनेका नियम बना हो ।

(८) पार्लमेंटका कोई कानूनन कटता हो ।

प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभामें विलोंपर विचार उसी तरह होता है, जिस तरह व्यवस्थापिका परिषदमें और किसी विल या उसके किसी अशको सशोधनके लिये फिर सभामें भेज देनेका गवर्नरको वैसाही अधिकार है, जैसा गवर्नर जेनरलको। इसके सिवा विलको स्वीकृत वा अस्वीकृत करने या गवर्नर-जेनरलकी स्वीकृतिके लिये रख छोडनेका अधिकार गवर्नरको है। जब गवर्नर-जेनरलके विचारार्थ गवर्नर किसी विलको रख छोडते हैं तो ६ महीनेके अन्दर या तो वे इसे स्वीकृति दे देते हैं या सम्राट्की स्वीकृतिके लिये रख छोडते हैं अथवा गवर्नर जेनरलकी सम्मतिसे गवर्नर उसे यह कहकर कौन्सिलमें फिर भेजते हैं कि प्रस्तावित सशोधनोंपर विचार किया जाय। पहली अवस्थामें यह प्रकाशित कर दिया जाता है कि गवर्नर-जेनरलने विलको स्वीकृति दे दी है और वह कानून या ऐक्ट हो जाता है। दूसरी अवस्थामें वह तबतक ऐक्ट नहीं होता जबतक अपनी प्रिवी कौन्सिलकी सम्मतिसे सम्राट् उसे स्वीकृति नहीं देते। तीसरी अवस्थामें फिर सशोधन या विना सशोधनके पास किया हुआ विल अन्य विलोंकी तरह गवर्नरके स्वीकृतिके लिये भेजा जाता है।

बिल और गवर्नर ।

(अ) खेतीकी जमीनको छोड दूसरी जमीनपर टैक्स, (आ) संयुक्त कुटुम्बमें उत्तराधिकारपर टैक्स, (इ) कानून न जारी जुएपर टैक्स, (ई) विज्ञापनपर टैक्स, (उ) खेलतमाशोंपर टैक्स, (ऊ) निर्द्धारित विलासितापर टैक्स, (ऋ) रजिस्ट्रेशन फी (ॠ) स्टाम्प ड्यूटी, और (ऌ) टोल, जमीन या इमारत, सवारियों, नावों, जानवरों, घरके नौकरचाकरोंपर टैक्स, चुंगी, टर्मिनल टैक्स, पेशोंपर टैक्स, प्राइवेट बाजारोंपर टैक्स, कलके पानी, सफाई, ड्रेन, रोशनी आदिके लिये टैक्स।

(२) भारतके सरकारी ऋण या कस्टम्स ड्यूटी या दूसरे टैक्सपर जिसका प्रभाव पड़ता हो और जो भारत सरकारकी मंजूरीसे लगता हो।

(३) जलस्थल और आकाश सेना रखने या उसके विनयानुशासनसे जिसका सम्बन्ध हो।

(४) विदेशी या देशी राजाओंसे भारत सरकारके सम्बन्ध पर जिसका प्रभाव पड़े।

(५) जिसका भारत सरकारके अधीन किसी विषयसे सम्बन्ध हो अथवा जिसके लिये, भारतीय व्यवस्थापक मंडलके कानून बनानेकी बात नियमोंसे तय हो चुकी हो।

(६) भारत सरकारके अधिकारोंमें कसर पड़ती हो।

प्रदेश	निर्वाचित															मनोनीत			
	जनरल इलेक्टरेट				कम्यूनल इलेक्टरेट						स्पेशल इलेक्टरेट							
	गैर मुस्लिम		सिक्ख	कुल	मुसलमान		यूरोपियन	ऐंग्लो इंडियन	देशी ईसाई	कुल	विश्वविद्यालय	जमींदार	शिल्प वाणिज्य खान और खेती	कुल	सरकारी अफसर	गैर सरकारी आदमी	कुल	कुल जोड़
	शा०	दे०			शा०	दे०												
मद्रास	९	५६		६५	२	११	१	१	५	२०	१	६	६	१३	२३	६	२९	१२७
बम्बई	११	३५		४६	५	२२	२			२९	१	३	७	११	२०	५	२५	१११
बंगाल	११	३५		४६	६	३३	५	२		४६	१	५	१५	२१	२०	६	२६	१३९
युक्त प्रदेश	८	५२		६०	४	३२	१			३०	१	६	३	१०	१८	५	२३	१२३
पंजाब	७	१३	१२	२०	५	२७				४४	१	४	२	७	१६	६	२२	९३
बि० उड़ीसा	६	४२		४८	३	१५	१			१९	१	५	३	९	२०	७	२७	१०३
मध्य प्रदेश	९	३१		४०	१	६				७	१	३	३	७	१०	६	१६	७०
आसाम	१	३०,		२१		१२				१२				६	९	५	१४	५३

यदि कौन्सिल कोई बिल उस रूपमें नहीं पास करती जि
गवर्नर उसे पास कराना चाहते हैं
किसी सरकारी बिलके उपस्थित
जानेकी अनुमति नहीं देती और बिल

गवर्नरके विशेषाधिकार ।

रक्षित विषयसे सम्बन्ध होता है तो गवर्नर इस आशय
सर्टिफिकेट लिखकर कि उक्त विषयके हमारे उत्तरदायित्वके
इसका पास होना अवश्यक है, उसपर हस्ताक्षर कर देते
और वह पास समझा जाता है। ऐसा ऐक्ट गवर्न
बनाया ऐक्ट माना जाता है और गवर्नर इसकी एक
गवर्नर-जेनरलको भेज देते हैं और गवर्नर-जेनरल इसे सम्राट्
स्वीकृतिके लिये रख छोड़ते हैं और सम्राट् अपनी
कौन्सिलकी सम्मतिसे जब उसे स्वीकार करते हैं, तब गव
जेनरल उसकी सूचना निकाल देते हैं और ऐसा ऐक्ट कौन्सि
पास हुए ऐक्टके समान ही समझा जाता है। तात्कालि
आवश्यकताके समय गवर्नर-जेनरल सम्राट्की स्वीकृतिके
न रखकर उसे स्वीकृति दे देते हैं और जबतक सम्राट्
अस्वीकृति नहीं प्राप्त होती, तबतक वह कानून समझा जाता
इस नियमके अनुसार बना ऐक्ट यथासाध्य शीघ्र ही पार्लमें
दोनो सभाओंमें लगातार ८ दिन तक रखा जाता है और इ
पहले सम्राट्की स्वीकृतिके लिये नहीं उपस्थित किया जाता।

कौंसिलोंकी रचना ।

प्रादेशिक व्यवस्थापिका सभाओंकी रचनाका सिद्धान्त
है कि इनमें निर्वाचितोंकी संख्या फी सैकड़े ७० से कम
मनोनीतोंकी २० से अधिक न हो ।

प्रदेश	निर्वाचित																मनोनीत			
	जनरल इलेक्टरेट				कम्यूनल इलेक्टरेट						स्पेशल इलेक्टरेट									
	गैर मुस्लिम		सिक्ख	कुल	मुसलमान		यूरोपियन	ऐंग्लो इंडियन	देशी ईसाई	कुल	विश्वविद्यालय	जमीन्दार	शिल्प वाणिज्य व्यापार और खेती	कुल	सरकारी अफसर	गैर सरकारी आदमी	कुल	कुल जोड़
	शा०	दे०			शा०	दे०												
मद्रास	९	५६		६५	२	११	१	१	५	२०	१	६	६	१३	२३	६	२९	१२७
बम्बई	११	३५		४६	५	२२	२			२९	१	३	७	११	२०	५	२५	१११
बंगाल	११	३५		४६	६	३३	५	२		४६	१	५	१५	२१	२०	६	२६	१३९
युक्त प्रदेश	८	५२		६०	४	३२	१			३०	१	६	३	१०	१८	५	२३	१२३
पंजाब	७	१३	१२	२०	५	२७				४४	१	४	२	७	१६	६	२२	९३
बि० उड़ीसा	६	४२		४८	३	१५	१			१९	१	५	३	९	२०	७	२७	१०३
म० प्रदेश	९	३१		४०	१	६				७	१	३	३	७	१०	६	१६	७०
आसाम	१	२०		२१		१२				१२				६	९	५	१४	५३

बजेट और गवर्नर।

आनुमानिक आयव्ययका चिट्ठा या बजेट हरसाल कौन्सिलमें पेश होताहै और भारतसरकारके बजेटकी तरह इसकी भी तीन अवस्थाएं होती हैं तथा कौन्सिलके वोटके लिये अन्तिम अवस्था मांगोंके रूपमें दिखाई देती है। इन मांगों या इनमें किसी मांगको मंजूर या नामंजूर करने या मांगकी रकम घटानेका अधिकार कौन्सिलको है। पर कौन्सिल यदि किसी ऐसी मांगकी रकम नामंजूर करे या घटा दे जिसका सम्बन्ध रक्षित विषयसे हो, तो गवर्नर यह सर्टिफिकेट देकर कि हमारे उत्तरदायित्वको पूर्ण करनेके लिये यह खर्च आवश्यक है तो प्रादेशिक सरकार समझ लेगी कि वह खर्च पास हो गया है। तात्कालिक आवश्यकताके समय भी यदि गवर्नर अपने प्रदेशकी शान्ति या सुरक्षा या किसी विभागका काम चलानेके लिये कोई व्यय

नोट—मनोनीत सदस्योंमें अफसरोंकी जो संख्याएं दिखायी गयी हैं, वे बढ़ नहीं सकतीं। गवर्नर चाहे तो गैरसरकारी आदमियोंको मनोनीत कर अफसरोंकी संख्या घटा सकते हैं।

ढाका विश्वविद्यालयका एक और प्रतिनिधि निर्वाचित होनेपर बङ्गाल कौंसिलमें १४० मेंबर हो जायगे।

नागपुर विश्वविद्यालय बननेतक विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि निर्वाचित न होगा, पर सरकार एक आदमीको विश्वविद्यालय [illegible] लिये मनोनीत करेगी।

आसामके शहरोंमें मुसलमान [illegible] गिलागके प्रतिनिधियोंके निर्वा[illegible]

आवश्यक समझें तो वे उसकी आज्ञा दे सकते हैं। परन्तु आमदनी खर्च करनेका प्रस्ताव गवर्नरके कहनेसे ही कौन्सिलमें पेश होता है। भारत सरकारके सम्बन्धमें गवर्नर-जेनरलको और प्रादेशिक सरकारोंके विषयमें गवर्नरको यह अधिकार देनेका अभिप्राय यह है कि बजेटमें क्या खर्च किया जाय, क्या नहीं इसका प्रस्ताव कौन्सिलमें सरकारकी ही ओरसे पेश किया जाय। कौन्सिलको बजेट पास करनेका अधिकार है सही, परन्तु (१) भारत सरकारको सालाना देने, (२) ऋणके व्याज और गोलक, (३) जिस खर्चके लिये कानूनसे रकम मुकर्रर है, (४) सम्राट् या भारतसचिवके नियुक्त किये लोगोंके वेतन और पेनशन तथा हाईकोर्टके जजों और एडवोकेट-जेनरलके वेतनकी रकमें कौन्सिलसे नहीं पास करायी जातीं। कानूनका बनना रोकनेका अधिकार गवर्नरको भी है और कौन्सिलकी कार्यपद्धति व्यवस्थापिका परिषदको पद्धति जैसी ही है। कहीं किसी कौन्सिलके नियमोंमें कुछ उलट फेर है, जैसे बंगाल कौन्सिलमें प्रश्नके लिये १० के बदले १५ दिन और प्रस्तावके लिये १५ दिनके बदले १० दिनका नोटिस देना पडता है।



बजेट और गवर्नर। आनुमानिक आयव्ययका चिट्ठा या बजेट हरसाल कौन्सिलमें पेश होताहै और भारतसरकारके बजेटकी तरह इसकी भी तीन अवस्थाए होती हैं तथा कौन्सिलके वोटके लिये अन्तिम अवस्था मांगोंके रूपमें दिखाई देती है। इन मांगों या इनमें किसी मांगको मंजूर या नामंजूर करने या मांगकी रकम घटानेका अधिकार कौन्सिलको है। पर कौन्सिल यदि किसी ऐसी मांगकी रकम नामंजूर करे या घटा दे जिसका सम्बन्ध रक्षित विषयसे हो, तो गवर्नर यह सर्टिफिकेट देकर कि हमारे उत्तर दायित्वको पूर्ण करनेके लिये यह खर्च आवश्यक है तो प्रादेशिक सरकार समझ लेगी कि वह खर्च पास हो गया है। तात्कालिक आवश्यकताके समय भी यदि गवर्नर अपने प्रदेशकी शान्ति वा सुरक्षा या किसी विभागका काम चलानेके लिये कोई व्यय

नोट—मनोनीत सदस्योंमें अफसरोंकी जो संख्याए दिखायी गयी हैं, वे बढ़ नहीं सकतीं। गवर्नर चाहे तो गैरसरकारी आदमियोंको मनोनीत कर अफसरोंकी संख्या घटा सकते हैं।

ढाका विश्वविद्यालयका एक और प्रतिनिधि निर्वाचित होनेपर बङ्गाल कौंसिलमें १४० मेंबर हो जायगे।

नागपुर विश्वविद्यालय बननेतक विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि निर्वाचित न होगा, पर सरकार एक आदमीको विश्वविद्यालय शिक्षाकी हितरक्षाके लिये मनोनीत करेगी।

आसामके शहरोंके मुसलमानोंका इलेक्टरेट अलग नहीं है। इसलिये शिलांगके प्रतिनिधियोंके निर्वाचनमें हिन्दू मुसलमान दोनों भाग लेते हैं।

सूचना देते हैं, तब पूरी कौन्सिलके अधिवेशन होते हैं। उस समय लण्डनके लार्ड मेयर बुलाये जाते हैं। राजकीय तथा अन्य शुभावसरोंपर भी पूरी कौन्सिल बुलायी जाती है। नैयमिक अधिवशनोंमें कुछ ही कौन्सिलर विशेषकर मन्त्रिमण्डलके सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो आज्ञाएं इसके द्वारा प्रचारित होती हैं, उनसे इन्हीका विशेष सम्बन्ध रहता है। कौन्सिलका प्रधान अफसर लार्ड प्रेसिडेण्ट कहाता है। यह मन्त्रिमडलका सदस्य होता और ३००००) वार्षिक वेतन पाता है। प्रधान मंत्री और लार्ड चान्सेलरके बाद इसका दर्जा है। इसके अधिन कोई विभाग नहीं होता। इसका मुख्य कर्मचारी "क्लर्क आव दि कौन्सिल" कहाता है और प्रिवी कौंन्सिलकी सब आज्ञाओंपर उसके हस्ताक्षरोंका होना अवश्यक है। लार्ड चान्सेलर, लार्ड्स आव अपील इन आर्डिनरी, प्रेसिडेंट आव दि प्रोबेट डिवीजन, लार्ड प्रेसिडेंट आव दि कोर्ट आव सेशन्स इन स्काटलेण्ड, लार्ड जस्टिस क्लर्क, लार्ड ऐडवोकेट आव स्काटलैण्ड कैंटरबरी और यार्कके आर्कबिशप और लंडनके बिशप सदा प्रिवी कौन्सिलर होते हैं। बनाटके ड्यूक और प्रिन्स अर्थर तथा श्लेसविग होल्सटोनके प्रिन्स क्रिश्चियन समेत आजकल कोई २१० प्रिवी कौन्सिलर हैं। भारतवासियोंमें कलकत्ता हाइकोर्टके भूतपूर्व जज मि० सैयद अमीर अली, लार्ड सिंह और श्रीयुक्त श्रीनिवास शास्त्रीके सिवा अबतक किसीको प्रिवी कौंसिलर होनेका [illegible] नहीं हुआ। प्रिवी कौंसिलरोंके

प्रिवी कौन्सिल।



भारतके हाईकोर्टों चीफ कोर्टों और जुडीशल कमिश्नरोंके निर्णयके विरुद्ध जो अपीलें विलायतमें की जाती हैं, वे प्रिवी कौन्सिलकी जुडीशल कमिटीमें दायर की जाती हैं।

प्रिवी कौंसिलकी रचना।

प्रिवी कौन्सिल कोई १०० वर्षकी पुरानी सभा है। पहले इसे राज्यका शासन, न्याय और अर्थव्यवस्था करनेके भी अधिकार थे, पर धीरे धीरे वे सब अधिकार जाते रहे और यह नाममात्रकी प्रिवी कौन्सिल रह गयी। शासनका काम वह कमिटियों या बोर्डों द्वारा करती थी। बोर्ड आव ट्रेड, लोकर गवर्नमेंट बोर्ड, बोर्ड आव एजुकेशन और बोर्ड आव ऐग्रिकलचर कौन्सिलकी कमिटियां हैं, जो आजकल सरकारी विभाग हो रही हैं। आजकल वास्तविक प्रिवी कौन्सिल मन्त्रिमडल है। जिसको कोई सम्मान दिया जाता है और जो वंशपरम्पराके लिये पदवी नहीं चाहते वे प्रिवी कौंसिलर होते हैं और जो नहीं होते, वे नियुक्तिपर बना दिये जाते हैं। आजकल प्रिवी कौंसिलका मुख्य काम इङ्गलैण्ड [आदि संयुक्त राज्योंके महाराजको पार्लमेण्टका आवाहन करनेकी सम्मति देनामात्र है। नये

सूचना देते हैं, तब पूरी कौन्सिलके अधिवेशन होते हैं। उस समय लण्डनके लार्ड मेयर बुलाये जाते हैं। राजकीय तथा अन्य शुभावसरोंपर भी पूरी कौन्सिल बुलायी जाती है। नैयमिक अधिवशनोंमे कुछ ही कौन्सिलर विशेषकर मन्त्रिमण्डलके सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो आज्ञाएं इसके द्वारा प्रचारित होती हैं, उनसे इन्हीका विशेष सम्बन्ध रहता है। कौन्सिलका प्रधान अफसर लार्ड प्रेसिडेण्ट कहाता है। यह मन्त्रिमडलका सदस्य होता और ३००००) वार्षिक वेतन पाता है। प्रधान मत्री और लार्ड चान्सेलरके बाद इसका दर्जा है। इसके अधिन कोई विभाग नहीं होता। इसका मुख्य कर्मचारी "क्लर्क आव दि कौन्सिल" कहाता है और प्रिवी कौन्सिलकी सब आज्ञाओंपर उसके हस्ताक्षरोंका होना अवश्यक है। लार्ड चान्सेलर, लार्ड्स आव अपील इन आर्डिनरी, प्रेसिडेंट आव दि प्रोवेट डिवीजन, लार्ड प्रेसिडेंट आव दि कोर्ट आव सेशन्स इन स्काटलैण्ड, लार्ड जस्टिस क्लर्क, लार्ड ऐडवोकेट आव स्काटलैण्ड कैंटरबरी और यार्कके आर्कबिशप और लडनके बिशप सदा प्रिवी कौन्सिलर होते हैं। कनाटके ड्यूक और प्रिन्स अर्थर तथा श्लेसविग होलस्टोनके प्रिन्स क्रिश्चियन समेत आजकल कोई २१० प्रिवी कौन्सिलर हैं। भारतवासियोंमें कलकत्ता हाईकोर्टके भूतपूर्व जज मि० सैयद अमीर अली, लार्ड सिंह और श्रीयुक्त श्रीनिवास ... सिवा अबतक किसीको प्रिवी कौंसिलर होनेका स... नहीं हुआ। प्रिवी कौंसिलरोंके

प्रिवी कौन्सिल।



भारतके हाईकोर्टों चीफ कोर्टों और जुडीशल कमिशनरो

प्रिवी कौंसिलकी रचना।

निर्णयके विरुद्ध जो अपीलें विलायत की जाती हैं, वे प्रिवी कौन्सिलव जुडीशल कमिटीमें दायर की जाती है प्रिवी कौन्सिल कोई १०० वर्षकी पुरानी संस्था है। पहले इ राज्यका शासन, न्याय और अर्थव्यवस्था करनेके भी अधिका थे, पर धीरे धीरे वे सब अधिकार जाते रहे और यह नाममात्रव प्रिवी कौन्सिल रह गयी। शासनका काम वह कमिटियों व बोर्डों द्वारा करती थी। बोर्ड आव ट्रेड, लोकर गवर्नमेंट बोर् बोर्ड आव एजुकेशन और बोर्ड आव ऐग्रिकलचर कौन्सिलव कमिटियां हैं, जो आजकल सरकारी विभाग हो रही हैं आजकल वास्तविक प्रिवी कौन्सिल मन्त्रिमंडल है। जिसव कोई सम्मान दिया जाता है और जो वंशपरम्पराके लिये पदवं नहीं चाहते वे प्रिवी कौंसिलर होते हैं और जो नहीं होते वे नियुक्तिपर बना दिये जाते हैं। आजकल प्रिवी कौंसिलव मुख्य काम इङ्गलैण्ड [आदि संयुक्त राज्योंके महाराजव पार्लमेण्टका आवाहन करनेकी सम्मति, देनामात्र है। न

सूचना देते हैं, तब पूरी कौन्सिलके अधिवेशन होते हैं। उस समय लण्डनके लार्ड मेयर बुलाये जाते हैं। राजकीय तथा अन्य शुभावसरोंपर भी पूरी कौन्सिल बुलायी जाती है। नैयमिक अधिवेशनोंमें कुछ ही कौन्सिलर विशेषकर मन्त्रिमण्डलके सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो आज्ञाएं इसके द्वारा प्रचारित होती हैं, उनसे इन्हींका विशेष सम्बन्ध रहता है। कौन्सिलका प्रधान अफसर लार्ड प्रेसिडेण्ट कहाता है। यह मन्त्रिमडलका सदस्य होता और ३००००) वार्षिक वेतन पाता हैं। प्रधान मंत्री और लार्ड चान्सेलरके बाद इसका दर्जा है। इसके अधीन कोई विभाग नहीं होता। इसका मुख्य कर्मचारी "क्लर्क आव दि कौन्सिल" कहाता है और प्रिवी कौन्सिलकी सब आज्ञाओंपर उसके हस्ताक्षरोंका होना अवश्यक है। लार्ड चान्सेलर, लार्ड्स आव अपील इन आर्डिनरी, प्रेसिडेंट आव दि प्रोबेट डिवीजन, लार्ड प्रेसिडेंट आव दि कोर्ट आव सेशन्स इन स्काटलैण्ड, लार्ड जस्टिस क्लर्क, लार्ड ऐडवोकेट आव स्काटलैण्ड कैंटरबरी और यार्कके आर्कबिशप और लडनके बिशप सदा प्रिवी कौन्सिलर होते हैं। कनाटके ड्यूक और प्रिन्स आर्थर तथा श्लेसविग होल्सटीनके प्रिन्स क्रिश्चियन समेत आजकल कोई २१० प्रिवी कौन्सिलर हैं। भारतवासियोंमें कलकत्ता हाईकोर्टके भूतपूर्व जज मि० सैयद अमीर अली, लार्ड सिंह और श्रीयुक्त श्रीनिवास शास्त्रीके सिवा अबतक किसीको प्रिवी कौंसिलर होनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। प्रिवी कौंसिलरोंके

प्रिवी कौन्सिल।



प्रिवी कौंसिलकी रचना।

भारतके हाईकोर्टों चीफ कोर्टों और जुडीशल कमिशनरोंके निर्णयके विरुद्ध जो अपीलें विलायतमें की जाती हैं, वे प्रिवी कौन्सिलकी जुडीशल कमिटीमें दायर की जाती हैं। प्रिवी कौन्सिल कोई १०० वर्षकी पुरानी संस्था है। पहले इसे राज्यका शासन, न्याय और अर्थव्यवस्था करनेके भी अधिकार थे, पर धीरे धीरे वे सब अधिकार जाते रहे और यह नाममात्रकी प्रिवी कौन्सिल रह गयी। शासनका काम वह कमिटियों वा बोर्डों द्वारा करती थी। बोर्ड आव ट्रेड, लोकर गवर्नमेंट बोर्ड, बोर्ड आव एजुकेशन और बोर्ड आव पेग्रिकलचर कौन्सिलकी कमिटिया हैं, जो आजकल सरकारी विभाग हो रही हैं। आजकल वास्तविक प्रिवी कौन्सिल मन्त्रिमंडल है। जिसको कोई सम्मान दिया जाता है और जो वंशपरम्पराके लिये पदवी नहीं चाहते वे प्रिवी कौंसिलर होते हैं और जो नहीं होते, वे नियुक्तिपर बना दिये जाते हैं। आजकल प्रिवी कौंसिलका मुख्य काम इङ्गलैण्ड आदि संयुक्त राज्योंके महाराजको पार्लमेण्टका आवाहन करनेकी सम्मति देनामात्र है। नये शासनके आरम्भमें तथा जब वे अपने ब्याहकी

सूचना देते हैं, तब पूरी कौन्सिलके अधिवेशन होते हैं। उस समय लण्डनके लार्ड मेयर बुलाये जाते हैं। राजकीय तथा अन्य शुभावसरोंपर भी पूरी कौन्सिल बुलायी जाती है। नैयमिक अधिवशनोंमें कुछ ही कौन्सिलर विशेषकर मन्त्रिमण्डलके सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो आज्ञाएं इसके द्वारा प्रचारित होती हैं, उनसे इन्हीका विशेष सम्बन्ध रहता है। कौन्सिलका प्रधान अफसर लार्ड प्रेसिडेण्ट कहाता है। यह मन्त्रिमडलका सदस्य होता और ३००००) वार्षिक वेतन पाता है। प्रधान मन्त्री और लार्ड चान्सेलरके बाद इसका दर्जा है। इसके अधिन कोई विभाग नही होता। इसका मुख्य कर्मचारी "क्लर्क आव दि कौन्सिल" कहाता है और प्रिवी कौन्सिलकी सब आज्ञाओंपर उसके हस्ताक्षरोंका होना अवश्यक है। लार्ड चान्सेलर, लार्ड्स आव अपील इन आर्डिनरी, प्रेसिडेंट आव दि प्रोवेट डिवीजन, लार्ड प्रेसिडेंट आव दि कोर्ट आव सेशन्स इन स्काटलेण्ड, लार्ड जस्टिस क्लर्क, लार्ड ऐडवोकेट आव स्काटलैण्ड कैंटरवरी और यार्कके आर्कविशप और लडनके विशप सदा प्रिवी कौन्सिलर होते हैं। कनाटके ड्यूक और प्रिन्स अर्थर तथा श्लेसविग होल्सटीनके प्रिन्स क्रिश्चियन समेत आजकल कोई २१० प्रिवी कौन्सिलर हैं। भारतवासियोंमें कलकत्ता हाईकोर्टके भूतपूर्व जज मि० सैयद अमीर अली, लार्ड सिंह और श्रीयुक्त श्रीनिवास शास्त्रीके सिवा अबतक किसीको प्रिवी कौंसिलर होनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। प्रिवी ।५९

मके पहले "राइट आनरेबल" लिखते और बोलते हैं। इन्हें ही वर्दी भी पहननी पडती है।

१८३३ की १४ वीं आगस्तको पार्लमेंटने प्रिवी कौंसिलकी जुडीशल कमिटीकी रचनाके विषयमें कानून बनाया था। कौन्सिलके लार्ड प्रेसिडेंट और लार्ड हाई चान्सेलरके

जुडीशळ कमिटीकी रचना।

वा निम्नलिखित पदोंपर स्थित प्रिवीकौन्सिलर प्रिवी न्सिलकी जुडिशल कमिटीके मेम्बर रहेंगे, लार्ड कीपर आव ग्रेट सील आव ग्रेट ब्रिटेन, किंग्ज बेंचके लार्ड चीफ जस्टिस जज, मस्टर आव दि रोल्स, वाइस-चान्सेलर आव इङ्गलैण्ड र्ट आव कामन प्लीजके लार्ड चीफ जस्टिस या जज, कोर्ट व एक्सचेकरके लार्ड चीफ बैरन या बैरन, कैंटरबरीके र्ड बिशपके प्रिरागेटिव कोर्टके जज, जलसेना विभागके ईकोर्टके जज, दिवालिया आदालतके चीफ जस्टिस और वी कौन्सिलके वे सब मेम्बर जो कभी लार्ड प्रेसिडेंट या र्ड चान्सेलर अथवा उक्त किसी पदपर रहे हैं। इनके तिरिक्त, महाराज अपनी प्रिवी कौंसिलके ऐसे दो दस्योंको इस कमिटीके मेंबर नियुक्त करते हैं, जो रत या किसी उपनिवेशमें जज रह चुके हैं। इन नोको कानसोलिडेटेड राजकीय भूसम्पत्तिकी आयसे वे हुए धनके फण्डसे चार चार सौ पौण्ड वार्षिक वेतन लता है।

जुडीशल कमिटीका कार्य।

जो सब अपीलें व्यवस्था या प्रथाके अनुसार महाराजके यहाँ पेश होनी चाहिये, वे जुडीशल कमिटीमें पेश होती हैं और उनपर विचारकर जुडीशल कमिटी जो निर्णय करती है, वही महाराजका निर्णय समझा जाता है। परन्तु यह निर्णय महाराजको परामर्श देनेके लिये प्रस्तावका रूप धारण करता है। मेंबरोंमें चाहे मतभेद हो क्यों न हो, पर प्रायः प्रस्ताव सर्वसम्मत होता है। अदालतकी तरह मामलोंपर बैरिस्टर बहस करते हैं और वादी प्रतिवादीको यह मामले-का खर्च भी दिलाती है। हिन्दुस्तानसे बड़े बड़े दीवानी मामले ही बहुत करके जुडीशल कमिटीमें पहुँचते हैं। फौजदारी मामले बहुत कम जाते हैं। पहले अपीलकी आज्ञा लेनेके लिये प्रार्थना करनी पडती है और जब आज्ञा मिल जाती है तब अपील दायर होती है। फौजदारी मामलोंमें दो बार बम्बई हाईकोर्टके निर्णयके विरुद्ध लो० तिलकने अपील करनी चाही थी, पर उन्हें एक बार भी आज्ञा नहीं मिला। फौजदारी मामलोंमें भी आज्ञा नहीं मिलती, पर मद्रास हाईकोर्टके निर्णय-के विरुद्ध एक आदमीको आज्ञा मिली थी और उसकी फांसीकी सजा भी रद्द हो गयी थी।

नामके पहले "राइट आनरेबल" लिखते और बोलते हैं । इन्हें शाही वर्दी भी पहननी पडती है ।

१८३३ की १४ वीं आगस्तको पार्लमेंटने प्रिवी कौंसिलकी जुडीशल कमिटीकी रचनाके विषयमें कानून बनाया था। कौन्सिलके लार्ड प्रेसिडेंट और लार्ड हाई चान्सेलरके सिवा निम्नलिखित पदोंपर स्थित प्रिवीकौन्सिलर प्रिवी कौन्सिलकी जुडिशल कमिटीके मेम्बर रहेंगे, लार्ड कीपर आव दि ग्रेट सील आव ग्रेट ब्रिटेन, किंग्ज वेंचके लार्ड चीफ जस्टिस या जज, मस्टर आव दि रोल्स, वाइस-चान्सेलर आव इङ्गलैण्ड कोर्ट आव कामन प्लीजके लार्ड चीफ जस्टिस या जज, कोर्ट आव एक्सचेकरके लार्ड चीफ बैरन या बैरन, कैंटरबरीके लार्ड बिशपके प्रिरागेटिव कोर्टके जज, जलसेना विभागके हाईकोर्टके जज, दिवालिया आदालतके चीफ जस्टिस और प्रिवी कौन्सिलके वे सब मेम्बर जो कभी लार्ड प्रेसिडेंट या लार्ड चान्सेलर अथवा उक्त किसी पदपर रहे हैं। इनके अतिरिक्त महाराज अपनी प्रिवी कौंसिलके ऐसे दो सदस्योंको इस कमिटीके मेंबर नियुक्त करते हैं, जो भारत या किसी उपनिवेशमें जज रह चुके हैं। इन दोनोंको कानसोलिडेटेड राजकीय भूसम्पत्तिकी आयसे बचे हुए धनके फण्डसे चार चार सौ पौण्ड वार्षिक वेतन मिलता है ।

जुडीशल कमिटीकी रचना ।

परिशिष्ट (आ)

भारतीय विषय।

(१) (क) भारतवर्षकी रक्षा और वे सब विषय जिनका सम्बन्ध सम्राटकी भारतीय जल-सेना, आकाशसेना तथा स्थलसेना और हथियार बद पुलिसको छोड़कर, जो बिलकुल प्रादेशिक सरकार द्वारा रखी गयी है, भारतमें खड़ी होनेवाली किसी सेनासे भी है।

(ख) जल तथा स्थल-सेनाकी इमारतें आदि और छावनिया।

(२) बाहरी सम्बन्ध, जिसमे विदेशीको देशी बनाने, परदेशियों और भारतवर्षके बाहरकी तीर्थ यात्रा शामिल है।

(३) देशी रियासतोंके साथ सम्बन्ध।

(४) राजनीतिक व्यय।

(५) नीचे लिखी हुई मद्दोंमें वर्णित गमनागमनके साधन, यथा —

(क) रेलवे और म्यूनीसिपल सीमाके बाहर ट्रामवे, जहातक इस लिस्टके भाग २ के ६ (घ) के अनुसार प्रादेशिक विषयोंमे उनकी गिनती नहीं की गयी।

(ख) हवाई जहाज और तत्सम्बन्धी सब बातें, और

(ग) देशके भीतरी जलमार्ग, जहातक भारत सरकार द्वारा बनाये नियमानुसार या भारतीय व्यवस्थापक मडलके बनाये हुए कनूनके द्वारा या अनुसार उनकी घोषणा हुई हो।

(६) जहाज रखना और जहाज चलाना

परिशिष्ट [थ]

शासकोंके वेतन।

नये गवर्नमेंट आव इण्डिया ऐक्टमें गवर्नर-जेनरल, गवर्नरों और उनकी शासन सभाओंके मेंबरोंके वेतनमें वृद्धि हुई है। प्रथम भागमें पुराने ही वेतन लिखे गये हैं, पर इस परिशिष्टमें वह त्रुटि दूर कर दी गयी है।

शासक	अधिकसे अधिक वार्षिक वेतन
गवर्नर-जेनरल	दो लाख छप्पन हजार रुपये
बंगाल, वम्बई, मद्रास और युक्तप्रदेशके गवर्नर	एक लाख अट्ठाईस हजार रुपये
प्रधान सेनापति	एक लाख रुपये
प० और वि० उड़ीसेके गवर्नर	एक लाख रुपये
मध्यप्रदेशके गवर्नर	बहत्तर हजार रुपये
आसामके गवर्नर	छाछठ हजार रुपये
लेफटेनेंट गवर्नर	एक लाख रुपये
(प्रधान सेनापतिको छोड) गवर्नर जेनरलकी शासन-कारिणी सभाके मेम्बर	अस्सी हजार रुपये
बङ्गाल, वम्बई, मद्रास और युक्तप्रदेशके गवर्नरकी शासन सभाके मेम्बर	चौसठ हजार रुपये
पञ्जाव और विहार-उड़ीसेकी शासन सभाके मेम्बर	साठ हजार रुपये
मध्यप्रदेशके गवर्नरकी शासन सभाके मेंबर	अड़तालीस हजार रुपये
आसामके गवननरकी शासन सभाके मेंवर	बयालीस हजार रुपये

(२०) उद्योगधन्धोंकी उन्नति जहा लोकहितके लिये भारत सरकारकी आज्ञासे ऐसी उन्नति भारत सरकारद्वारा होनेकी घोषणा की गयी है और प्रादेशिक सरकारोंके परामर्शसे होती है।

(२१) पोस्तेकी बुआई और अफीमकी तैयारी तथा बाहर भेजनेके लिये उसकी बिक्रीका नियन्त्रण।

(२२) भारतसरकारके विभागोंके लिये आवश्यक सामान और स्टेशनरी देशी और विदेशी।

(२३) पेट्रोलियम और विस्फोटक पदार्थ।

(२४) भूगर्भके पदार्थों का अनुसन्धान।

(२५) उन खनिज पदार्थों का नियन्त्रण, जिनके नियन्त्रणका अधिकार भारतसरकारको भारतसचिवके बनाये या स्वीकृत नियमोंके अनुसार है।

(२६) वनस्पतियोंके विषयका अनुसन्धान।

(२७) आविष्कार और डिजाईन (खाका)

(२८) कापीराइट।

(२९) भारतसे विदेश जाना और विदेशसे भारत आना और एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जा बसना।

(३०) फौजदारी कानून और जाब्ता।

(ग) के अनुसार जहातक उनके भारतीय विषय होनेकी घोषणा की गयी है, देशके भीतरी जलमर्गों में जहाज रखना और जहाज चलाना शामिल है।

(७) रोशनीके मीनार (जिनमें उन तक रोशनी पहुंचनेके स्थान भी शामिल हैं) रौशनघर रोशनीके जहाज और लंगर।

(८) वन्दरोंके क्वैरेंटाइन और समुद्री अस्पताल।

(९) गवर्नर-जेनरलके बनाये नियमसे या व्यवस्थापक मंडलसे निर्द्धारित बडे बन्दर।

(१०) डाक,तार और टेलिफोन वेतारके तार सहित।

(११) कस्टम, सूती कपडेकी तथा एक्साइज ड्यूटी,इनकम टैक्स, नमक तथा अखिल भारतके आयके अन्य मार्ग।

(१२) करेन्सी और सिक्का।

(१३) भारतका ऋण।

(१४ सेविंग्ज बैंकें।

(१५) इंडिया आडिट डिपार्टमेंट।

(१६ दीवानी कानून और उसका जाब्ता।

(१७) वाणिज्य जिसमें बैंकिङ्ग (साहूकारा) और बीमा भी है।

(१८) व्यापारी कम्पनिया और अन्य सस्थाए।

(१९) भारतसरकारके बनाये नियम या व्यवस्थापक मडलके कानूनसे किसी चीजके पैदा करने और जुटाने तथा फैलानेका नियत्रण।

परिशिष्ट (इ)

प्रादेशिक विषय।

१ स्थानिक स्वराज्य अर्थात म्युनिसिपल बोर्डों, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिला बोर्डों, स्वास्थ्यके माइनिङ्ग बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाए जो किसी प्रदेशमें स्थानिक स्वराज्यके लिये स्थापित हैं और जिनके प्रादेशिक सरकारके सिवा दूसरेसे ऋण लेनेके अधिकारों और शेड्यूल्ड टैक्सोंके सिवा टक्स लगानेके बारेमें कानून भारतीय व्यवस्थापक मण्डल बनाता है।

२ औषधोपचार व्यवस्था, जिसमें अस्पताल, शफाखाने आश्रम तथा डाक्टरी शिक्षा भी है।

३ सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई और जीवनमरणके आंकडे। छुतहे और संक्रामक रोगोंके विषयमें व्यवस्थापक मण्डल कानून बनाता है।

४ ब्रिटिश भारतके अन्दर यात्रा।

५ शिक्षा—हिन्दू और मुस्लिम विश्वविद्यालयों तथा इन नियमोंके बाद बने हुए विश्वविद्यालयों तथा राजकुमार; कालेजों, फौजी कालेजों तथा सरकारी कर्मचारियों या इनके लडकोंके लिये कालेजोंको छोडकर। नये विश्वविद्यालयोंकी स्थापना आदिके विषयमें व्यवस्थापक कानून बनाता है।

विशेष विषयोंके अध्ययनके लिये भारतीय एजिन्सिया या संस्थाएं।

(३४) पादरियोंकी व्यवस्था जिसमें यूरोपियन कब्रस्तान भी शामिल हैं।

(३५) भारतकी पैमाइश।

(३६) पुरातत्वविद्या।

(३७) प्राणिविद्या।

(३८) अन्तरिक्ष विद्या।

(३९) मनुष्यगणना और आकड़े।

(४०) अखिल भारतीय नौकरियां।

(४१) किसी प्रादेशिक विषयका कानून, जहांतक वह व्यवस्थापक मण्डलसे बनना चाहिये और जहांतक ऐसे अधिकार कानूनने भारतसरकारको दे दिये गये हैं।

(४२) भूभाग सम्बन्धी परिवर्त्तन और उसके बारेमें कानून।

(४३) पदवियों, आर्डरों, अग्रस्थान और मुल्की वर्दी।

(४४) भारतसरकारकी प्राप्त की और उसीके द्वारा रक्षित स्थावर सम्पत्ति।

(४५) पब्लिक सर्विस कमीशन।

(४६) वे सब विषय जो स्पष्ट रूपसे प्रादेशिक विषयोंमें नहीं रखे गये हैं।

(४७) वे सब विषय जो प्रादेशिक विषयोंमें सम्मिलित नहीं हैं।

परिशिष्ट (ह)

प्रादेशिक विषय।

१ स्थानिक स्वराज्य अर्थात् म्युनिसिपल बोर्डों, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिला बोर्डों, खानोंके माइनिंग बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाएं जो किसी प्रदेशमें स्थानिक स्वराज्यके लिये स्थापित हैं और जिनके प्रादेशिक सरकारके सिवा दूसरेसे काम लेनेके अधिकारों और शेड्यूल्ड टैक्सोंके सिवा टैक्स लगानेके बारेमें कानून भारतीय व्यवस्थापक मण्डल बनाता है।

२ औषधोपचार व्यवस्था, जिसमें अस्पताल, शफाखाने आश्रम तथा डाक्टरी शिक्षा भी है।

३ सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई और जीवनमरणके आंकड़े। छूतहे और संक्रामक रोगोंके विषयमें व्यवस्थापक मण्डल कानून बनाता है।

४ ब्रिटिश भारतके अन्दर यात्रा।

५ शिक्षा—हिन्दू और मुस्लिम विश्वविद्यालयों तथा नियमोंके बाद बने हुए विश्वविद्यालयों तथा राजकालेजों, फौजी कालेजों तथा सरकारी कर्मचारि इनके लड़कोंके लिये कालेजों और विद्यालयोंकी स्थापना आदि छोड़कर। इनके विषयमें मण्डल कानून बनाता है।

६ पब्लिक वर्क्स—

(अ) प्रदेशके शासनके काममे आनेवाली सरकारी इमारतोंका बनाना और मरम्मत करना और ऐतिहासिक स्मृतिचिन्होंकी व्यवस्था करना ।

(आ) सडकें, पुल, उतारे, टनेल (सुरंग) ईंटेंजडी पगडडी ।

(इ) म्यूनिसिपेलिटियोंके अन्दर और बाहर ट्रामगाडिया ।

(ई) हलकी छोटी रेल गाडियां और फीडर रेलवे ।

७ आबपाशी और नहरें, पानीका निकास और बांध, जलसञ्चय और जलशक्तिका उपयोग ।

८ मालगुजारीका बन्दोबस्त । इसका अर्थ है जमा ठहराना और वसूल करना, जमीनकी पैमाइश करना, खेवठ खतियान तैयार करना, लगान सम्बन्धी कानून बनाना, कोर्ट आव् वार्ड्स इत्यादिका प्रबन्ध करना, नकाबो देना लेना, सरकारी जमीन या खास महालका इन्तजाम करना ।

६ दुर्भिक्षसे रक्षा ।

१० कृषि सम्बन्धी शिक्षा और अनुसन्धान ।

११ मवेशियोंका इलाज ।

१२ जल कर ।

१३ सहकारी समितिया (को-आपरेटिव सोसाइटीज)

१४ जंगल और शिकार।

१५ सरकारी या सार्वजनिक कामके लिये जमीन लेना।

१६ आबकारी।

१७ न्यायालय।

१८ कानून विषयक रिपोर्टों का प्रकाशन।

१९ ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल और सरकारी ट्रस्टी।

२० स्टाम्पकी बिक्री।

२१ दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री।

२२ जन्म, मरण, ब्याह शादीका लेखा।

२३ धर्मादेकी सम्पत्ति।

२४ खनिज।

२५ उद्योगधन्धोंकी उन्नति।

२६ निम्नलिखित औद्योगिक विषय (अ) कल कारखाने (आ) मालिक मजूरोंका झगडा निपटाना (इ) बिजली (ई बायलर (उ) गैस (ऊ) धुआं और (ऋ) मजूरोंकी भलाई।

२७ स्टेशनरी और स्टोर।

२८ खाद्यमें अखाद्यका मिश्रण।

२९ बाटबटखरा।

३० बन्दरगाह।

३१ नदनदियां।

३२ पुलिस।

३३ निम्नलिखित ।

(अ) बाजो बजने और जुएका नियन्त्रण[1]।

(आ) पशुओंके प्रति निर्दयताका रोकना[1]।

(इ) जंगली जानवरों और चिड़ियोंका रक्षा ।

(ई) विषैली वस्तुओंकी खरीद विक्रीकी व्यवस्था ।

(उ) मोटर विषयक नियम ।

(ऊ) नाटक और बायस्कोपकी उपयुक्तता-अनुपयुक्तताका विचार ।

३४ समाचार पत्र, पुस्तक और प्रेस सम्बन्धी कानून ।

३५ कारोनर (मृत्युके कारणका अनुसन्धान करनेवाला कर्मचारी) ।

३६ बहिष्कृत प्रदेश या भाग ।

३७ जुर्मके लिये बदनाम जातियां ।

३८ यूरोपियनोंकी अवारागर्दी ।

३६ जेलखाने और कैदी ।

४० मोप्लिओंका उत्पात रोकना और कानी हाउस ।

४१ जमीनमें गड़ा हुआ लावारिसी धन मिलनेपर उसका अधिकार ।

४२ पुस्तकालय (कलकत्तेकी इम्पीरियल लाइब्रेरीको छोड़कर) अजायब घर (कलकत्तेके इण्डियन म्यूजियम विक्टोरिया मेमोरियल और इम्पीरियल वार म्यूजियमको छोड़कर) और चिड़ियाखाने ।

४३ प्रादेशिक सरकारी प्रेस ।

४४ प्रादेशिक और भारतीय व्यवस्थापिका सभाओंके विल
चुनाव।

४५ डाक्टरों या और पेशेवालोंकी योग्यता क्या होना चाहिये
इसका निर्णय।

४६ स्थानीय संस्थाओंके फंडकी जाच।

(४७) प्रादेशिक और भारतीय कर्मचारियोंका अनुशासन।

(४८) प्रादेशिक आयकी ऐसी मद्दें जो उल्लिखित विषयोंसे
सम्बन्ध नहीं रखतीं।

(४९) प्रादेशिक आयकी जमानतपर कर्ज लेना।

(५०) किसी प्रादेशिक कानूनके सम्बन्धमें दण्डकी व्यवस्था
करना।

(५१) कोई ऐसी बात जो भारतसरकारके विषयके
अन्तर्गत होनेपर भी गवर्नर जेनरल द्वारा स्थानीय
घोषित कर दी जाय।

(५२) भारतसरकारके किसी विषयकी ऐसी बातें जिनके
सम्बन्धमें कानूनद्वारा किसी प्रादेशिक सरकारको
कुछ अधिकार मिला हो।

परिशिष्ट [ई]

हस्तान्तरित विषय।

प्रादेशिक विषयोंकी जो सूची परिशिष्ट (६) में दी गयी
उसके १, २, ३, ४, ५, १०, ११, १३, २१, २२,

२८, २९, और ४२ संख्यक विषय तो सब प्रदेशोंमें हस्तान्तरित विषय किये गये हैं अर्थात् इनकी व्यवस्था मन्त्रियोंके हाथमें है। ६, १२ और १६ संख्यक विषय आसामको छोड अन्य सभी गवर्नरोंके प्रदेशोंमें हस्तान्तरित विषय हैं। १४ संख्यक विषय केवल बम्बई प्रदेशमें ही हस्तान्तरित किया गया है। ५० प्रादेशिक विषयोंमें २० से अधिक किसी प्रदेशके मन्त्रियोंके अधीन नहीं किये गये हैं।

